

ANNUAL REPORT 2019-2020

वार्षिक रिपोर्ट
२०१९-२०२०



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स
महासंघ मर्यादित

BOARD OF MANAGEMENT (As on September 2020)

Chairman

Shri K. Sivadasan Nair
Director, Kerala SCARDB

Vice Chairpersons

Shri K Shadakshari
Vice Chairman, Karnataka SCARDB

Shri Bijay Kumar Singh
Vice Chairman, Multi SCLDB (Bihar-Jharkhand)

Shri K. Ravinder Rao
Vice Chairman, Telangana SCAB

Shri Marchynna Syiem
Vice Chairman, Meghalaya CAB

Managing Director

Shri K.K. Ravindran

Directors

Shri Parbatbhai Patel, MP
(Co-opted)

Dr. Bijender Singh
President, Delhi SCB

Shri R. Parimel Azhagan
Chairman, Tamil Nadu CSARDB

Shri Moinul Hassan, Ex-MP
Special Officer, West-Bengal SCARDB

Shri Balwinder Singh
Director, Punjab SCADB

Shri Arvind Kumar Singh
MD, Uttar Pradesh SGVB

Shri Jitendra Prasad
MD, Rajasthan RSBVB

Shri V.M. Chaudhari
GM, Gujarat SCARDB

Shri Naresh Goyal
MD, Haryana SCARDB

Shri Vivek Chauhan, (HPAS)
MD, HP SCARDB

Shri Mohammad Aslam Bhat
MD, Jammu & Kashmir SCARDB

Shri Pramod Reang, MLA
President, Tripura CARDB

प्रबन्धन मण्डल

अध्यक्ष

श्री के. शिवदासन नायर
निदेशक, केरल एससीएआरडी बैंक

उपाध्यक्ष

श्री के. शदाक्षरी
उपाध्यक्ष, कर्नाटक एससीएआरडी बैंक

श्री बिजय कुमार सिंह
उपाध्यक्ष, बहुउद्देशीय एससीएलडीबी (बिहार-झारखण्ड)

श्री के. रविन्दर राव
उपाध्यक्ष, तेलंगाना एससीएबी

श्री मरचिन्ना सियेम
उपाध्यक्ष, मेघालय सीएबी

प्रबन्ध निदेशक

श्री के.के. रविन्द्रन

निदेशक

श्री परबतभाई पटेल, सांसद
(सहयोजित)

डा. बिजेन्द्र सिंह
अध्यक्ष, दिल्ली एससीबी

श्री आर. परिमल अजागन
अध्यक्ष, तमिलनाडु सीएसएआरडीबी

श्री मोइनुल हसन, भूतपूर्व सांसद
विशेष अधिकारी, पश्चिम बंगाल एससीएआरडीबी

श्री बलविन्दर सिंह
निदेशक, पंजाब एससीएडीबी

श्री अरविन्द कुमार सिंह
प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश एसजीवीबी

श्री जितेन्द्र प्रसाद
प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान आरएसबीवीबी

श्री वी.एम. चौधरी
महा प्रबन्धक, गुजरात एससीएआरडीबी

श्री नरेश गोयल
प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी

श्री विवेक चौहान (एचपीएस)
प्रबन्ध निदेशक, हिमांचल प्रदेश एससीएआरडीबी

श्री मोहम्मद असलम भट्ट
प्रबन्ध निदेशक, जम्मू एण्ड कश्मीर एससीएआरडीबी

श्री प्रमोद रियांग, विधायक
अध्यक्ष, त्रिपुरा सीएआरडीबी

SIXTIETH ANNUAL REPORT 2019-20



NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LIMITED

701, A-wing, BSEL Tech Park, Plot No. 39, Sector 30 A, Opp. Railway Station

Vashi, Navi Mumbai 400 703 (Maharashtra)

Tel. (022) 27814 114 / 226 / 426 Fax : (022) 2781 4225

E-mail : nafcard.org@gmail.com Website : www.nafcard.org

**NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE &
RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION

NOTICE

Notice is hereby given, that the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2019-20 will be held at **11.00 AM** on **26 October 2020**, to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 10 June 2019 in Mumbai.
2. Consideration of Audited Statement of Accounts for the year 2019-20.
3. Disposal of surplus for the year 2019-20.
4. Consideration of the Audit Report for the year ended 31.03.2020.
5. Consideration of Audit Compliance Report for 2019-20.
6. Consideration of Annual Report for the year 2019-20
7. Appointment of Auditors for the year 2020-21 and fixing Audit Fees.
8. Consideration of Annual Budget for the year 2021-22.

In view of inability of delegates who are located at different parts of the country to attend a physical meeting due to prevailing situation arising out of Covid19 pandemic, the meeting will be held in virtual mode. Password and related information for joining the meeting shall be informed in due course.

Hard copies of agenda notes and connected documents shall be circulated in advance to facilitate fruitful deliberations.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002 and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

Sd/-

Place : Navi Mumbai

Date : 30th September, 2020

(K.K. Ravindran)
Managing Director

BOARD OF MANAGEMENT

OFFICE BEARERS

(As of September 2020)



Shri K. Sivadasan Nair
Chairman



Shri K. Shadakshari
Vice Chairman



Shri Bijay Kumar Singh
Vice Chairman



Shri K. Ravinder Rao
Vice Chairman



Shri Marchynna Syiem
Vice Chairman



Shri K. K. Ravindran
Managing Director

BOARD OF MANAGEMENT

(As of September 2020)



Shri K. Sivadasan Nair
Chairman, NAFCARD



Shri K. Shadakshari
(President - Karnataka SCARDB)
Vice Chairman



Shri Bijay Kumar Singh
(Chairman, Multi SCLDB, Bihar-Jharkhand)
Vice Chairman



Shri K. Ravinder Rao
(President - Telangana SCAB)
Vice Chairman



Shri Marchynna Syiem
(Chairman - Meghalaya CAB)
Vice Chairman



Shri Parbat Bhai Patel, MP
(Co-opted)



Dr. Bijender Singh
President, Delhi SCB



Shri R. Parimel Azhagan
Chairman,
Tamil Nadu CSARDB



Shri Moinul Hassan,
Ex-MP, Special Officer,
WB SCARDB



Shri Balwinder Singh
Director - Punjab SCARDB



Shri Arvind Kumar Singh
Managing Director
Uttar Pradesh SGVB



Shri Jitendra Prasad
Managing Director
Rajasthan RSBVB



Shri V.M. Chaudhari
General Manager
Gujarat SCARDB



Shri Naresh Goyal
Managing Director
Haryana SCARDB



Shri Vivek Chauhan (HPAS)
Managing Director
HP SCARDB



Shri Mohammad Aslam Bhat
Managing Director
Jammu & Kashmir SCARDB



Shri Pramod Reang, MLA
President, Tripura CARDB



Shri K. K. Ravindran
Managing Director

MEMBER BANKS

**Chairmen & Chief Executives
(As of September 2020)**

Multi State Co-operative Land Development Bank Ltd. (Bihar - Jharkhand)



Smt. Mamta Singh
Chairman



Shri Ajay Kumar Singh
Managing Director

Delhi State Co-operative Bank Ltd.



Dr. Bijender Singh
President



Smt. Anita Rawat
Managing Director

Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Chetan N. Parmar
Custodian



Shri V.M. Chaudhari
General Manager

Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Naresh Goyal
Managing Director

Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Smt. Sashi Bala
Chairman



Shri Vivek Chauhan (HPAS)
Managing Director

Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Mohammad Aslam Bhat
Managing Director

Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri K. Shadakshari, Ex-MLA
President



Dr. K.C. Yathish Kumar, (KCS)
Managing Director

Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.



Shri Soloman Alex
President



Shri V. Ratheesan, (IAS)
Managing Director

Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Marchynna Syiem
Chairman




Shri O.E.J. Nongbri
Managing Director

Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.



Shri Jogendra Swain
President




Shri Krushna C. S. Das
Managing Director

Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd.



Shri A. Irysappan
Managing Director



Smt. V. Sarojini
Administrator

Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd.



Shri Kamaldeep Singh
Chairman



Shri Charandev Singh Maan
Managing Director

MEMBER BANKS

Chairmen & Chief Executives
(As of September 2020)

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.



Shri G.L. Swami
Administrator



Shri Jitendra Prasad
Managing Director

Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri R. Parimel Azhagan
Chairman



Smt. R. Brindha
Managing Director

Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd.



Shri Konduru Ravinder Rao
President



Dr. Nethi Muralidhar
Managing Director

Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Pramod Reang, MLA
President, Tripura CARDB



Shri Apurba Krishna Chakraborty
General Manager

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.



Shri Santraj Yadav
Chairman




Shri Arvind Kumar Singh
Managing Director

West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri Moinul Hassan, Ex-MP
Special Officer



Shri Amlan Bhattacharya
Managing Director

Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.



Shri A.B. Das
Chairman



Shri Ghana Pegu
Managing Director

ECONOMIC SCENE

Economic survey 2019-20 estimated a GDP growth rate of about 5% for the year 2019-20 compared to 6.8% in 2018-19 which is projected to grow in the range of 6% to 6.5% in 2020-21. Deceleration in the growth rate was attributed to declining consumption and investments. The survey also noted that 2019 was a difficult year globally, with world output growing at its lowest pace of 2.9% since the global financial crisis in 2009. The weak global environment impacted Indian economy as well. Following are the major highlights of economic survey 2019-20 based on the performance of economy during April 2019 – December 2019 (first three quarters of financial year 2019-20).

- The Wholesale Price Index (WPI) based inflation decreased from 4.3% in 2018-19 to 1.5% in 2019-20.
- Current account deficit decreased from 2.1% of GDP to 1.5%.
- Fiscal deficit jumped the target by 20%.
- Gross fixed capital formation in agriculture decreased from 17.7% of GVA in 2013-14 to 15.2% of Gross Value Added (GVA) in 2017-18.
- Volatility in agriculture growth continues from -0.2% in 2014-15 to 6.3% in 2016-17 and then declined to 2.8% in 2019-20.
- The contribution of agriculture to GVA decreased from 18.2% in 2014-15 to 16.5% in 2019-20.
- Access to credit, insurance coverage and investment in agriculture continue to be major issues to be addressed in doubling farmer's income.
- Industrial sector growth declined from 2.5% in 2019-20 compared to 6.9% in 2018-19.

- Share of industrial sector in GA stands at 29.6%.
- Services sector contributes 55.3% of GVA in 2019-20. The sector registered a growth rate of 6.9% in 2019-20 compared to 7.5% in 2018-19.
- Banking sector continues to be disproportionately under developed given the size of economy. India has only one bank in the global top 100. Public sector banks account for 70% of the market share but are inefficient in various performance parameters as compared to private banks.
- Government plans aggressive disinvestment of public sector enterprises with the objective of making them more efficient and profitable.

Covid 19 impact

According to IMF estimates, the global economy is moving to the worst recession since great depression due to Covid 19 pandemic which disrupted economic activities world over. The loss of global GDP in 2020-21 is estimated at 9 Trillion US\$ which is about 10% of global GDP in 2019. India's GDP growth estimated earlier at 5% for 2019-20 is projected to be lower by at least 1 to 2% due to disruptions started in March 2020. While global economies are heading to the zone of negative growth in the range of 5 - 10% in 2020 India is projected to be among the handful of countries still maintaining positive growth though at a nominal rate of below 2%. IMF projects a 'V' shape recovery of about 9% growth in global GDP during 2021 with an expected growth rate of Indian economy at 7.4% in 2021-22. The actual impact of Covid 19 slow down on various sectors in the economy and also how long the slowdown will continue are yet to be known.

AGRICULTURE 2019-20

Agriculture is a key sector in terms of its contribution to both employment and GDP. Agriculture is the primary source of livelihood for about 48% of population. Improved access to inputs such as fertilizers and seeds, as well as better irrigation and credit contributed to a higher average annual growth rate in recent years. The average annual growth rate remained at around 2.88% during 2014-15 to 2018-19 though with high volatility in different years.

During 2018-19 crop year, food grain production was estimated at 283.37 million tons and projected at 291.1 million tons in 2019-20. Milk production was estimated at 176.3 million tons during FY18, while meat production was 7.4 million tons. India is the second largest fruit producer in the world with horticulture production touching a record high of 313.9 million metric tons (MMT) in 2018-19.

The Sector underwent significant diversification from grains towards pulses, fruits vegetables and livestock products largely driven by evolving demographic, urbanization and demand patterns. India could also achieve remarkable reduction in the proportion of population that is undernourished from around 24% in 1990-91 to 14% in 2019-20. The country has also emerged as a major exporter of several key commodities, currently being the largest exporter of rice globally and the second largest of cotton. Total agricultural exports of India grew at compounded annual rate of 16.45 per cent in 2019 over previous year to reach US\$ 38.54 billion. India is also the largest producer, consumer and exporter of spices and spice products.

However, India's agriculture sector while employing 42% of country's work force accounts only for around 14% of the economy. The share of Agriculture, Forestry and Fisheries Sector in GVA (at 2011-12 prices) has seen a steady decrease over the years from 15.4% in

2015-16 to 14.4% in 2018-19. Agricultural production is also highly fluctuating year to year as around 55% of India's arable lands are rain fed where crop production depends on the amount of rainfall during the monsoon season.

Prevalence of very large number of small holder farmers with declining average size of their holding, declining rate of gross capital formation in the sector, low productivity, climate change, pressure on natural resources such as water, under developed food processing and retail sector, continuing impediments in market resulting in big gap between prices paid by the consumer and return realized by the farmer are some of the other major challenges in Agriculture.

Agricultural policies in India are designed and implemented by a complex system of institutions consisting of Central and State governments, public agencies such as RBI, NABARD etc. Constitutionally agriculture is a state subject. But Central Government plays an important role in policy formulation at national level and funding state governments for implementing such policies and programmes. Having achieved the goal of food security the thrust has changed to remunerative prices to producers and safe guarding the interest of consumers in terms of quality and affordability.

The development strategy for agriculture outlined in Government of India's Economic survey 2020 prioritise small holder agriculture in order to promote sustainable livelihood and poverty reduction by achieving higher productivity and realizing better returns. Farm productivity in turn depends on the use of inputs like fertilizer, access to irrigation, technology, crop intensity and choice crops at the farm. Efficiency in the use of these resources is a major factor determining productivity. Improving resource use efficiency covers following aspects,

i) sustainable water use in agriculture by adopting improved methods of irrigation and irrigation technologies. Water management initiatives like watershed management, drip irrigation and water user associations can play an important role in the strengthening the agricultural sector. Considering the scarcity of water, end users need to be aware of and work towards conserving water. Farmers should be encouraged and given incentives measures for using water judiciously. Government agencies, too need to be empowered to fix and enforce norms for water usage in agriculture. Risk proofing farmer's losses by expanding the insurance net, effective claim management, effective market interventions by government agencies to avoid distress sale and oversupply of agricultural commodities during the peak season are other measures to stabilize prices and income. The Government bodies, private players and the growing agriculture start up community can together transform the sector's outlook.

ii) Economising use of Fertilizers and Pesticides : Fertilizer cost is a major part of total cost of crop production. Per Ha fertilizer consumption after showing steady increase till 2011 started declining after that. Statistics also show a declining trend of fertilizer response ratio or impact of fertilizer on soil fertility. This is attributed to lack of knowledge among farmers about the right quantity, right mix and right method of application as well as time of application of fertilizers based on soil specific and crop specific requirements. Optimal dose based on soil health status, promotion of neem coated urea, promotion of micro nutrients, promotion of organic fertilizers and water soluble fertilizers are suggested to increase fertilizer response ratio.

iii) Organic and natural farming for increasing sustainability in agriculture. National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA) aims to make agriculture more productive and sustainable by promoting location specific integrated farming system

involving appropriate soil and moisture conservation measures. Government launched Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) and Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) to promote various organic farming models such as Zero Budget National Farming (ZBNF). Main aspects of ZBNF are eliminating chemical fertilizers and pesticides and promotion of good agronomic practices. It also aims to promote eco-friendly agriculture for producing chemical free crops. States like Karnataka, Himachal Pradesh and Andhra Pradesh where ZBNF is gaining popularity witnessed sharp decline in input costs and improvement in yields.

iv) Adopting appropriate technology for small holder farming. Use of high end technology and farm machinery are not economically feasible in small holder farming. The thrust should be on promoting environment friendly automated farm machinery and tools suited for small scale operations and setting up custom hiring centers for accessing high-tech machinery by small and marginal farmers. Information and communication technology, especially spread of mobile phones with internet in rural areas has improved access to information by small farmers on prices and weather. ICT also helps to increase market access and financial inclusion.

v) Extension Services. Agricultural extension plays a key role in boosting agricultural productivity, improving rural livelihoods and in adopting better farming practices. Studies show that about 40% of agricultural households access technical advise on agriculture from various available sources.

Progressive farmers and media including newspapers, T.V. and internet are the 3 most accessed sources. Among households that adopted the advise, majority found it beneficial which reflects significance of extension services. Advise received from Agriculture and Veterinary Departments are seen to have greater acceptability and are more likely to be adopted.

vi) Agricultural Credit : Timely credit greatly impact agricultural production. Though there has been

impressive growth in agricultural credit in the last 10 years, large number of farmers are still left out from the formal credit system. Moreover, the Regional Distribution of Agricultural Credit in India is highly skewed. Distribution of agricultural credit is disproportionately low in North-East, hilly and Eastern States. The share of north eastern states is less than 1% of total agricultural credit disbursements by formal credit system. Financial inclusion in north east and eastern India is also relatively less as compared to South and West, which warrants greater distribution of agricultural credit disbursement to this region.

Allied sectors consisting of livestock, poultry, dairy and fisheries are a major sub-sector of agriculture. India has about 300 millions bovines, 65 million sheeps, 135 million goats and 10 million pigs. Livestock farming in India is mostly done as a part of composite farming system comprising of crop production and livestock rearing which complement each other in terms of input output relationship.

Animal husbandry and Dairying : Globally, India ranks first in milk production accounting for 20% of world production. Milk production increased from 55.6 million tonnes in 1991-92 to 176.3 Million tonnes in 2017-18, at an average annual growth rate of 4.5%. India's per capital milk availability is 375 grams which however, varies widely from state to state with 71 grams per day in Assam to 1120 gram per day in Punjab. Of the total milk produced in rural areas about 52% is marketable surplus. Of this, only less than 50% is handled by organized sector including Dairy Cooperatives.

Small Ruminant Sector : Sheep and goat are collectively known as small ruminants. India has 16.1% of world's goat population and 6.4% of sheep population. Of the total livestock population of 512.1 million, sheep and goat at 200 million account for 39% of country's total livestock population. Sheep and goat rearing is an important source of income for resource poor families and supplementary source of income for

farmers in general during lean seasons. Small ruminants have higher survival rate under drought conditions as they require less water and survive on available shrubs and trees in adverse environment in low fertility lands where most of the crops and other animal do not survive.

Fishery Sector : Fisheries is a fast growing sector in India, providing nutrition and food security to a large population. The sector provides income and employment to more than 14.5 million people. India is the second largest fish producer in the world with total production of 13.7 million metric tons in 2018-19 of which 65% was from inland sector. Almost 50% of inland production is from culture fisheries. The sector accounts for 5.23% of total agricultural GDP. Fish and fish products exports were valued at ₹ 47620 crores in 2018-19. Realising the high potential of fisheries, Govt has created a separate Department for Fisheries in February 2019 and merged all schemes in fishery sector in an umbrella scheme of 'Blue Revolution'. Government also created Aquaculture Infrastructure Development Fund (AIDF) starting with an allocation of ₹ 7522 crores for fisheries development. Thrust is also given to integrate Sustainable Development Goals in the development of Fisheries to avoid over exploitation/depletion of marine resources while providing incomes and livelihoods for the poor.

India has set the ambitious goal of doubling farm incomes by 2022. The agriculture sector in India is expected to generate better momentum in the next few years due to increased investments in the sector. Increasing production through enhanced crop productivity, cropping intensity and livestock productivity, lowering cost of production by increased resource use efficiency, diversification towards high value crops, market reforms and MSP based on total cost of production and minimum surplus required, for better price realization by farmers and substantially reducing people dependent on agriculture by shifting them to non farm occupations are the important strategies adopted for doubling farmers income. FPOs

offer tremendous potential to maximize incomes of small holder farmers by involving them deeper in the value chain. The FPO structure is currently in need of support services to enable them to secure business acumen and market linkages. Other key issues such as better insurance terms, quality assessment infrastructure, precision agriculture solutions for better crop management, access to finance, etc. needs to be addressed for the success of the FPO's.

Climate change is a major challenge for agriculture. There should be an effective climate risk adaptation and mitigation strategy at policy level and farm level by developing drought tolerant varieties of crops, effective water management and innovations in farming practices to adapt to minimize the impact of rising temperatures. Solutions for early warning system can play a vital role in estimating and minimizing the risk due to erratic climate change events.

Agriculture in Union Budget 2020-21

Union Budget 2020-21 made an allocation of ₹ 2.83 lakh crore for agriculture and rural development, of which Agriculture, Irrigation and Allied activities accounted for ₹1.60 lakh crore and Rural Development and Panchayati Raj ₹1.23 lakh crore.

- The Budget proposes to continue PM – KISAN, the income support scheme to farmers under which ₹ 6000 is paid to eligible farmer families in three quarterly instalments of ₹ 2000 each.
- Encouraging State Governments to adopt Model Agricultural Land Lease Act of 2016, APMC Act 2017 and Contract Farming Act 2018 to strengthen agricultural marketing.
- In order to promote Solar Energy in agriculture 20 lakh farmers being assisted to set up stand-alone solar pumps for irrigation and 15 lakh farmers to be assisted to solarise their grid connected irrigation pump sets.

- KrishiUdaan Scheme by Ministry of Civil Aviation to facilitate farmers to access domestic as well as international markets for their perishable produce like fruits, vegetables, flowers etc.
- Mapping and geo-tagging of agricultural warehousing and cold storages which has an estimated capacity of 162 million MT through NABARD.
- Strengthening Village Storage Facilities through SHGs with the objective of reducing transportation cost and food losses.
- Setting up Kisan Rail through PPP Model for quick transportation of perishables including milk, meat and fish.
- Milk processing capacity to be doubled from 53.5 million tonnes to 108 million tonnes by 2025.
- Increasing fish production to 200 lakh tonne by 2022-23. Involving youth in fishery extension through 3477 SagarMitras and 500 Fish Farmer Producing Organisations with the objective of raising fishery exports to one lakh crore by 2024-25.
- To encourage farmers to use all types of fertilizers to change the incentive regime for chemical fertilizers.
- PM Fasal Bima Yojana to be extended to 6.11 crore families.
- Focus on micro irrigation through Krishi Sinchai Yojana to be continued.
- One Product One District Programme for better marketing and exports of Horticultural produce.
- Integrated farming system in rain fed areas shall be expanded with focus on multi-tier cropping, bee keeping, Zero Budget Natural Farming and strengthening online national organic products market.

RURAL CREDIT SCENARIO

Historically, farmers in India are resource poor who depend heavily on borrowings to facilitate production and smoothening of consumption pattern. With customary uncertainties of farming under rainfed conditions increasing indebtedness of farmers at exploitative interest rates has been a continuous characteristics of Indian agriculture. Institutional credit was virtually absent till the end of 19th Century though farmers occasionally were given loans by the Govt, especially during drought years. The idea of forming Cooperative Societies to give loans to farmers came only in the beginning of 20th Century. This thinking finally resulted in the enactment of Cooperative Societies Act in 1904. Cooperatives gradually became an important source of agriculture credit throughout the country. Rural credit also received continuous attention of the Govt in the early part of 20th Century. The original Act of 1904 was followed by a new Cooperative Act in 1912 to give legal recognition to Cooperative Credit Societies. Establishment of Provincial Cooperative Banks, resulting in the creation of 3-tier Cooperative credit structure was another important development during this period. The operations of credit cooperatives however, confined to short term loans. At the same time, farmers were in need of long term loans to redeem their land after liquidating prior debts, which claimed a major portion of crops they produced by way of interest on such debts. Land Mortgage Banks were established in early 1920s to meet such long term credit needs of farmers. The establishment of first Land Mortgage Bank in Punjab in 1920 was followed by formation of such banks at provincial and primary levels in the provinces. In spite of all these efforts by 1951, only 3.3% of farmers had accessed credit from Cooperatives and only less than 1% of farmers managed to get loans from Commercial Banks. All India Rural Credit Survey Committee in 1954 observed that agricultural credit fell short of right quantity, was not of the right type and did not serve the

right purpose and often failed to go to the right people. Committee observed several deficiencies in the performance of cooperatives in meeting the credit needs of farmers, but found that cooperatives had a vital role in channelizing credit to the farmers and summed up that 'Cooperation has failed, but Cooperation must succeed'. Agricultural Refinance Corporation was established in 1963 to make long term funds available to Cooperative Rural Credit Structure, particularly Land Development Banks. All India Rural Credit Review Committee was set up in 1966 to review the availability of rural credit and to recommend measures to improve flow of agricultural credit. The Committee recommended that Commercial Banks should play a complementary role along with cooperatives in extending rural credit. Bank nationalisation and introduction of the concept of priority sector lending in 1969 acted as a catalyst to bring commercial banks in the Rural Credit System in a big way. Lead Bank Scheme was also introduced in the same year for decentralized planning under which each district was placed with one of the commercial banks. All these initiatives however, failed to bring desirable improvement in credit flow to agriculture mainly because commercial banks were not tuned to the needs of small and marginal farmers, while cooperatives lacked resources to meet the growing demand for credit. It was on the above background that Regional Rural banks (RRBs) were set up in 1975 based on the recommendations of Narsimhan Working Group. RRBs were conceived as a separate banking structure, combining the co-operative advantages of local feel and familiarity of rural problems and the professionalism and resource base of commercial banks. Thus, towards the end of 70s a Multi-Agency System comprising of Cooperatives, Commercial banks and RRBs was emerged for rural credit. Subsequently, following recommendations of the Committee to Review Arrangements for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development, National

Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD) was set up in 1982, which took over the entire operations of ARDC and the refinancing functions of RBI with regard to agriculture and rural credit. NABARD plays a central role in providing financial assistance and facilitating institutional development in the area of rural credit. 1990s witnessed initiation of financial sector reforms based on the report of Committee on the financial system (Chairman Shri M. Narsimhan 1991). Several committees on Rural Financial System were also constituted during this period including High level Committee on Agricultural Credit through commercial Banks (R.V. Gupta, 1998), Task Force Study on functions of Cooperative credit system and to suggest measures for strengthening (Jagdish Kapoor, 1999), Expert Committee on Rural Credit (V.S. Vyas, 2001), Vaidyanathan Task Force I & II in

early 2000s etc. The financial sector reforms in India since 1990s were carried out mainly on the basis of the recommendations of the above Committees. However, it is observed that while the recommendations relating to Commercial banks and RRBs were mostly implemented those relating to strengthening of Rural Cooperative Credit Structure were not given required attention. Vaidyanathan Task Force Report on STCCS was not fully implemented whereas Vaidyanathan Task Force Report on LTCCS was ignored and not implemented at all.

There has been phenomenal growth in the credit flow to agriculture in the last 15 years as may be seen from the table below showing yearly targets and achievements for agricultural credit from 2005-06 to 2020-21.

Year	Target	Achievement (₹ Crs)
2005-06	1,41,500 (34.76%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (23.67%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (8.98%)
2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (20.76%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,541 (26.94%)
2010-11	3,75,000 (15.38%)	4,68,291 (21.79%)
2011-12	4,75,000 (26.66%)	5,11,029 (9.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.31%)
2014-15	8,00,000 (14.28%)	8,45,328 (15.68%)
2015-16	8,50,000 (6.25%)	9,15,509 (8.30%)
2016-17	9,00,000 (5.88%)	10,65,755 (18.42%)*
2017-18	10,00,000 (11.11%)	11,62,617 (16.26%)
2018-19	11,00,000 (10%)	12,54,762 (14.06%)*
2019-2020	12,00,000	-
2020-2021	15,00,00	-

Note: Figures in parentheses indicate percentage change over previous year

Source: Budget document & Economic Surveys of Gol (2005-06 to 2018-19) & NABARD Annual Reports

*Fig. 17: Agriculture Credit, Pp.157 (Economic Survey 2016-17, Gol).

Out of ₹ 12,54,762 crores disbursed during 2018-19, as much as ₹ 6,26,087.53 crores (provisional) were disbursed to small and marginal farmers forming 49.90% of the total.

Small and marginal farmers, who operate 85% of holdings and account for more than half of the total area cultivated are not getting proportionate share of institutional credit. Farmers require credit for short

term uses such as purchasing inputs, weeding, harvesting, sorting and transporting, or long term uses such as investing in agricultural machinery and equipment, or irrigation. Small and marginal farmers rely mostly on informal sources of credit, at higher rates of interest.

Over the past few decades, especially since 1990-91, the share of long term credit has been constantly decreasing implying that farmers are taking loans for recurring expenditures rather than to fund long term investments. Although the flow of production credit has been on the increase year after year, it has not resulted in proportionate increase in agricultural production, due to falling share of investment credit and slowdown in the rate of capital formation and productivity enhancement.

It is estimated that 75% of the total credit to agriculture has been contributed by Commercial Banks and balance by Cooperatives and RRBs with a share of 15% and 10% respectively. The reported growth in credit, however, is hardly reflected in the field. Nearly half of India's 1540 million farming households are excluded from the formal credit system. Ordinary farmers still find it difficult to access credit from banking system. In spite of domination of Commercial Banks in the statistics of agricultural lending, cooperatives continue to be the source of credit for 60% of borrowing farmers. RRBs have significantly increased their share in agriculture lending accounting for 10% of the total credit and about 20% of total borrowers. The fact that Cooperatives and RRBs together cover nearly 80% of borrowing farm households leaves Commercial banks to finance just 20% of borrowing farmers. Evidently, the direct loans of Commercial Banks to farmers should be much less than what is actually reported. This over counting of agricultural lending by Commercial Banks has caused to vitiate Govt policies in rural credit and drastically diminished the importance of cooperatives in Govt policies and programmes to augment credit flow to the sector.

Agricultural yield (in terms of average per hectare production) is found to be much lower in the case of most crops, as compared to other top producing countries such as China, Brazil and the United States. Key issues affecting agricultural productivity include

the decreasing size of agricultural land holdings, continued dependence on the monsoon due to inadequate access to irrigation, imbalance in the use of soil nutrients resulting in loss of fertility of soil, uneven access to modern technology in different parts of the country, lack of access to formal agricultural credit issues in market blocking.

Profitability of agriculture vis-a-vis other sectors influences private investment in agriculture and relative profitability of different crops determines the inter-crop allocation of land and other resources. Public investment in agricultural infrastructure is an important factor deciding profitability in agriculture. However, public investments in agriculture has been declining sharply in the last few decades. Reversal of the declining trend in public investment in agricultural infrastructure is necessary to resolve the present crisis in agriculture and farmer's distress.

Shifting a large chunk of workforce from agriculture by creating productive work opportunities in the non-farm sector is also required to check the disturbing trend of increasing income disparities between agricultural and non-agricultural occupations.

The most important pre-requisite in the agricultural sector is the need to encourage farmers to make long-term investments. Inevitably, public support is required not only through an increased flow of credit and creation of infrastructural investments but also through the development of agri-markets and investment in agro-processing. The investment needs may differ across countries /regions given their diverse agro-climatic conditions, and the level of agricultural development, and the crop and allied activities being undertaken by them.

Credit acts as an enabling and critical input in the production process. Studies reveal that loans from institutional sources, viz., commercial banks, regional rural banks and cooperatives, provide access to and usage of fertilisers, seeds and other inputs, and are also highly correlated with capital formation. Seen from the demand side, this indicates that nearly 86% of the farm investment in India is undertaken through borrowed money from both institutional and non-institutional sources. The existing institutional finance

mechanism takes care of more than 65% of the total production credit requirements and the balance goes for investment credit. The short term loans provided by all banks largely support for production of crop and lesser share goes towards investment in agriculture. This has affected the capital formation in agriculture which should have been increased substantially over the years mainly because of farmers not getting adequate returns for their investments made by borrowing through institutional credit agencies.

The current estimates suggest that long-term credit is not just declining but also that it constitutes less than a quarter of total agricultural credit. The policy thrust, therefore, has to be on incentivizing banks through adequate budgetary support. Similarly, reviving public sector investment is critical due to its multiplier effect on the overall GCF in the sector.

In India the investment requirements have not been estimated for agricultural growth at state level but only made at national level. The Planning Commission estimated that a 20.41% rate of investment was required to achieve a growth target of 3.5–4.2% during the Twelfth Five Year Plan (2012-17). This investment rate, based on the incremental capital output ratio (ICOR) of 5.32%, is to be met through the public and private (farm household) sectors. Based on the average ICORs from 2007-08 to 2011-12 and 2012-13 to 2013-14 and the targeted 9.23% annual increase in real farm income, the required rate of investment on private account is at 6.62%. In case of public investment ('for' agriculture) the targeted investment rate is assessed at 6.92% per year. In absolute terms, in order to enable the doubling of farmers' real income by generating higher farm incomes, the private investment in India should increase from ₹296 billion (₹29,559 crore) in 2015-16 to cumulative ₹463 billion (₹46,299 crore) in 2022-23, at 2004-05 prices.

Studies undertaken for the earlier periods also reported higher ICORs in agriculture, varying between 2.2 and 4%, which indicates that a one-rupee increase in output per year requires an one-time investment of

₹2.2 to ₹4. The capital requirement would almost double if public investment in infrastructure and supportive investments are also taken into account. With increased fragmented land holdings, it is quite unlikely that marginal farmers would be willing to take investment credit when the adequate return is not assured by such investments. Thus, the risk and return ratio on investment credit being quite high, there will be hesitancy on the part of the small/marginal farmers to borrow at a high cost where the return is going to be far less. As indicated above unless the investment risk return ratio becomes positive, farmers may not be willing to take any risk for putting additional investment by taking loans from institutional agencies.

The institutional credit delivery mechanism does not have long term resources. The refinance facility from NABARD is only by way of liquidity support to the banks. Commercial Banks generally squeeze the repayment period for their investment credit support thereby compelling the farmers to repay their loans even without any income. Hence, they are forced to approach informal sources for their financial needs which carry exorbitant rate of interest. Cooperative banks and RRBs do not have adequate long term resources to augment their share in investment credit. ARDBs are the only source to support the investment credit needs of their members sometimes even with or without NABARD's refinance support. If the share of investment credit by ARDBs need to be expanded, they should be provided with liberalised funding from NABARD or any other higher financing agencies as the ARDBs are the only channel purposely created by the policy makers for providing long term investment credit support. It, therefore, calls for a relook on the refinancing policy of NABARD which should play the proactive role of supporting the ARDBs liberally without any strings instead of adopting restricted lending policies. In fact, NABARD has been first recovering its refinance dues from ARDBs even when they are not in a position to recover from the borrowing members, since its inception. This policy of NABARD needs to be relooked and it should adopt later-end repayment of its refinance instalments by

the ARDBs. Such an approach would give adequate cushion to ARDBs in meeting unfavourable recovery climate arising out of various socio-political reasons and NABARD would also take part in risk sharing approach.

The revamping of LTCCS is badly delayed affecting its ability to meet the Long Term credit needs of farmers. Govt. should implement the revival package for LTCCS recommended by Vaidyanathan Task Force II without further delay.

High interest rates payable by farmers for investment credit is another issue that should be addressed on priority. Central Govt. has taken steps for keeping interest rate of crop loans at affordable rates. After the interest subvention of 3% the maximum interest rate on crop loans is 4% per annum. With additional interest subvention by State Governments crop loans are now available at zero interest rate in some states. However, none of these measures to reduce the cost of agriculture credit has been extended to loans given for farm investments. NABARD's refinance support to banks for investment credit carries interest rates of about 8.50% per annum, making the cost of loans at ultimate borrower level in the range of 12-14% per annum. The huge gap between interest rates of crop loans and investment loans has become a major disincentive for farm investments.

Govt. has set up Long Term Rural Credit Fund in NABARD with annual contributions out of deficit in commercial banks' lending to agriculture. NABARD has been using this Fund for giving investment credit refinance at a lower rate for a maximum period upto 5 years. However, SCARDBs were getting only a small share of LTRCF as their loans are mostly of longer term than 5 years. Based on the recommendations of the Working Group for Enhancing the Share of Investment

Credit by ARDBs and subsequent to the discussions with the Chairman, NABARD on 06th March 2019, NABARD has extended the period of refinance for long term loans to 9 years partly with LTRCF assistance upto 5 years and for the remaining period NABARD would charge interest as applicable to its Normal lendings. This relaxation would go a long way in availing more refinance by providing necessary cushioning for ARDBs to meet the resources crunch to a certain extent.

Financing agriculture, especially under rain-fed conditions, which accounts for 63% of the total area under cultivation, involves high risk. At present, the entire risk involved in farm financing is borne by lending institutions resulting in high level of NPAs with them. For large number of institutions in the cooperative credit structure including ARDBs which cater mainly to small and marginal farmers, the NPAs are beyond tolerable level.

Implementation of Debt Waiver Scheme by Central and State Govts, continued to vitiate the climate of loan recovery. Govt. support to farmers for agriculture insurance should be extended for insuring farm assets also apart from crops. Govt. should also refrain from actions that vitiated recovery climate and restrain from interference in the recovery process of ARDBs.

Most part of the institutional credit goes to a few developed states in the South and North-west regions of India. Consequently, rural areas in Eastern and North-eastern states with huge potential for agricultural growth are not getting adequate credit. Addressing the skewed distribution of credit between various regions as well as between rural communities within each region is another major challenge for rural financial system.

COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE - OVERVIEW

At present the structure comprises of 16 SCARDBs of which only 13 are fully functional with a network of 1722 PCARDBs/branches of SCARDBs at ground level. These banks have a total membership of 1,02,44,345 rural households of which 56,55,969 have outstanding loans. The Total Loans Outstanding and Borrowings Outstanding of these banks as on 31.03.2020 were ₹ 20102.57 crores and ₹ 13437.20 crores respectively.

Fully functional SCARDBs have total deposits of ₹ 2129.21 crores as on 31.3.2020 as against ₹2113.92 crores as on 31.3.2019. Their total lending during 2019-20 stood at ₹4214.40 crores as against ₹4242.50 crores during the previous year. Aggregate recoveries were 38.59% (As on 31 March 2020) as against 36.37% last year.

Overview of Long-Term Cooperative Credit Structure as on 31 March 2020

(₹ Lakh)

Sr. No.	Particulars	During the year	
		2018-19	2019-20
1.	No. of SCARDBs		
	i Fully Functional	13	13
	ii Others	3	3
2.	Network of outlets		
	i Branches of SCARDBs	660	660
	ii PCARDBs and its branches	1,063	1,062
	TOTAL	1,723	1,722
3.	Membership of individuals		
	i Borrowing Members	55,53,215	56,55,969
	ii Non-borrowing Members	46,51,291	45,88,376
	TOTAL	1,02,04,506	1,02,44,345
4.	Loans Outstanding	19,76,087.43	20,10,257.27
5.	Loans Disbursed	4,24,250.14	4,21,439.89
6.	Borrowings Outstanding	14,87,110.14	13,43,719.94
7.	Deposit Outstanding	2,11,392.21	2,12,920.86
8.	Loan Recovery Position		
	As on	2018-19	2019-20
	i Demand	13,18,364.13	14,47,361.95
	ii Recovery	4,79,428.14	5,58,488.85
	iii Recovery %	36.37	38.59
9.	Amount of Profit (As on 31 st March)	12,391.75	15,382.18
	In Profit (Nos.)	8	8
10.	Amount of Losses	24,435.10	18,591.17
	In Loss (Nos.)	5	5
11.	Staff Position		
	i SCARDB Level	4,779	4,576
	ii PCARDB level	4,658	4,493
	TOTAL	9,437	9,069

Issues and Challenges in the Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS)

The LTCCS is primarily designed as non-resource based specialized term lending agency. The structure consists of Agriculture and Rural Development Banks at State and Primary levels. These institutions are not given license to function as Banks coming under the purview of Banking Regulations Act. Hence they are not allowed to take deposits from public like other Rural Financial Institutions (RFIs). As a result, they are dependent heavily on borrowed funds for advancing loans. Before Independence, Government was the main source of funds for their operations. In 1961, Agriculture Refinance Corporation (ARC) was established to mobilize Long Term resources for the operations of Land Development Banks (LDBs). In 1963, ARC was renamed as ARDC. Till formation of NABARD in 1982, Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC) and Agricultural Credit Department (ACD) of RBI together provided funds for the operations of LTCCS. In July 1982, NABARD was formed by merging ARDC and ACD. Since then, NABARD is the main source of funds for the structure for carrying out its lending operations.

The refinance support of NABARD, however, has been steadily declining since the beginning of 2000. This has severely restricted the lending operations of SCARDBs. Moreover, SCARDBs in some States which could not access NABARD's refinance due to non-availability of Govt. guarantee or failure to meet the eligibility conditions for refinance based on its Risk Rating norms had to suspend lending operations for want of resources. SCARDBs are bearing guarantee fee ranging from 0.25% to 2%. Thus, effectively, the margin available for ARDBs is getting reduced affecting their viability. In this context, the Working Group on Enhancing the Share of ARDBs in Investment Credit under the chairmanship of Shri Y.C. Nanda, recommended NABARD to introduce a new additional refinance product to extend refinance to SCARDBs on the basis of their unencumbered quality assets and other qualitative norms without govt guarantee or collaterals.

Inability to meet Short Term production credit/working capital needs of Long Term borrowers has been another major deficiency in the working of ARDBs. Because of restrictions in the Act, SCARDBs in general, were unable to diversify lending to short term purposes until recently. In recent years, ARDBs in most of the States are also meeting short term credit needs of long term borrowers out of funds mobilized as deposits from members and short term borrowings from NCDC and banking system. However, ARDBs still are unable to advance crop loans at 7% interest p.a. as crop loan interest subvention scheme of Government of India is not extended to ARDBs.

The financial performance of institutions in the structure started declining since 90s due to heavy overdues and losses in Govt sponsored schemes, long regime of regulated interest rates without allowing adequate margins to meet their transaction and risk costs and implementation of debt waiver scheme in 1990 by Central Govt without fully reimbursing the loans written off under the scheme. In fact, all rural financial institutions including Commercial banks, RRBs and Short Term Cooperative Credit Structure also incurred heavy financial losses due to the above reasons. While such losses of the Commercial banks, RRBs and STCCS have been compensated by the government through various revamping processes, the losses of ARDBs continue to remain uncompensated. Even though Task Force No.2 for LTCCS headed by Prof. Vaidyanathan recommended a revival package comprising of one time assistance by Central and State Govts for recapitalisation of ARDBs in 2006, it has not been operationalised so far.

The undue delay in implementing the revival package has considerably affected the ability of the structure to meet the credit needs of its members. In spite of these setbacks, the structure continues to be relevant and needs to be strengthened to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The revitalization of the structure involves transformation of SCARDBs and PCARDBs into self-reliant member driven organizations capable of

delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment with focus on capital formation in agriculture.

Deteriorating recovery climate is another major challenge faced by ARDBs. Aggregate average loan recovery at the ground level has been hovering around 50% in the last few years. Though loans are secured by mortgage of land recovery of loan by selling agricultural land is difficult in many States. Inability of the structure to give production credit/working capital loans along with investment credit results in full

benefits of investments not accruing to borrowers who are not able to access short term loans from other agencies. Further, ARDBs which have not introduced short term loan products and saving products are unable to maintain regular contacts with borrowers which is necessary for high rate of repayment. Loan waivers though may be done as an one time measure, gives rise to expectations of further waivers in the future leading to total break-down of agricultural credit system which cannot function without recycling of resources.

FEDERATION DURING 2019-20

A significant event in the history of Long Term Cooperative Credit Structure (LTCCS) in India has been the establishment of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd (NCARDBF) in 1960. Since its inception, the Federation has been playing an important role in the growth of institutions in the sector. It has established effective coordination and promoted understanding among member banks and liaison with Central and State Governments, NABARD and financing agencies of SCARDBs.

Activities of the Federation also include organizing Seminars and Workshops, undertaking research studies and formulation of Plans and programmes through its Planning, Research and Development Cell, compilation and publishing of statistics of member banks' operations, sponsoring of study teams, coordinating investments in debentures, undertaking special training programmes, publicity work, providing guidance and advice on issues relating to operations and governance. The quarterly Land Bank Journal published by the Federation since last 56 years has gained considerable popularity. The Federation is also assisting member banks in business development and expansion by designing new products.

Lobbying with the Government for implementing

revival package comprising of recapitalisation and reforms, guiding SCARDBs in self-driven reform initiatives and guidance and support to member banks in resource mobilization, recovery and NPA management, business expansion and diversification continued to be the thrust areas of Federation's activities during the year.

Lobbying

Revival package for ARDBs

Demand for revival package has been the main focus of Federation's lobbying with Central Govt in the last few years. Vaidyanathan Task Force recommended revival package for LTCCS in 2006 and Government announced its implementation in the Union Budget for 2008-09. Subsequently, a revival scheme was also approved by Union Budget 2009 which, however, could not be circulated due to Lok Sabha election of 2009 was notified soon after that. After elections, Ministry of Finance appointed a Committee headed by Shri Chaturvedi, then Additional Secretary (Finance) to review the revival scheme in the light of implementation of Agricultural Debt Waiver & Debt Waiver Scheme of 2008. Chaturvedi Committee submitted its report in February 2010 recommending implementation of this revival scheme for long term cooperative credit structure with certain minor

modifications. However, no further action was taken to implement this scheme thereafter. Federation has been taking up this matter with various authorities in the Government including Prime Minister and Finance Minister from time to time. Federation has also convened Meetings of Parliamentarians on this issue. Federation has submitted fresh memorandum on this issue to Hon'ble Prime Minister in the eve of this year's Union Budget pointing out the need to revive institutions in the long term cooperative credit structure to boost capital formation in agriculture and to address the credit crisis faced by their member farmers.

The delay in implementing the package aggravated financial weakness of ARDBs and drastically reduced their capacity to meet the credit requirements of about 107 lakh farmers who by and large are unable to access credit from other agencies since their land is already mortgaged with ARDBs. Implementation of the proposed revival package is the only solution to address credit crisis faced by them. The structure which is present in all major states with a network of 2600 outlets has the potential of expanding its annual lending at least by 5 times in the short run from the present level of about ₹ 5000 crs, if revived.

Restructuring of ARDBs into Banks

There is consensus among institutions in the LTCCS as well as their stakeholders including State Govt and NABARD that ARDBs should be converted as regular banks to make them resource based institutions capable of meeting the credit needs of their members adequately and restoring its relevance in the rural financial system. Converting ARDBs into full-fledged banking institutions was one of the major recommendations of Capoor Committee which submitted its report in 1999. Based on the recommendations of Capoor Committee, the RBI in May 2002 constituted a Working Group to consider norms for conversion of ARDBs into full-fledged banks. However, after a few meetings the Working Group was dissolved, before submitting its report with the

observation that, looking at their financial strength and performance time did not come for ARDBs to become full-fledged banks.

Later on, Vaidyanathan Task Force II in its report also suggested that "if on date, or in the future any entity within this structure fulfils the conditions necessary for obtaining a banking licence, the banking regulator may consider it on merit." However, the banking regulator has not prescribed the conditions necessary for obtaining a banking licence by ARDBs, so far.

Another issue in licensing ARDBs is its structural pattern. As per the provisions of Banking Regulations Act, only a state cooperative bank or a district central cooperative bank or a primary cooperative bank is eligible for banking licence. A state cooperative bank and a district central cooperative bank are defined as principal cooperative society for the state or district respectively as notified by the State Govt. Since none of the SCARDBs or PCARDBs are notified as principal cooperative society for any state or district they are not eligible for banking licence in the category of a state cooperative bank or a district central cooperative bank. However, under the extant provisions of BR Act, ARDBs can still be licensed as Primary Cooperative Banks. Unitary SCARDBs are qualified to be licensed as Primary Cooperative Banks without any structural change while there is consensus among federal SCARDBs to adopt unitary structure if it becomes necessary for getting banking licence.

In response to Federation's representation on the subject, RBI has recently informed that the suggestion could not be considered favourably without assigning any specific reasons. Federation continues to pursue the proposal with GOI and RBI.

Crop loan interest subvention scheme

The interest subvention scheme for crop loans implemented by Govt of India is presently not extended to farmers who avail crop loans from ARDBs. The Federation has been persistently taking up with Ministry of Finance to address this issue by including

SCARDBs in the list of institutions through which the crop loan interest subvention scheme is implemented. Another option is to channelize the crop loan refinance to SCARDBs through SCBs by providing a special additional allocation in the limit for crop loan refinance sanctioned to SCARDBs. NABARD Chairman in his meeting with representatives of the Federation on 6th March 2019 informed that such a proposal is under its active consideration which, if implemented, will help SCARDBs to give crop loans to their long term borrowers at interest rates on par with other banks.

Reform initiatives

Core Group for Reform Initiatives (CGRI)

Core Group for Reform Initiatives constituted by SCARDBs continue to have regular meetings in most of the banks. CGRI has been concentrating on deepening of self-driven reforms at the ground level. CGRI also reviews the impact of reforms already initiated in the core areas of new avenues of mobilising resources, introduction of new products, identifying critical areas and taking corrective actions to improve the rating of SCARDBs, preparation of manuals on functional areas with a view to evolve consistent policies and well documented procedure specifying authority and accountability at various levels as well as recovery and NPA management.

The focus of CGRI meetings during 2018-19 was preparation and implementation of special revival plans by SCARDBs with thrust on resource augmentation, business expansion, NPA management and computerisation. During 2019-2020, the Managing Director had attended the two CGRI meetings convened by Gujarat and Rajasthan SCARDBs and guided the banks.

Follow-up with State Governments for enhancing policy support to SCARDBs

The two Conferences of Principal Secretaries of Cooperation and Registrars of Cooperative Societies organised by the Federation in 2012 and 2014 made several important recommendations for improving

legal and policy environment of ARDBs and improving their working in general. Priority to SCARDBs in giving govt guarantee along with simplifying the procedure thereto and waiving guarantee fee or keeping such fees at lower rate in case waiver not possible, waiver of stamp duty and registration fee which is yet to be done in some States, introducing the system of loan documents being executed by the bank and sending the same to sub registrar directly by the bank without involving the borrower which also needs to be introduced in a few more States, removing restrictions on legal recovery measures with regard to wilful defaulters, vesting sale powers with bank officials which also has not yet been implemented in some States, giving permission for accepting deposits by ARDBs in a couple of States where it has not been done so far, amendment in the ARDB/State Cooperative Societies Act to enable ARDBs to meet short term credit needs of members, doing away with separate approval by the Govt for recruitment of staff as per the approved staff pattern etc. were among the important recommendations relating to State Govts made by the above Conferences. The Federation is continuously following up these recommendations with State Govts concerned.

Credit Limit to meet Short term credit needs of long term borrowers

Absence of further financial support to supplement investment credit is a major shortcoming in the working of ARDBs. ARDBs generally give only long term loans leaving the short term credit needs of their members unattended and making them dependent on informal sources for such credit at exorbitant interest rates. Inadequate availability of short term credit also leads to sub-optimum utilisation of long term assets financed by ARDBs which affects borrowers' income and repaying capacity. Further, high cost of informal credit reduces the capacity of members to repay loans availed from the bank. Frequent contact of the borrower with the bank is necessary for timely repayment of loan is also not possible in the absence of further credit support after issuing investment credit.

Fixing supplementary credit limit which can be operated like a revolving cash credit to borrowers of long term loans will serve the twin purpose of meeting short term credit needs and improving loan recovery by increased borrower contact and reduced dependence of borrowers on informal sources of credit. Following are the salient aspects of the scheme.

- To start with SCARDB needs to assess the requirement of funds to finance the scheme and arrange for mobilising required funds through deposits, borrowings from NDCDC, short term credit structure, commercial banks etc.
- Depending on the availability of funds, credit limits may be fixed as a certain percentage of investment credit sanctioned to a member.
- In the case of fresh long term loans, credit limit should be an essential additional component. In the case of existing loans credit limit being sanctioned in the case of non-overdue loans.
- The quantum of credit limit to be fixed on the basis of requirement, repaying capacity, security and availability of funds which can be used for the purpose.
- Credit limit can be sanctioned on the basis of residual market value of security given for long term loan.
- Credit limit can be operated by the borrower like a revolving cash credit subject to payment of quarterly interest and repayment of outstanding principal at the end of its tenure.
- Credit limit which is sanctioned for one year is renewed in subsequent years subject to fulfilment of terms and conditions including timely payment of instalment in other loans.
- The interest on credit limit is being charged on the basis of actual drawals on a quarterly basis.

- Interest rate on drawals from credit limit be fixed based on cost of funds plus reasonable margin to meet transaction and risk costs for both SCARDB and PCARDBs.

Model Recovery Policy

The model Recovery Policy for member banks finalized by the Board of the Federation recently, envisages significant changes in the loan and recovery systems. Banks need to view recovery as an essential part of credit cycle and not just as the final step, so that loan officers remain responsible for recovery of loans during the life of the loan. Timely detection of issues in the loan account can avoid default in repayment to a great extent. The system of quarterly/half yearly/annual due dates generally followed in agricultural term loan makes early detection difficult since by the time a loan account is identified as problematic when one or more instalments are defaulted, the amount of arrears surges beyond the capacity of the borrower to pay in the normal course.

Agriculture is prone to specific risks such as climate risk, price risk, risk of pests and diseases. In spite of reforms introduced in crop insurance through Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana the coverage of Crop Insurance at peak level in the last two years was limited to 40-45% of farmers. Similarly, there is a growing feeling that huge amount of Central and State Government subsidy going into crop insurance scheme actually benefits only the Insurance Companies as annual compensation payouts under crop insurance scheme is only to the extent of 60-65% of gross premium collected, that too with huge delay in disbursements. The total payouts under PMFBY in the last two years were only ₹31613 crores against gross premium collection of ₹470408 crores. It is reported that crop insurance enrolment has come down by 15% this year, which is attributed to a great extent to issues in claim approvals and getting compensations. Apart from crop loss, farmers often suffer substantial losses due to destruction and damage of farm assets in extreme weather events, which have become

frequent in recent times. At the same time, farmers generally are shy of insuring farm assets due to high costs. Like crop insurance scheme, there is need for a Farm Assets Insurance scheme with the financial support of Government to address this problem. In fact, a portion of the huge surplus generated under Crop Insurance scheme at present, can be used for implementing such a scheme. Presently farm assets by and large remain uninsured. The uncompensated losses of farmers on this account significantly increase the risks for banks which finance such assets. The model recovery policy suggests that the banks should endeavor to make clients aware of these risks and should take such risks into account in the loan design. It is necessary to make a provision for rescheduling instalments due under agriculture term loan in a bad crop year either partly or wholly depending on the extent of losses and the impact of such losses on overall repaying capacity of the clients.

Lack of financial literacy among rural clients is another issue coming in the way of timely repayment. It is observed that clients who do not keep records of income and expenses, in spite of having capacity and will, fail to pay on time due to poor management of cash flow. ARDBs should also help such clients to accumulate their routine savings by extending the facility of thrift and saving accounts.

Adequate arrangements for financing working capital/production credit needs of clients who avail investment credit, sanctioning of loan and fixing loan period and due dates strictly based on repaying capacity, regular monitoring of activities undertaken by clients using the loan, introducing incentive scheme to clients for timely repayment, incentive/penalty systems for loan officers for their performance in recovery, cluster based group approach, especially in sanctioning small loans to facilitate regular and continuous follow up, avoiding wasteful expenditure on the part of the borrowers to complete loan procedure, intensive pre-due date

follow up and following a prescribed standard procedure for carrying out post-due date recovery follow up are the other major highlights of the model recovery policy.

The model recovery policy views legal recovery more as a deterrent than as a means to achieve recovery targets. While rescheduling and restructuring with additional period with lower instalments and waiving a portion of charges are recommended for making overdue loan accounts regular when reasons for default are genuine, legal recovery is the only option in the case of clients who avoid repayment in spite of having ability to pay. It is seen that completing legal recovery process effectively in a few cases can drastically bring down the incidence of wilful default. Giving state wide publicity to auction for sale of mortgage property, ensuring participation of prospective buyers from other districts in the auction, sanctioning loans to prospective buyers wherever required, outsourcing legal support for completing sale procedure in case of shortage of staff etc. are some of the suggestions to make legal recovery effective.

Deposit Mobilisation by ARDBs – Scheme of Deposit Mobilisation

ARDBs have been mobilizing deposits under two schemes as below.

- 1) Acceptance of term deposits from public including individuals and institutions based on NABARD/RBI guidelines in 1997, subject to following conditions.
 - (i) Tenure of deposits should be more than one year.
 - (ii) Deposits outstanding should not exceed networth of the work at any time.
- 2) Acceptance of member deposits without tenure restriction or ceiling including thrift deposits, based on schemes approved by the Board.

Deposit Mobilisation by ARDBs suffered setback

during the last 2 years due to unreasonable restrictions imposed by NABARD on accepting short term deposits from members. NABARD has since withdrew the restrictions after the enactment of Banning of Unregulated Deposit Schemes Act (BUDS) Act 2019.

With the enactment of BUDS Act 2019, the powers to regulate deposit schemes of ARDBs now solely vest with State Govt concerned. Under the provisions of BUDS Act, ARDBs can collect deposits from their voting members as well as from others based on schemes approved by State Govt.

Restructured Refinance Product including LTRCF and normal refinance

Based on the recommendations of the Working Group for increasing the share of Investment Credit by ARDBs under the chairmanship of Shri Y.C, Nanda, ex-Chairman, NABARD and subsequent discussions held with the Chairman, NABARD on 06th March 2019, NABARD has decided to increase the repayment period of LTRCF refinance given to SCARDBs to 9 years from the current financial year. This will help banks to avoid Asset Liability mismatch on account of using short tenure refinance for issuing long tenure loans. However, on the restructured refinance product the concessional interest as applicable to LTRCF shall be available only for the first 5 years. For the balance outstanding after 5 years, NABARD will charge interest as applicable to normal refinance prevailing in the beginning of 6th year, which will continue as such till completion of repayment. The Federation vide its circular No.11(Refinance)/2019-20/149 dated 28th June 2019 advised the SCARDBs to fix the rate of interest on loans based on average cost of funds used for farm sector lending to make available the benefit of lower interest rate of LTRCF to all farm sector borrowers since LTRCF funding support cannot be confirmed against a particular loan at the

time of sanction and disbursement when rate of interest of loan has to be fixed.

Even though NABARD allows LTRCF refinance upto 9 years, it will be beneficial for the bank and the borrower to issue 5 year loans and continue to avail 5 year LTRCF as much as possible in view of the substantially higher interest rate in such refinance after 5 years, which will also negatively impact repayment/ recovery of the loan after the initial 5 years.

National Conference of ARDBs 2019

The National Cooperative Agriculture & Rural Development Banks' Federation organized the National Conference of ARDBs 2019 at New Delhi on 21st November 2019. The participants of the Conference consisted of State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks as well as member State Cooperative Banks of the Federation, 114 PCARDBs from various States and representatives of NABARD, NCUI, NCDC, National Informatics Centre and various National Federations.

“Deepening of Internal Reforms for Enhancing the Role of ARDBs in Agriculture and Rural Credit” was the theme of the Conference. The Inaugural Session was followed by presentations of the Conference theme and subthemes in the three business sessions.

The Conference was inaugurated by Shri Parshottam Rupala, Hon'ble Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare. The function was chaired by Dr. Chandra Pal Singh, MP, President, NCUI. Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, NCARDBF welcomed the Guests and delegates to the Conference.

The business sessions of the Conference consisted of seminars on Deepening of Internal Reforms for Enhancing the Role of ARDBs in Agriculture and Rural Credit, internal reforms in LTCCS, NABARD's vision on the future of LTCCS, HR scenario in LTCCS, farmer producer organisations, rating and risk management in the context of LTCCS, sustainable development

and agricultural cooperatives, computerization in ARDBs. Shri Y.C. Nanda, Ex.Chairman, NABARD, Smt. Sarita Arora, Chief General Manager, NABARD, Dr.A.V. Bhawani Shankar, Dy. General Manager, NABARD, Shri D.K. Dekatey, Asst. General Manager, FSDD, NABARD, Shri P.V. Prabhu, Ex.Chief Executive, NCARDBF & Trustee-Secretary, NIRB, Shri N. Satyanarayana, Chief Executive, NCUI, Prof. Alok Mishra, Management Development Institute, Gurugram, Shri D.N. Thakur, Ex. Dy. Managing Director, NCDC, Shri Vaibhav Agarwal, Deputy Director, National Informatics Centre made presentations in the seminar sessions.

Major recommendations/action points of the Conference are listed below.

State Government/Govt of India/RBI

- State and Central Government support and cooperation is necessary in implementing the structural reforms suggested in the Vaidyanathan Task Force II Report. **(Action: State Govts/Gol)**
- Government of India should consider recapitalization of ARDBs without further delay as they are the only agency helping in creation of capital formation in agriculture which has been left out in the restructuring process. **(Action: Gol)**
- Interest subvention scheme for crop loans need to be extended to borrowers of ARDBs to enable them to get crop loans at affordable cost. **(Action:Gol)**
- RBI/Gol need to evolve norms for granting of licensing to eligible SCARDBs as banks. **(Action: RBI/Gol)**
- The State Government may be requested to appoint a Committee at State level consisting of representatives of stakeholders, NABARD to study the working of ARDBs and to suggest measures to strengthen them. **(Action: State Governments)**

- Consequent upon the enactment of Banning Unregulated Deposits Schemes (BUDS) Act, 2019, State Governments to help ARDBs in drawing up deposit schemes to augment short term resources. **(Action : State Govts)**

NABARD

- NABARD to consider refinance support for advancing crop loans at affordable rate. Increased support from LTRCF to moderate average cost of funds. Waiving risk cost of refinance in case of refinance risk proofed by government guarantee. **(Action: NABARD)**
- Qualitative change in the governance through introduction of 'Fit & Proper' criteria and management and ensuring active member participation. **(Action: NABARD)**

Federation

- Accelerated Recovery drive initiated by the Federation need to be continued with renewed vigour with the support of State Government. **(Action: ARDBs/Federation/State Governments)**
- The Federation need to constitute a high level team to study various aspects of the functioning of LTCCS and bring out remedial measures for their revival by preparing a road map for follow-up indicating the areas for different stakeholders. GOI would favourably consider the legitimate demands of the structure based on the above exercise. **(Action: Federation)**

SCARDBs/PCARDBs

- ARDBs to take following measures to step up investment credit.
 - i) Increasing coverage and outreach by opening customer service points and ultra-small branches and appoint business correspondents in potential areas.

- ii) Diversifying to agricultural value chain financing.
- iii) Addressing on priority critical issues affecting risk rating and eligibility for NABARD's refinance.
 - Augmenting resources for lending by
 - i) Expanding avenues for borrowings and strengthening capital base for higher borrowing capacity.
 - ii) Introducing deposit schemes with the approval of State Govts and enhancing mobilization with consistent growth in deposits outstanding.
 - Introducing short term loan products to meet production/working capital/contingent credit needs of members.
 - Speeding up technology adoption and setting time frame for completing the process.
 - Initiate steps to enable PCARDBs to function as Multi Service Centres.
 - To promote FPOs by providing credit support to private initiatives as well as directly undertaking storage, processing and marketing of produce of members to increase their income.
 - To streamline and revamp credit delivery process to face competition from other RFIs.
 - Financially strong SCARDBs to go for rating by accredited rating agencies to borrow from commercial banks on favourable terms.
 - Banks to continue with renewed vigour accelerated recovery drive based on guidelines of the Federation to bring down overdues and NPAs within tolerable limits.
 - Banks to institutionalise reforms in lending and recovery systems by proper documentation and incorporating them in their byelaws and rules.
 - Augmenting capital base for attaining desirable CRAR by increasing the minimum shareholding

of non-borrowing members to Rs. 500 and accepting long term deposits which qualify for Tier II capital and unlocking capital funds locked up in provisions against NPAs.

- Revamping/reviving JLTCs by all SCARDBs as per guidelines for accreditation by C-PEC.
- Strengthening middle management in SCARDBs by recruiting a team of 3-4 professionals (Chartered Accountants, Chartered Financial Analysts, MBAs from reputed management schools etc.).
- Revamping recruitment policy for avoiding delay in filling up vacancies.

Meeting with Shri Vivek Agarwal, IAS, Joint Secretary & Central Registrar of Cooperative Societies

In the meeting held on 04th December 2019, the Chairman and other representatives of the Federation brought to the notice certain serious issues requiring the intervention of the Government like extending crop loan interest subvention of the Government to SCARDBs, no budgetary allocation for investment in the debentures of SCARDBs during 2018-19 and 2019-2020 and requested for restoring the scheme for investment in the debentures of LDBs.

Meeting with Chairman, NABARD on 6 February 2020

Outstanding issues relating to refinance policy of NABARD with respect of SCARDBs were discussed in the meeting. The Federation welcomed the funding support to PCARDBs for extending refinance support to unitary SCARDBs also for developing Multi Service Centres. Making available short term refinance to all SCARDBs which is now restricted to SCARDBs in low risk category and allocated a portion of LTRCF refinance for advancing crop loans as an essential

component of composite term loans were the important suggestions made by the Federation in the discussions with NABARD.

Delegation to Shri Parshottam Rupala, Hon'ble MoS for Agriculture & Farmers Welfare on 12 March 2020

A delegation from the Federation met Shri ParshottamRupala, Hon'ble MoS for Agriculture & Farmers Welfare on 12 March 2020 to represent on outstanding issues in the sector requiring the support of the Govt. The delegation was headed by Federation's Board Member Shri Parbatbhai Patel, MP, Shri K. Shadakshari, Vice Chairman, NCARDBF, Shri K.K. Ravindran, Managing Director, NCARDBF, Shri Charandev Singh Mann, Managing Director, Punjab SCARDB and Shri V.M. Chaudhari, General Manager, Gujarat SCARDB. The delegation requested the intervention of Hon'ble Minister for reactivising the proposal regarding revival package for LTCCS based on the recommendations of VTF II, extending Govt of India's crop loan interest subvention scheme to SCARDBs, evolving norms for tor giving banking licence to ARDBs and reviving budget allocation for contributions to the debentures of SCARDBs on matching basis with State Govts.

Computerisation of ARDBs – Renewal of Contract with NIC

Initial 3 year contract between SCARDBs and NIC has now been expired in some States. The National Informatic Centre (NIC) has now agreed in principle to renew the contract, subject to terms and

conditions being discussed and mutually agreed upon and suggested the Federation to arrange a meeting of representatives of concerned SCARDBs with NIC sometime in the second week of April 2020. In the meantime, Member banks were advised to inform the Federation issues and disputes, if any, to be discussed and sorted out with NIC at the earliest.

Publications

LAND BANK JOURNAL

Federation publishes Land Bank Journal since 1962. Journal publishes research articles and news on Agriculture Rural Credit and Cooperation. We also cover important events in the sector and reports on activities of member banks in the publication.

Annual Statistical Bulletin

Collection and compilation of statistics relating to member banks' operations and publication of Annual Statistical Bulletin is also undertaken by the Cell. Federation is trying to make this important publication up to date by streamlining the reporting system in order to remove the delay in getting ground level data.

Monthly Progress Report of ARDBs

Federation collects and compiles data on member banks' key operations on a monthly basis for review at its level and reporting to Govt. of India. Loan disbursements, Recovery performance, Borrowings and Deposit Mobilisation are the main areas covered in the monthly progress report.

AFFILIATIONS

At National level

Federation is affiliated to the following organizations at the national level.

National Cooperative Union of India (NCUI)

Federation is a member of NCUI and associates actively with its programmes. Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, is Federation's representative in the General Body of NCUI, who is also elected to the Governing Council.

Cooperative Bank of India (COBI)

Federation is one of the founder members of COBI. Shri K. Sivadasan Nair, Chairman of the Federation was nominated to the General Meeting of COBI and is also an elected member in the Board.

National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC)

Shri K. Ravinder Rao, Vice Chairman of the Federation represents the General Body and Board of NAFFAC.

National Cooperative Development Corporation (NCDC)

Shri K.K. Ravindran, MD, Federation has been nominated as a Member of General Council of NCDC by Govt of India under Section 3(4)(XVII) of NCDC Act 1962.

Federation is also holding associate membership with the following organizations.

- Indian Merchants Chamber (IMC)

- Indian Banks' Association (IBA)
- Indian Society for Studies in Cooperation
- Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC)

Centre for International Cooperation and Training in Agricultural Banking (CICTAB)

MD, Federation is a member of General Council of CICTAB.

At International level

International Cooperative Alliance (ICA)

Federation is a member of ICA global as well as ICA Asia-Pacific Region. Federation also associates with various Committees of ICA.

Shri K. Sivadasan Nair, Chairman is elected as Chairman of ICA AP Committee on Banking and Credit.

Shri Nair was also elected as Vice President of International Cooperative Banking Association (ICBA) which was reconstituted in the ICA Global Assembly held in Kigali in October 2019.

Asia and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA)

Federation is a founder member of APRACA. Shri K.K. Ravindran, MD, Federation is a member of its General Body since 1996.

International Raiffeisen Union (IRU)

Federation is a member of IRU. Chairman represents the Federation in the General Body of IRU.

MANAGEMENT OF THE FEDERATION

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar- Jharkhand)
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

Board of Management

As per Byelaw No. 20 (iii), the Board of Management of the Federation consists of 19 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is ex-officio member of the Federation. 4 positions of elected members representing member banks are vacant.

The Board of Management of the Federation consists of the following persons :-

(As of September 2020)

Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
1.	Shri K. Sivadasan Nair Chairman	Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
2.	Shri K. Shadakshari Vice Chairman	Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
3.	Shri Bijay Kumar Singh Vice Chairman	Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand)

Sr.No.	Name of Board Member	Member Bank representing
4.	Shri K. Ravinder Rao Vice Chairman	Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.
5.	Shri Marchynna Syiem Vice Chairman	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
6.	Shri Parbatbhai Patel, MP	Co-opted
7.	Dr. Bijender Singh	Delhi State Cooperative Bank Ltd.
8.	Shri R. Parimel Azhagan	Tamil Nadu Cooperative State agriculture & Rural Development Bank Ltd.
9.	Shri Moinul Hassan	West Bengal State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
10.	Shri Balwinder Singh	Punjab State Co-operative Agriculture Development Bank Ltd.
11.	Shri Arvind Kumar Singh	Uttar Pradesh Rajya Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.
12.	Shri Jitendra Prasad	Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
13.	Shri V.M. Chaudhari	Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
14.	Shri Naresh Goyal	Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
15.	Shri Vivek Chauhan (HPAS)	Himachal Pradesh State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
16.	Shri Mohammad Aslam Bhat	Jammu & Kashmir State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
17.	Shri Pramod Reang, MLA	Tripura Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
18.	Shri K.K. Ravindran	Managing Director, NCARDB Federation

Executive Committee

As per Byelaw No. 26(a), Executive Committee shall consist of Chairman, 4 Vice Chairmen, Managing Director and 5 Board members elected by the Board.

- (1) **Shri K. Sivadasan Nair**, Chairman
(Kerala State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- (2) **Shri K. Shadakshari**, Vice Chairman
(Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.)
- (3) **Shri Bijay Kumar Singh**, Vice Chairman
(Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. Bihar - Jharkhand)

(4) **Shri K. Ravinder Rao**, Vice Chairman
(Telangana State Cooperative Bank Ltd.)

(5) **Shri M. Syiem**, Vice Chairman
(Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.)

(6) **Shri K.K. Ravindran**, Managing Director, NCARDBF
(3 positions remained vacant as of September 2020)

Administrative Committee

As per Byelaw No. 27(a), the Administrative Committee consists of Chairman, 4 Vice Chairmen and the Managing Director. Following are the members of Administrative Committee as of September 2020.

- | | |
|---|---|
| <p>(1) Shri K. Sivadasan Nair, Chairman</p> <p>(2) Shri K. Shadakshari, Vice Chairman</p> <p>(3) Shri Bijay Kumar Singh, Vice Chairman</p> | <p>(4) Shri K. Ravinder Rao, Vice Chairman</p> <p>(5) Shri M. Syiem, Vice Chairman</p> <p>(6) Shri K.K. Ravindran, Managing Director</p> |
|---|---|

Meeting of General Body, Board and Executive Committee during the financial year 2019-20

The Meetings of the General Body, Board and Administrative Committee during the year under report with dates and venues are listed below :

Meetings	Place	Date
(a) Annual General Meeting	Mumbai	10 June 2019
(b) Board of Management		
158 th Board	Mumbai	10 June 2019
159 th Board	Hyderabad	18 January 2020

Important issues discussed in Board Meetings

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under NABARD refinance, advances, recovery etc. also considered and discussed the following subjects in its meetings.

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Report of the Working Group on enhancing the share of ARDBs in Investment Credit – Action points for Federation and Member banks. 2. Model Recovery Policy for farm and non-farm term loans. 3. Communication to SCARDBs regarding actions required to step up lending and drawal of refinance. 4. Review of the sub – Committee on Undertaking Income generating activities through Subsidiaries under Byelaw No. 3(b)(xiii). 5. Interest rates on NABARD’s refinance with effect from May10, 2019. 6. Organising Training programmes for Non-Official Directors of SCARDBs and Directors in the Branch advisory Committees of PCARDBs during 2019-20. | <ol style="list-style-type: none"> 7. The calendar of Programmes for the financial year 2019-20. 8. Review of performance of SCARDBs during April’18 – March’19 in key operational areas. 9. Long term Refinance Policy for PCARDB’s as Multi service Centers through SCARDBs- Refinance policy for 2019-20. 10. Banning of Unregulated Deposit Schemes (BUDS) Act 2019. 11. National Conference of ARDB- Proceedings and action Points. 12. Action Plan to enhance market share of ARDBs in Investment credit. 13. Long Term Refinance for Investment Credit for Agriculture- Long Term Rural Credit Fund 2019-20 (LTRCF) – SCARDBs 14. Interest rate on NABARD Refinance. 15. Licensing State Cooperative Agriculture & Rural Development Banks (SCARDBs) within the Purview of BR Act. – Letter from RBI Dt. 7 August 2019. 16. Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) - Contribution of the scheme for the financial year 2019-20- Revision in the margin requirement. 17. Review of performance of SCARDBs during April’19 – October’19 in key operational areas. |
|---|---|

FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure Accounts for the year 2019-20 are given below:

ASSETS AND LIABILITIES

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	LIABILITIES	As on		Sr.No.	ASSETS	As on	
		31.3.20	31.3.19			31.3.20	31.3.19
1.	Reserves & Other Funds	2171.37	2143.37	1.	Cash & Bank Balances	15.03	12.38
2.	Secured Loans	0.00	0.00	2.	Investments	1919.12	1863.99
3.	Other Liabilities & Provisions	79.55	75.17	3.	Fixed Assets	212.11	218.85
4.	Surplus transferred from Income & Exp.A/C	16.10	14.57	4.	Sundry Debtors & Receivables	116.33	94.33
				5.	Loans & Advances	0.98	6.25
				6.	Long Term Capital Loss (c/f)	0.00	33.73
				7.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	3.45	3.58
	TOTAL	2267.02	2233.11		TOTAL	2267.02	2233.11

INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Amount	
		2019-20	2018-19
	INCOME		
1.	AMS & Additional contributions from member banks	84.90	77.97
2.	Interest & Dividend Incomes	205.58	199.15
3.	Grants received (GOI, NCUI, NABARD)	11.00	8.00
4.	Miscellaneous Income / Guest House service charges	0.15	0.15
5.	Recovery from BDDR, Excess Provision reversed & old Payables written off	0.46	24.96
	TOTAL (1 to 5)	302.09	310.23
	EXPENDITURE		
1.	Management Cost	125.80	114.86
2.	Other Office Expenses	30.70	60.74
3.	Meetings/Seminar/Conference Expenses/Award Function	18.32	8.09
4.	Premises Maintenance Expenses	8.58	8.12
5.	Provisions /Reserves	102.58	103.85
	TOTAL (1 to 5)	285.98	295.66
	Surplus	16.11	14.57

BRIEF PROFILE OF MEMBER BANKS

Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.			
489, Ashram Road, Opp. Nehru Bridge, Navrangpura, Ahmedabad - 380 009			
Email gscardb@gmail.com		Telephone Nos. 079-26585365/70/71	
Custodian Shri Chetan N. Parmar		General Manager: Shri V. M. Chaudhari	
Staff Position At SCARDB (HO & Branches) – 317+230 (Contract/Fixed Bade)		Interest Rate On Loans : 11.00% to 13.00% On Deposit Collection : 5.75% to 6.00%	
Key Financial Parameters (₹ Lakhs)			
Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	57965.12	58196.20	56001.13
Loans Disbursed	17762.88	14956.81	13652.26
Total Paid up Capital	4590.85	4532.39	4445.99
Free Reserves	54874.66	56036.78	25017.33
Capital to Asset Ratio (%)	49.07	49.05	56.95
Deposit Outstanding	26078.30	27041.55	26711.86
Borrowings Outstanding	39201.55	34226.78	40217.36
Net Profit	2100.14	2101.52	2525.00
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

Haryana State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.			
Shakarita Bhavan, Bay No. 31-34, Sector 2, Panchkula – 134 112			
Email – pa2md.hscardb@gmail.com		Telephone No. 0172-2587040	
Chairman		Managing Director: Shri Naresh Goyal	
Staff Position At SCARDB : 68 At PCARDB : 743		Interest Rate On Loans : 12.00% to 13.00% On Deposit Collection : NR	
Key Financial Parameters (₹ Lakhs)			
Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	196679.28	193118.05	187944.16
Loans Disbursed	7721.39	2644.00	7246.73
Total Paid up Capital	4509.36	4509.36	4361.02
Free Reserves	42144.90	42144.90	49587.18
Capital to Asset Ratio (%)	NR	NR	NR
Deposit Outstanding	15.16	10.33	538.97
Borrowings Outstanding	165209.22	157359.64	136331.61
Net Profit/Loss*	(3188.11)	(7638.23)	6392.30
Accumulated Loss, If Any	37788.30	45426.53	39034.23

NR - Not Reported.

*Figures in Bracket indicate Loss.

Himachal Pradesh State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.

Block No. D-3, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-171 009

Email: hpardbank@gmail.com

Telephone No. 0177-2621437

Chairperson
Smt. Sashi Bala

Managing Director
Shri Vivek Chauhan, (HPAS)

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches): 170
At PCARDB: 50

Interest Rate
on Loans: NR
on Deposit Collection: NR

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	42423.13	45388.81	44091.67
Loans Disbursed	8217.82	8498.79	5813.49
Total Paid up Capital	2440.36	2606.35	2618.92
Free Reserves	2121.95	2121.95	2121.95
Capital to Asset Ratio (%)	10.76	10.58	10.24
Deposit Outstanding	10095.17	9910.55	10200.40
Borrowings Outstanding	27083.93	27716.86	24227.08
Net Profit/Loss*	127.43	22.80	(185.41)
Accumulated Loss, If Any	-	-	35.18

NR - Not Reported.

*Figures in Bracket indicate Loss.

Jammu & Kashmir State Cooperative Agri. & Rural Dev. Bank Ltd.

House No. 12, Post Office Lane, Hyderpora, Near Mubarak Hospital, Srinagar - 190 014.

Email: scardjk@rediffmail.com

Telephone No. 0194-2431892/2431965

Managing Director
Shri Mohammad Aslam Bhat

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) - 239

Interest Rate
On Loans – 14.50%
On Deposit Collection – 7.75%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	5663.61	5788.43	5766.49
Loans Disbursed	1268.75	1182.79	904.43
Total Paid up Capital	2999.25	3016.92	NR
Free Reserves	14.05	237.63	NR
Capital to Asset Ratio (%)	NR	51.12	NR
Deposit Outstanding	15059.47	16645.93	18033.67
Borrowings Outstanding	616.00	641.00	616.00
Net Loss	693.10	7993.97	9602.86
Accumulated Loss, If Any	6800.34	NR	NR

NR - Not Reported.

Karnataka State Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

Tippu Sultan Palace Road, Chamrajpet, P.O. Box No.1811, Fort, Bangalore - 560 018.

Email – stskscardb@gmail.com

Telephone No. 080-26702024/74

President:

Shri K. Shadakshari, Ex. MLA

Managing Director:

Dr. K. C. Yathish Kumar, KCS

Staff Position

At SCARDB : 306

At PCARDB : 575

Interest Rate

on Loans – 3.00% to 6.00%

on Deposit Collection – 9.40%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	179600.41	178226.78	177906.21
Loans Disbursed	19858.13	23377.07	26439.46
Total Paid up Capital	7662.56	7854.87	8228.55
Free Reserves	4829.59	4939.20	4657.36
Capital to Asset Ratio (%)	6.23	6.38	NR
Deposit Outstanding	36878.30	41469.07	47860.33
Borrowings Outstanding	148731.22	141693.40	125547.86
Net Profit	68.69	75.67	NR
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

NR - Not Reported.

Kerala State Cooperative Agricultural & Rural Dev. Bank Ltd.

Land Bank Building, Post Box No. 56, Statue Junction, Thiruvananthapuram - 695 001

Email: ho.cardbank@gmail.com

Telephone No. 0471-2460595

President

Shri Soloman Alex

Managing Director

Shri V. Ratheesan, IAS

Staff Position

At SCARDB: 177

At PCARDB: NR

Interest Rate

On Loans – NR

On Deposit Collection – 6.75%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	636161.04	665853.77	711836.63
Loans Disbursed	232755.01	220951.61	221763.38
Total Paid up Capital	18843.28	19152.83	20432.36
Free Reserves	30201.41	40933.05	43324.02
Capital to Asset Ratio (%)	10.71	11.98	12.14
Deposit Outstanding	59378.94	47978.40	40963.75
Borrowings Outstanding	577682.28	622408.42	596333.18
Net Profit	2753.18	2565.50	2780.50
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

NR - Not Reported.

Pondicherry Cooperative Central Land Dev. Bank Ltd., P-106

No. 24, Colas Nagar, Uppalam, Puducherry - 605 001

Email – pcclodb@dataone.in

Telephone Nos. 0413-2357985/2358827

Administrator :
Smt. V. Sarojini

Managing Director –
Thiru A. Iryasappan

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) : 30

Interest Rate
On Loans: 11.50% to 13.50%
On Deposit Collection: 8.50%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	3021.58	3188.84	NOT REPORTED
Loans Disbursed	2381.76	2441.57	
Total Paid up Capital	463.69	484.67	
Free Reserves	270.89	136.01	
Capital to Asset Ratio (%)	NR	NR	
Deposit Outstanding	2691.86	2989.27	
Borrowings Outstanding	534.66	385.70	
Net Loss	41.75	50.64	
Accumulated Loss, If Any	383.86	434.50	

NR - Not Reported.

Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank Ltd.

SCO No.51-54, Bank Square, Sector 17-B, Chandigarh-160 017

Email – sadbmd@gmail.com

Telephone Nos. 0172-2708134/5011708

Chairman:
Shri Kamaldeep Singh

Managing Director:
Shri Charandev Singh Maan

Staff Position
At SCARDB: 192
At PCARDB: 632

Interest Rate
On Loans – 10.95% to 11.80%
On Deposit Collection – 6.75% to 6.95%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	269209.05	253854.60	227362.68
Loans Disbursed	28562.51	17486.17	1254.23
Total Paid up Capital	7853.15	7888.15	7888.15
Free Reserves	12791.19	23397.92	23128.40
Capital to Asset Ratio (%)	12.96	12.92	14.26
Deposit Outstanding	34495.46	23518.03	25485.80
Borrowings Outstanding	240564.22	204885.55	180378.87
Net Profit	828.95	120.49	227.34
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.

Nehru Sahakar Bhawan, Western Block, 22- Godown Circle, Bhavani Singh Road, Jaipur - 302 005

Email: rsldb@yahooin

Telephone Nos. 0141-2740760

Administrator:
Shri G. L. Swami

Managing Director :
Shri Jitendra Prasad

Staff Position :
At SCARDB: 58
At PCARDB: 271

Interest Rate
On Loans – 15.59%
On Deposit Collection – Not accepting Deposit

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	162972.89	157159.70	147638.65
Loans Disbursed	24372.30	13932.53	7939.28
Total Paid up Capital	3930.53	3988.06	3991.06
Free Reserves	51656.97	52057.40	56990.47
Capital to Asset Ratio (%)	8.79	12.80	15.59
Deposit Outstanding	1328.00	1242.15	579.70
Borrowings Outstanding	123744.00	113791.84	96674.69
Net Profit/Loss*	(4391.65)	4420.46	2992.90
Accumulated Loss, If Any	-	-	--

*Figure in Bracket indicate Loss.

Tamil Nadu Cooperative State Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

No. 181 & 183, Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600 004

Email – sldbchn@yahoo.co.in /tncsardbho@gmail.com

Telephone No. 9445034060/9445034070

Chairman :
Shri R. Parimel Azhagan

Managing Director :
Smt. R. Brindha

Staff Position
At SCARDB : 93
At PCARDB : 455

Interest Rate
On Loans – 8.25% to 9.00%
On Deposit Collection: 7.00% to 7.25%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	68652.15	73647.60	92846.82
Loans Disbursed	69702.35	77322.15	97474.75
Total Paid up Capital	4120.26	4324.00	4324.00
Free Reserves	7773.00	12223.00	12356.00
Capital to Asset Ratio (%)	44.08	38.21	NR
Deposit Outstanding	22443.00	23249.00	24130.55
Borrowings Outstanding	6395.00	6397.00	6424.49
Net Profit	1043.54	2762.39	30.77
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

NR - Not Reported.

Tripura Cooperative Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

Office Lane, Agartala - 799 001

Email – tcardsbld.2012@gmail.com

Telephone No. 0381-2323972

President
Shri Pramod Reang, MLA

General Manager
Shri Apurba Krishna Chakraborty

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) : 23

Interest Rate
On Loans : 14.25% to 16.25%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	1646.94	1322.58	NOT REPORTED
Loans Disbursed	13.70	0.00	
Total Paid up Capital	1019.35	1000.43	
Free Reserves	8.85	8.85	
Capital to Asset Ratio (%)	39.53	NR	
Borrowings Outstanding	961.02	559.83	
Net Profit/Loss*	19.68	(301.26)	
Accumulated Loss, If Any	1645.38	1946.64	

NR - Not Reported.

*Figures in brackets indicate Loss.

Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.

10, Mall Avenue, Lucknow - 226 001

Email – upsgvb@yahoo.in

Telephone Nos. 0522-2238844 / 2238855

Chairman
Shri Santraj Yadav

Managing Director
Shri Arvind Kumar Singh

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches): 2855

Interest Rate
on Loans – 13.00% to 13.50%
on Deposit Collection – 6.00%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	336079.54	313280.48	280706.46
Loans Disbursed	6251.27	15180.32	5113.32
Total Paid up Capital	31822.82	30413.10	28692.41
Free Reserves	79628.27	79109.55	79006.00
Capital to Asset Ratio (%)	23.76	25.01	25.00
Deposit Outstanding	6033.79	5474.32	5161.62
Borrowings Outstanding	151300.53	137592.72	70876.54
Net Profit/Loss*	191.80	(8451.20)	NR
Accumulated Loss, If Any	2504.05	10955.26	NR

NR - Not Reported.

*Figures in brackets indicate Loss.

West Bengal State Coop. Agriculture & Rural Dev. Bank Ltd.

25-D, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017

Email – wbscardb@gmail.com

Telephone Nos. 033-22871786/87

Special Officer:
Shri Moinul Hassan, Ex-MP

Managing Director:
Shri Amlan Bhattacharya

Staff Position
At SCARDB (HO & Branches) : 80
At PCARDB : 585

Interest Rate
on Loans – 7.88% (Tentative)
on Deposit Collection – 6.89% (Tentative)

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	110015.55	114462.63	124690.55
Loans Disbursed	22333.84	25090.39	29223.46
Total Paid up Capital	4161.11	4173.11	4247.27
Free Reserves	1059.89	1170.47	1266.74
Capital to Asset Ratio (%)	3.44	3.25	3.16
Deposit Outstanding	20577.52	22198.50	22764.85
Borrowings Outstanding	84030.41	89367.46	93950.26
Net Profit	244.05	322.93	357.70
Accumulated Loss, If Any	1211.27	1044.13	865.92

SCBs

Delhi State Cooperative Bank Ltd.

31, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi – 110 002

Email: dscbho@gmail.com/bkg.dscb@gmail.com

Telephone No. 011-41705038

Chairman:
Dr. Bijender Singh

Managing Director:
Smt. Anita Rawat

Staff Position
At HO: 65
At Branches: 453

Interest Rate
On Loans : 7.00% to 18.50%
On Deposit Collection: 3.00% to 6.50%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	76965.33	80292.92	83041.38
Loans Disbursed	20697.26	17553.40	23403.41
Total Paid up Capital	1335.99	1612.46	1674.56
Free Reserves	22861.97	24992.27	26888.98
Capital to Asset Ratio (%)	46.67	49.86	50.18
Deposit Outstanding	114154.35	118577.85	122044.43
Borrowings Outstanding	1103.29	248.58	NR
Net Profit	2913.17	3009.64	3038.47
Accumulated losses, if any	-	-	-

NR - Not Reported.

Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.

M. G. Road, Head Office, Shillong – 793 001

Email – apexbank@sanchamet.in / mcab@dataone.in

Telephone Nos. 0364-2224160/2225190

Chairman:
Shri Marchynna Syiem

Managing Director:
Shri Osmand E. J. Nongbri

Staff Position
At HO: 145
At Branches: 430

Interest Rate
On Loans – 9.00% to 10.00%
On Deposit Collection – 4.00% to 7.25%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	117302.21	137200.27	167311.99
Loans Disbursed	18806.52	NR	NR
Total Paid up Capital	935.75	939.31	939.31
Free Reserves	12123.90	13085.60	14085.28
Capital to Asset Ratio (%)	19.68	19.10	NR
Deposits Outstanding	245979.01	265676.69	281319.75
Borrowings Outstanding	5004.53	5405.10	4824.04
Net Profit	944.95	1025.24	1500.00
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

NR - Not Reported.

Telangana State Cooperative Apex Bank Ltd.

4-1-441, Bank Street, Troop Bazar, Abids, Hyderabad - 500 001

Email – mdoffice@tscab.org/presidentsoffice@tscab.org

Telephone Nos. 040-24685567

President :
Shri Konduru Ravinder Rao

Managing Director:
Dr. Nethi Muralidhar

Staff Position
At HO : 226
At Branches : 252

Interest Rate
on Loans – 5.00% to 14.00%
on Deposit Collection – 4.75% to 6.60%

Key Financial Parameters (₹ Lakhs)

Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	519575.61	559680.95	620283.37
Loans Disbursed	604400.18	608112.82	782100.84
Total Paid up Capital	14410.03	15729.62	17199.25
Free Reserves	31859.82	34753.77	37703.99
Capital to Asset Ratio (%)	10.49	10.76	10.89
Deposits Outstanding	385125.24	362225.81	464489.11
Borrowings Outstanding	338843.19	350198.80	356432.44
Net Profit	4061.25	4436.36	4894.12
Accumulated Loss, If Any	-	-	-

Other SCARDBs

Assam State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.			
Ashram Road, Ulubari, Guwahati – 781 007.			
Email – ascardbanktdggy@gmail.com		Telephone No. 0361-2522201	
Chairman Shri Ananda Bhuvan Das		Chief Executive Director : Shri Ghana Pegu	
Staff Position At SCARDB (HO & Branches): 184		Interest Rate On Loans : NR On Deposit Collection: NR	
Key Financial Parameters (₹ Lakhs)			
Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	996.22	1095.77	1178.60
Loans Disbursed	182.28	226.94	208.33
Total Paid up Capital	660.44	674.42	686.37
Free Reserves	1061.39	1061.39	1061.39
Capital to Asset Ratio (%)	46.32	46.67	NR
Deposit Outstanding	266.15	357.71	316.78
Borrowings Outstanding	2952.17	2952.17	2952.17
Net Profit/Loss *	16.166	(1.21)	NR
Accumulated Loss, If Any	7635.38	7636.60	7636.60
NR - Not Reported. *Figures in brackets indicate Loss.			

Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd.			
Budh Marg, Patna – 800 001			
Email – ldbpat@gmail.com		Telephone No. 0612-2226221/22	
Chairperson Smt. Mamta Singh		Managing Director: Shri Ajay Kumar Singh	
Staff Position At SCARDB (HO & Branches): 478		Interest Rate On Loans – 11.00%	
Key Financial Parameters (₹ Lakhs)			
Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
Loans Outstanding	5032.95	NR	NOT REPORTED
Loans Disbursed	175.00	169.00	
Total Paid up Capital	2833.32	NR	
Free Reserves	1554.78	NR	
Capital to Asset Ratio (%)	3.20	NR	
Deposit Outstanding	471.26	NR	
Borrowings Outstanding	860.66	860.66	
Net Loss	2485.60	NR	
Accumulated Losses If any,	-	-	
NR - Not Reported			

MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2019-20

Data on operations of fully functional SCARDBs during 2019-20 are furnished in Statements given in the Annexures of this Report.

Aggregate advances by 13 fully functional SCARDBs were ₹4214.40 crores compared to ₹4242.50 crores during the previous year. Aggregate lending by SCARDBs flattened around this level for the last few years mainly on account of stagnating funding sources. Further, 4 out of 13 fully functional SCARDBs could not access NABARD's refinance for a long time and also there has been no growth in the drawal of refinance by others except Kerala which continues to account for more than 50% of the aggregate advances. Kerala SCARDB is the only Bank which registered significant growth in lending in recent years which also helped to keep the aggregate level not going down drastically. West Bengal, Karnataka and Tamil Nadu SCARDBs are the other 3 SCARDBs which performed better than previous year. Haryana SCARDB after near stoppage during 2018-19 revived lending during the year to some extent. Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan are among major banks whose lending during the year was significantly lower than the previous year.

Total loan outstanding of SCARDBs as on 31.3.2020 is stood at ₹20102.57 crores as against ₹19760.87 crores during the previous year indicating only a slight increase in business level.

Total borrowings of SCARDBs during 2019-20 stood at ₹4077.74 crores as against ₹3513.21 crores during 2018-19. 51% of borrowings was sourced from NABARD while NDCDC and banking system accounted for 46% and the balance 3% came from government sector.

Aggregate borrowings outstanding of fully functional SCARDBs came down to ₹13437.20 crores as on 31.3.2020 as against ₹14871.10 crores as the same

during the previous year. NABARD's refinance at ₹11514.16 crores accounted for 86% of the total borrowings outstanding. Outstanding refinance of NABARD slightly increased by 0.78% during the year from ₹11514.16 crores to ₹11604.44 crores. Haryana SCARDB reduced its borrowing outstanding significantly by fully redeeming short term loans taken from NDCDC in the previous year and annual redemption of NABARD's refinance without availing fresh refinance during the year.

Total deposits of fully functional SCARDBs, outstanding as on 31.3.2020 were ₹2129.21 crores as against ₹2113.92 crores as of March 31, 2019. Kerala and Karnataka SCARDBs, occupy first two positions in deposit mobilization followed by Gujarat, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal while deposit mobilization is yet to pick up momentum in Haryana and Uttar Pradesh. Out of 12 banks for which details are available, 8 banks increased outstanding deposits at the end of 2019-20 and 4 banks suffered negative growth compared to the position in the previous year.

DCB Position of SCARDBs slightly improved during the year 2019-20 Aggregate average recovery of SCARDBs increased to 42.06% from 40.70% during the period. At the Ultimate Borrower level average recovery of banks increased from 36.37% to 38.59%. However, recovery position is yet to return to pre-demonetization level in most of the States.

Aggregate demand of SCARDBs during 2019-20 increased by 10.5% from ₹10766 crores to ₹11898 crores during the previous year. Absolute amount of collections increased by 14% from ₹4381 crores to ₹5004 crores. In spite of better recovery, aggregate amount of overdues at SCARDB level increased to ₹6894 crores from ₹6384 crores registering a growth of 8% over the previous year.

At the Ultimate Borrowers level, aggregate demand increased from ₹13183 crores in 2018-19 to ₹14473 crores in 2019-20 registering a growth of 9.8%. Against this, recoveries during 2019-20 were ₹5585 crores compared to ₹4797 crores in the previous year registering a growth of 16.4%. However, absolute amount of overdues at Ultimate Borrowers level increased by 6% from ₹8389 crores in 2018-19 to ₹8889 crores in 2019-20.

Aggregate average of gross NPAs of SCARDBs increased to 29.50% in 2019-20 from 27.08% in the previous year. Only Kerala and Pondicherry have gross NPA at tolerable levels of 5.81% and 2.22% respectively. Tamil Nadu also could contain NPA at 15.64%, while gross NPAs of all other SCARDBs stood

above 20% and even crossed 80% in the case of Tripura and Haryana.

According to pre-audited data, among fully functional SCARDBs, 8 banks posted net profits during 2019-20. Haryana SCARDB which was in losses last year made a turn-around this year. However, Himachal Pradesh SCARDB which was in profit continuously for many years till last year incurred net losses of about ₹1.85 crores during the year. Total profits earned by these banks during 2019-20 increased to ₹153.82 crores from ₹123.92 crores in the previous year. Total losses of 5 SCARDBs which incurred net losses during 2019-20 also could reduce aggregate losses from ₹244.35 crores to ₹185.91 crores during the year.

ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Central and State Govts., NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation as well as its member institutions have been receiving financial and policy support from Government of India, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. The Board of Management places on record its gratitude to Shri Parshottam Rupala, Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare, the Ministry for their continued support and guidance to the Federation and to the Long Term Cooperative Credit Structure.

NABARD from its inception has been extending refinance as well as development support to SCARDBs. The Board of Management conveys its gratitude to NABARD for its continued refinance support to SCARDBs and the role it has been playing over the years to strengthen the Long Term Rural Cooperative Credit Structure.

We also extend our gratitude to NCDC, NHB, Scheduled Commercial Banks and State Cooperative Banks for continuing to provide funding support to SCARDBs which helped them to meet the credit needs of their members better.

The NCUI has been providing active support to the Federation in its activities. The Federation places on record its appreciation and gratitude to Dr.Chandrapal

Singh Yadav, President and Shri N. Satyanarayana, Chief Executive.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We express our profound gratitude to the management and staff of all our member banks particularly to the Chairmen and Chief Executives of SCARDBs for their cooperation and support. The Board of Management also places on record the valuable contributions of Shri K. Sivadasan Nair, Chairman who with the able support of Vice Chairpersons Shri K. Shadakshari, Shri K. Ravinder Rao, Shri Bijay Kumar Singh and Shri Marchynna Syiem who gave effective leadership to the Federation and the LT credit sector.

The Board also places on record its gratitude and appreciation to Shri Parbatbhai Patel, MP, for his valuable support in taking up various issues in LTCCS with appropriate authorities in Government of India and also his guidance to the Federation as a Co-opted Member on the Board.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

K. Sivadasan Nair
Chairman

TABLE 1 - LOANS DISBURSED AND LOANS OUTSTANDING

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Loans Disbursed during 2019-20			Loans Disbursed during 2018-19	Loans Outstanding as on 31 March 2020			Loans Outstanding as on 31 March 2019
		Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	Total Loans Disbursed (3+4)		Farm Sector	Non Farm Sector (incl. of RHS/S.T. Loans/Others)	Total Loan Outstanding (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gujarat	9887.09	3765.17	13652.26	14956.78	51795.46	4205.67	56001.13	58196.19
2.	Haryana	6649.88	2298.57	8948.45	2643.59	96724.88	26887.25	123612.13	147602.27
3.	Himachal Pradesh	4637.87	1175.62	5813.49	8498.79	31111.26	12980.41	44091.67	45388.81
4.	Jammu & Kashmir	661.36	243.07	904.43	1182.79	4233.98	1532.51	5766.49	5788.43
5.	Karnataka	26463.10	530.21	26993.31	24563.46	174609.29	3296.92	177906.21	141184.08
6.	Kerala	79288.60	142474.78	221763.38	220951.60	238917.42	472919.21	711836.63	665853.77
7.	Pondicherry \$	0.00	2375.86	2375.86	2441.57	0.00	3590.22	3590.22	3188.84
8.	Punjab	1010.33	243.90	1254.23	17486.17	142024.05	81085.93	223109.98	248012.05
9.	Rajasthan	7258.28	681.00	7939.28	13932.53	128964.54	37134.44	166098.98	158159.70
10.	Tamil Nadu	0.00	97474.75	97474.75	77322.15	0.00	92846.82	92846.82	73647.60
11.	Tripura	NR	NR	NR	0.00	NR	NR	NR	1322.58
12.	Uttar Pradesh	4281.01	827.52	5108.53	15180.32	NR	NR	280706.46	313280.48
13.	West Bengal	24694.58	4517.34	29211.92	25090.39	92800.48	31890.07	124690.55	114462.63
	TOTAL [1 to 13]	164832.10	256607.79	421439.89	424250.14	961181.36	768369.45	2010257.27	1976087.43

Note: (1) NR - Not Reported.

(2) \$ Loans disbursed and outstanding position Upto January 2020.

TABLE 2 - BORROWINGS DURING THE YEAR

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Raised During 2019-20				Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	2019-20 (3+4+5+6)	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gujarat	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
2.	Haryana	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	20000.00
3.	Himachal Pradesh	3851.60	0.00	0.00	0.00	3851.60	6830.60
4.	Jammu & Kashmir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Karnataka	16909.00	0.00	1000.00	0.00	17909.00	29094.83
6.	Kerala	135000.00	0.00	0.00	116720.00	251720.00	192555.00
7.	Pondicherry	NR	NR	NR	NR	NR	-148.96
8.	Punjab	3564.00	0.00	0.00	46900.00	50464.00	33102.14
9.	Rajasthan	11420.00	0.00	0.00	17670.37	29090.37	32423.55
10.	Tamil Nadu	0.00	0.00	0.00	27.72	27.72	4.20
11.	Tripura	NR	NR	NR	NR	NR	0.00
12.	Uttar Pradesh	7012.00	0.00	0.00	700.00	7712.00	12459.93
13.	West Bengal	27000.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	25000.00
	TOTAL [1 to 13]	214756.00	0.00	11000.00	182018.09	407774.09	351321.29

Note: NR - Not Reported.

TABLE 3 - BORROWINGS OUTSTANDING - DURING THE YEAR

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Borrowings Outstanding as on 31 March 2020				Grand Total	
		NABARD	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ NHB/ SCB etc.)	As on 31/03/2020 (3+4+5+6)	As on 31/03/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gujarat	11329.52	0.38	100.09	0.00	11429.99	6911.63
2.	Haryana	33868.23	3441.13	98522.00	0.00	135831.36	157359.64
3.	Himachal Pradesh	23446.04	610.06	23.70	147.28	24227.08	27716.86
4.	Jammu & Kashmir	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	641.00
5.	Karnataka	119253.37	2005.62	5288.87	0.00	126547.86	141693.40
6.	Kerala	583290.93	179.96	179.96	12682.33	596333.18	622408.42
7.	Pondicherry \$	0.00	0.00	0.00	451.89	451.89	385.70
8.	Punjab	136620.90	128.39	7.31	43600.00	180356.60	204885.56
9.	Rajasthan	88067.73	1228.80	1228.81	6149.35	96674.69	113791.84
10.	Tamil Nadu	0.00	0.00	6389.87	34.62	6424.49	6396.77
11.	Tripura	NR	NR	NR	NR	NR	2003.34
12.	Uttar Pradesh	61592.84	109.28	109.28	9065.14	70876.54	113548.52
13.	West Bengal	93946.69	1.79	1.78	0.00	93950.26	89367.46
	TOTAL [1 to 13]	1151416.25	7984.69	112188.39	72130.61	1343719.94	1487110.14

Note: \$ Outstanding position upto January 2020.

TABLE 4 - DEPOSIT MOBILIZATION

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Deposit Outstanding as at the end of	
		31.03.2019	31.03.2018
1.	Gujarat	27041.55	26711.79
2.	Haryana	10.33	538.97
3.	Himachal Pradesh	9934.52	10375.29
4.	Jammu & Kashmir	16645.93	18033.67
5.	Karnataka	31110.12	34885.26
6.	Kerala	47978.40	40963.75
7.	Pondicherry \$	2989.27	3289.61
8.	Punjab	23518.03	25485.80
9.	Rajasthan	1242.15	579.70
10.	Tamil Nadu	23249.09	24130.55
11.	Uttar Pradesh	5474.32	5161.62
12.	West Bengal	22198.50	22764.85
	TOTAL [1 to 12]	211392.21	212920.86

Note: \$ Outstanding position upto January 2020.

TABLE 5 - PROFIT / LOSS (AT APEX BANK LEVEL)

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	Profit / Loss as on		Accumulated Loss as on	
		31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020
1.	Gujarat	2101.51	2525.00	0.00	0.00
2.	Haryana	(7638.23)	6392.30	45426.53	39034.23
3.	Himachal Pradesh	22.80	(185.41)	0.00	35.18
4.	Jammu & Kashmir	(7993.97)	(9602.86)	NR	NR
5.	Karnataka *	75.67	75.67	0.00	0.00
6.	Kerala	2565.50	2780.50	0.00	0.00
7.	Pondicherry *	(50.64)	(50.64)	434.50	434.50
8.	Punjab	120.49	227.34	0.00	0.00
9.	Rajasthan	4420.46	2992.90	0.00	0.00
10.	Tamil Nadu	2762.39	30.77	0.00	0.00
11.	Tripura *	(301.26)	(301.26)	1946.64	1946.64
12.	Uttar Pradesh *	(8451.00)	(8451.00)	10955.26	10955.26
13.	West Bengal	322.93	357.70	1044.13	865.92

Note:- (1) Figures in brackets indicate loss.
 (2) * Position as on 31.03.2019 is considered for review.
 (3) NR - Not Reported.

TABLE 6 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	As on 31 March 2019			As on 31 March 2020		
		Total Loan Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding	Total Loans Outstanding	Total NPAs	NPA as % of Loans Outstanding
1.	Gujarat	58196.20	32252.68	55.42	56000.56	31582.72	56.40
2.	Haryana	193118.05	161155.79	83.45	187944.16	152321.31	81.05
3.	Himachal Pradesh	45388.82	11575.31	25.50	44091.68	13663.09	30.99
4.	Jammu & Kashmir	5788.43	1559.07	26.93	5766.49	1598.36	27.72
5.	Karnataka	178253.02	52257.59	29.32	177906.21	57693.75	32.43
6.	Kerala	665853.77	14918.79	2.24	711836.63	41346.40	5.81
7.	Pondicherry *	3188.84	70.65	2.22	3188.84	70.65	2.22
8.	Punjab	253854.61	43423.31	17.11	227362.68	62882.77	27.66
9.	Rajasthan	157159.70	69713.50	44.36	147638.65	75488.26	51.13
10.	Tamil Nadu *	73647.60	11517.61	15.64	73647.60	11517.61	15.64
11.	Tripura *	1322.58	1190.32	90.00	1322.58	1190.32	90.00
12.	Uttar Pradesh *	272480.14	120736.57	44.31	272480.14	120736.57	44.31
13.	West Bengal	114462.63	27316.77	23.87	124690.55	29906.23	23.98
	TOTAL [1 to 13]	2022714.39	547687.96	27.08	2033876.77	599998.04	29.50

Note:- * Position as on 31.03.2019 is considered for review.

TABLE 7 - DEMAND, COLLECTION, BALANCE POSITION

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Name of SCARDB	At Apex Bank Level as on 31 March 2020				Recovery (%) as on 31.03.2019	At Ultimate Borrowers' Level as on 31 March 2020				Recovery (%) as on 31.03.2019
		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)		Demand	Collection	Balance	Recovery (%)	
1.	Gujarat	61339.00	21249.43	40089.57	34.64	32.65	21249.43	40089.57	34.64	32.65	
2.	Haryana	181220.53	24161.50	157059.03	13.33	6.67	43744.96	163313.26	21.13	5.58	
3.	Himachal Pradesh	15342.88	4849.07	10493.81	31.60	31.87	6170.83	10493.81	37.03	37.00	
4.	Jammu & Kashmir @	3210.61	1238.39	1972.22	38.30	45.66	1238.39	1972.22	38.30	45.66	
5.	Karnataka	136419.57	35304.81	101114.76	25.88	22.24	40012.23	59963.54	40.02	30.69	
6.	Kerala	203073.14	178757.62	24315.52	88.03	95.36	157417.17	130658.71	54.64	64.36	
7.	Pondicherry @	2925.19	2707.36	217.83	92.55	93.90	2707.36	217.83	92.55	93.90	
8.	Punjab	101497.12	29993.06	71504.06	29.55	31.00	30650.45	180664.91	14.50	17.88	
9.	Rajasthan @	113380.40	35345.33	78035.07	31.17	25.89	41984.95	81978.73	33.87	30.11	
10.	Tamil Nadu	90616.22	78170.02	12446.20	86.26	85.65	120083.49	8690.63	93.25	90.98	
11.	Tripura	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	
12.	Uttar Pradesh	217919.31	62505.34	155413.97	28.68	19.16	62505.34	155413.97	28.68	19.16	
13.	West Bengal	62881.47	26136.91	36744.56	41.57	40.38	30724.25	55415.92	35.67	39.98	
	TOTAL [1 to 13]	1189825.44	500418.84	689406.60	42.06	40.70	558488.85	888873.10	38.59	36.37	

Note :- (1) NR - Not Reported.
(2) @ 30.06.2019 Position considered for review.

TABLE 8 - NETWORK, MEMBERSHIP, ELECTED BOARD & STAFF (SCARDBs)

(Number)

Sr. No.	Name of SCARDB	Number of Branches (Unitary / Mixed Structures)		No. of PCARDBs (Federal / Mixed Structures)		No. of Branches of PCARDBs (Federal Structure)		Total Memberships (Borrowings + Non-Borrowings)		Borrowing Members		Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having elected Boards		Staff of SCARDBs (Number)		Staff of PCARDBs (Number)	
		31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020
1.	Gujarat	181	181	NA	NA	NA	NA	42641	37100	7572	7397	No	No	NA	NA	323	320	NA	NA
2.	Haryana	0	0	19	19	71	71	732190	730731	109419	100494	No	No	0	19	62	68	792	743
3.	Himachal Pradesh	51	51	1	1	30	30	93473	93860	39856	39221	Yes	Yes	1	1	169	170	52	50
4.	Jammu & Kashmir	51	51	NA	NA	NA	NA	97799	98301	78183	78485	No	No	NA	NA	239	225	NA	NA
5.	Karnataka	25	25	178	178	NA	NA	1110407	1155963	614899	659874	Yes	Yes	176	176	306	281	562	519
6.	Kerala *	14	14	75	75	162	162	1314692	1314692	695290	695290	Yes	Yes	73	73	203	177	1238	1238
7.	Pondicherry *	1	1	NA	NA	NA	NA	5142	5142	3802	3802	No	No	NA	NA	30	30	NA	NA
8.	Punjab	0	0	89	89	0	0	832754	833077	99760	81345	Yes	Yes	79	77	227	192	647	632
9.	Rajasthan	7	7	36	36	125	124	1227930	1227930	742918	742918	No	No	13	12	69	58	329	271
10.	Tamil Nadu	0	0	180	180	0	0	1358533	1358533	179990	202153	Yes	Yes	180	180	104	93	457	455
11.	Tripura *	5	5	NA	NA	NA	NA	22573	22573	2742	2742	Yes	Yes	NA	NA	27	27	NA	NA
12.	Uttar Pradesh	323	323	NA	NA	NA	NA	2984342	2942215	2757741	2800106	Yes	Yes	NA	NA	2940	2855	NA	NA
13.	West Bengal	2	2	24	24	73	73	382030	424228	221043	242142	No	No	21	21	80	80	581	585
	TOTAL [1 to 13]	660	660	602	602	461	460	10204506	10244345	5553215	5655969	-	-	543	559	4779	4576	4658	4493

Note:- (1) NA - Not Applicable.

(2) *Position as on 31.03.2019 is considered for review.



**Inauguration of National Conference of ARDBs-2019 with Lighting of Lamp by
Shri Parshottam Rupala, MoS for Agriculture and Farmers Welfare on 21st November 2019, New Delhi**



Inaugural Address by Shri Parshottam Rupala, MoS for Agriculture and Farmers Welfare at the National Conference of ARDBs-2019 at New Delhi on 21st November 2019.



Welcome address by Shri K. Sivadasan Nair, Chairman, NCARDBF at the inaugural session of National Conference of ARDBs-2019 on 21st November 2019, New Delhi.



159th Meeting of the Board of Management and Workshop on Revival Road Map on LTCCS, 18th January, 2020 at Hyderabad



Discussion on Cooperative Banking in India on the sidelines of ICA Global Assembly in Kigali, Rwanda, 15th Oct 2019



Meeting with Shri Parshottam Rupala, MoS for Agriculture and Farmers' Welfare and Panchayati Raj on 12th March, 2020



Shri K. K. Ravindran, MD, NCARDBF, addressing National Women's Cooperative Workshop in Ahmedabad jointly organised by SEWA & ICA Asia Pacific - 8th August, 2019.

साठवीं वार्षिक रिपोर्ट 2019-20



राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स
महासंघ मर्यादित

७०१, ७वी मंज़िल, बीएसईएल टेक पार्क, ए-विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३

टेलीफोन : (०२२)२७८१ ४११४, २७८१ ४४२६ फ़ैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com वेबसाइट : www.nafcard.org

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ मर्यादित वार्षिक सामान्य निकाय बैठक

सूचना

एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019-20 की राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लि की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक शनिवार **26 अक्टूबर 2020** को प्रातः **11.00** से निम्नांकित व्यवसाय प्रबन्धन हेतु आहूत की गई है :-

1. दिनांक 10 जून 2019 को मुम्बई में सम्पन्न फेडरेशन की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने,
2. वर्ष 2019-20 के लेखापरीक्षित खातों के विवरण पत्रों पर विचार ।
3. वर्ष 2019-20 के अधिशेष का निपटान ।
4. 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन पर विचार ।
5. वर्ष 2019-20 की सम्प्रेक्षण अनुपालन आख्या पर विचार ।
6. वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार ।
7. वर्ष 2020-21 के लिये सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति तथा सम्प्रेक्षा शुल्क निर्धारित करने पर विचार ।
8. वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक बजट पर विचार ।

कोविड 19 महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति के कारण देश के विभिन्न भागों में रह रहे प्रतिनिधियों की भौतिक रूप से उपस्थित हो पाने की असमर्थता को देखते हुए बैठक का आयोजन आभासी स्वरूप (वर्चुअल मोड) में किया जाएगा। बैठक में भाग लेने हेतु संकेत शब्द (पासवर्ड) तथा सम्बन्धित सूचना से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा।

परिणामदायी विचार विमर्श को सुविधाजनक बनाने के लिए कम्प्यूटरीकृत मेल से भेजी जा रहे एजेण्डा तथा अन्य अभिलेखों की कागजी प्रति (हार्ड कापी) अगिम रूप से उपलब्ध करा दी जाएगी।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के प्रावधानों तथा फेडरेशन की उपविधियों के अनुसार सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि, जो या तो सम्बन्धित सदस्य बैंक के निदेशक मण्डल के प्रस्ताव, अथवा प्रशासक द्वारा, जहां निदेशक मण्डल नहीं है, जिस नाम से भी कहा गया हो, नामित अध्यक्ष/सभापति अथवा मुख्य कार्यकारी, अधिकारी होगा। तदनुसार, सदस्य बैंकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वह फेडरेशन को, सामान्य सभा के लिये अपने अपने प्रतिनिधि का नाम, निदेशक मण्डल के प्रस्ताव के साथ सामान्य सभा की बैठक से न्यूनतम 10 दिन पहले सूचित करने का कष्ट करें।

फेडरेशन के निदेशक मण्डल की आज्ञा से

स्थान- नवी मुम्बई
दिनांक - 30 सितम्बर, 2020

हस्ताक्षरित/-
(के.के.रविन्द्रन)
प्रबन्ध निदेशक

आर्थिक परिदृश्य

2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में 2018-19 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि के सापेक्ष वर्ष 2019-20 के लिये सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, 5 प्रतिशत प्राक्कलित की गई, 2020-21 में जिसकी वृद्धि दर, 6 प्रतिशत से 6.5 फीसदी के परिधि में प्रक्षेपित की गई है वृद्धि दर में कमी के लिये उपभोग एवं निवेश में गिरावट ही उत्तरदायी रहे। सर्वेक्षण ने यह भी पाया कि वर्ष 2019 वैश्विक रूप से वर्ष 2009 में वित्तीय संकट के बाद से 2.9 प्रतिशत के सर्वाधिक न्यूनतम गति से उत्पादन में वृद्धि वाला अत्यन्त कष्टदायी वर्ष रहा। क्षीण वैश्विक परिवेश का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 (वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रारम्भिक तीन तिमाहियों) की गतिविधियों पर आधारित आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के प्रमुख अंश निम्नवत हैं :-

- थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीत 2018-19 में 4.3 प्रतिशत से गिरकर 2019-20 में 1.5 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर पर आ गई।
- चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 2.1 प्रतिशत से गिरकर 1.5 प्रतिशत पर पहुंच गया।
- राजकोषीय घाटे ने लक्ष्य से 20 प्रतिशत की उछाल मारी।
- कृषि में सकल अचल पूँजी विनिर्माण 2013-14 का योजित सकल मूल्य 17.7 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में योजित सकल मूल्य 15.2 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गया।
- कृषि वृद्धि में अस्थिरता 2002-2014 से 2015 में -0.02 प्रतिशत से 2016-17 में 6.3 प्रतिशत निरन्तर बनी रही और पुनः ये 2019-20 में 2.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई।
- योजित सकल मूल्य में कृषि का योगदान वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से गिर कर वर्ष 2019-20 में 16.5 प्रतिशत पर आ गया।
- ऋण तक पहुंच, बीमा व्याप्ति तथा कृषि में निवेश, किसानों की आय को दुगना करने के लिये ध्यानाकर्षण के अभी भी प्रमुख मुद्दे हैं।
- औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि 2018-19 में 6.9 प्रतिशत के सापेक्ष 2019-20 में घटकर 2.5 प्रतिशत हो गई है।
- योजित सकल मूल्य में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी अभी भी 29.6 प्रतिशत है।

- वर्ष 2019-20 में योजित सकल मूल्य के 53.3 प्रतिशत की भागीदारी सेवा क्षेत्र की है। इस क्षेत्र ने 2018-19 में 7.5 प्रतिशत के सापेक्ष वर्ष 2019-20 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की है।
- अर्थव्यवस्था के स्वरूप को देखते हुये बैंकिंग क्षेत्र अभी भी असंगत रूप से अल्पविकसित हैं। विश्व के उत्कृष्ट 100 बैंकों में भारत का केवल एक बैंक आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बाजार के 70 प्रतिशत अंशधारक है किन्तु निजी बैंकों की तुलना में अनेक गतिविधि मापदण्डों में वे अक्षम हैं।
- अपेक्षाकृत अधिक कार्यकुशल एवं लाभकारी बनाने के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वाकांक्षी अपनिवेश की सरकार की योजना है।

कोविड 19 प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के आंकलन के अनुसार वैश्विक महामारी कोविड 19 तथा व्यापक मन्दी जिसने पूरे विश्व की आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर दिया है, के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था निकृष्टतम मन्दी की ओर अग्रसर है। वर्ष 2020-21 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की कुल हानि 90 खरब अमरीकी डालर अनुमानित की गई है जो वर्ष 2019 में अखिल विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दस प्रतिशत है। 2019-20 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर जो पहले 5 प्रतिशत अनुमानित की गई थी, मार्च 2020 में आरम्भ हुई बाधाओं के कारण न्यूनतम 1 से 2 प्रतिशत कम करके दिखाई जा रही है। एक ओर 2020 में जब विश्व की अर्थ व्यवस्थायें 5 से 10 प्रतिशत नकारात्मक वृद्धि की ओर बढ़ रहीं हैं, भारत उन मुटठी भर देशों में एक देश है जो नाम मात्र के 2 प्रतिशत से कम की दर पर ही सही पर अभी भी अपनी सकारात्मक वृद्धि को बनायें हुये है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की 9 प्रतिशत की वृद्धि दर पर ऊर्ध्वमुखी बहाली के साथ विजयीमुद्रा में भारतीय अर्थव्यवस्था से वर्ष 2021-22 में 7.4 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि दर प्रक्षेपित कर रहा है। कोविड 19 के वास्तविक प्रभाव ने अर्थ व्यवस्था में अनेक क्षेत्रों में गति को धीमा कर दिया है और अभी भी यह गतिहीनता बनी रहेगी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

कृषि 2019-20

रोजगार एवं सकल घरेलू उत्पाद दोनों ही में योगदान के परिप्रेक्ष्य में कृषि एक अत्यन्त प्रमुख क्षेत्र है। कृषि 48 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। संसाधन निवेश के लिये उन्नत पहुंच यथा उर्वरक और बीज, इसके साथ ही बेहतर सिंचाई एवं ऋण सुविधाओं ने हाल ही के वर्षों में उच्चतर औसत वार्षिक वृद्धि दर में अपना योगदान दिया। 2014-15 से 2018-19 तक औसत वार्षिक वृद्धि कुछ वर्षों में अस्थिरता के बावजूद दर 2.88 प्रतिशत के आसपास ही रही।

फसल वर्ष 2018-19 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 283.37 मिलियन टन अनुमानित था तथा वर्ष 2019-20 में इसे 291.1 मिलियन टन प्रक्षेपित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018 में दुग्ध उत्पादन 176.3 मिलियन टन जब कि मांस उत्पादन 7.4 मिलियन टन अनुमानित किया गया था। भारत वर्ष 2018-19 में 313.9 मिलियन मेट्रिक टन के सर्वाधिक फल औद्योगिक उत्पादन के कीर्तिमान के साथ विश्व का दूसरा सर्वाधिक फल उत्पादक देश है।

कृषि क्षेत्र को अधिकांशतः विकासशील जनसंख्या, शहरीकरण तथा बदलते मांग के स्वरूप के कारण अनाज उत्पादन से दालों, फलों सब्जियों और पशुधन उत्पाद जैसे अनेक सार्थक विविधीकृत उत्पादन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। भारत जनसंख्या के अल्पपोषित अनुपात जो 1990-91 में 24 प्रतिशत थी, से 2019-20 तक 14 प्रतिशत हो गई, की उल्लेखनीय गिरावट को भी पा सका। देश प्रमुख वस्तुओं के निर्यातक के रूप में उभर कर आया है, वर्तमान में वैश्विक रूप से सर्वाधिक चावल तथा दूसरा सर्वाधिक कपास का निर्यातक। भारत का कुल कृषि निर्यात वर्ष 2019 में विगत वर्षों से अधिक चक्रीय वार्षिक दर 16.45 प्रतिशत पर बढ़ा जो 38.54 अरब अमरीकी डालर पर पहुंच गया है। भारत मसालों तथा मसालों से निर्मित पदार्थों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता तथा निर्यातक है।

तथापि भारत का कृषि क्षेत्र जो देश की 42 प्रतिशत श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान कर रही है, अर्थव्यवस्था में मात्र लगभग 14 प्रतिशत का योगदान रखती है।

योजित सकल मूल्य (जीवीए) (2011-12 के मूल्यों पर) में कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन का योगदान में 2015-16 में 15.4 प्रतिशत से 2018-19 में 14.4 प्रतिशत की आंशिक गिरावट आई है। कृषि उत्पादन एक वर्ष से दूसरे वर्ष में अत्यधिक अस्थिर/परिवर्ती है क्योंकि भारत की 55 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पोषित है जहां

फसलों का उत्पादन मानसून में हुई वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है।

निरन्तर घटती औसत जोत सीमा के साथ छोटी जोत सीमा वाले किसानों की बहुलता, कृषि क्षेत्र के सकल पूंजी निर्माण की दर में गिरावट, निम्न उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों यथा जल, अविकसित खाद्य प्रसंस्करण तथा खुदरा क्षेत्र, विपणन में लगातार बढ़ती बाधाओं के परिणामस्वरूप उपभोक्ता द्वारा दिये गये मूल्य तथा अर्जित लाभ में बहुत अधिक अन्तर होना कृषि क्षेत्र के सन्मुख कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं।

भारत में कृषि नीतियों निर्धारण एवं उनका क्रियान्वयन केन्द्र एवं राज्य सरकार के मिश्रित संस्थागत प्रणाली द्वारा सार्वजनिक उपक्रम यथा भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड आदि के माध्यम से किया जाता है। संवैधानिक रूप से कृषि राज्य का विषय है किन्तु केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण तथा राज्य सरकारों को इस प्रकार की नीतियों के क्रियान्वयन व कार्यक्रमों के लिये वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्ति के उपरान्त विषय उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने तथा गुणवत्ता तथा मूल्य वहन करने की क्षमता की दृष्टि से उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान दिये जाने की दिशा में परिवर्तित हो गया।

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में सीमांकित कृषि के लिए विकास नीति छोटे जोत धारकों को अधिकतम उत्पादकता के साथ उत्कृष्ट लाभ अर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति के द्वारा संवहनीय जीविका प्रदान करने तथा गरीबी उन्मूलन को प्रोत्साहित करने को सर्वप्राथमिकता प्रदान करती है। कृषि उत्पादकता अन्ततोगत्वा कृषि भूमि पर निवेश जैसे कि उर्वरक, सिंचाई के साधन की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी, फसल की गहनता तथा फसल के चुनाव पर निर्भर करती है। इन संसाधनों के उपयोग में दक्षता उत्पादकता निर्धारण में प्रमुख कारक है। संसाधन उपयोग दक्षता में निम्नांकित पहलू सम्मिलित हैं:-

- सिंचाई में उन्नत प्रणाली तथा सिंचाई तकनीक को अपनाकर कृषि में टिकाऊ जल संसाधन उपयोग; जल प्रबन्धन पहलू जैसे जल विभाजन प्रबन्धन, टपक सिंचाई तथा जल उपयोगकर्ता संगठन कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निर्वहन कर सकते हैं, जल की अल्पता पर विचार कर जल संरक्षण करने के लिये सजग रहना और उस पर कार्य करने तक उपयोगकर्ता की आवश्यकता पर संयम। किसानों को प्रेरित

किया जाये तथा उनके द्वारा न्यायोचित ढंग से जल के उपयोग किये जाने पर उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाय। सरकारी अभिकरणों को भी कृषि कार्यों में जल उपयोग के मानदण्डों के निर्धारण तथा क्रियान्वयन के लिये उन्हें अधिकृत किये जाने की आवश्यकता है। बीमा के कार्य क्षेत्र को बढ़ा कर, प्रभावी दावे का प्रबन्धन, मौसमी आपूर्तिकी अधिकता के दौरान पीड़ादायक विक्रय कृषि पदार्थों की अति आपूर्ति से किसानों को बचाने के लिये सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रभावी विपणन मध्यस्तता कर, किसानों की हानियों का जोखिम संरक्षण किया जाना कुछ अन्य उपाय है जिससे मूल्य औश्रे आय को स्थिर किया जा सकता है। सरकारी निकाय, निजी प्रतिष्ठान तथा विकासशील कृषि उपक्रम एक साथ मिल कर कृषि क्षेत्र के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं।

ii) उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग में मितव्ययिता –

उर्वरकों का मूल्य कृषि उत्पाद की कुल फसल की लागत का प्रमुख हिस्सा होता है। प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग में देखी जा रही 2011 तक धीमी वृद्धि उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो गई। आंकड़े भी उर्वरक उपयोग औसत के गिरते रुझान अथवा कृषि भूमि की उत्पादकता पर उर्वरकों के प्रभाव को भी दर्शाते हैं। यह किसानों की मृदा विशिष्टता तथा विशिष्ट फसल की अपेक्षित मांग पर आधारित फसल उर्वरक की उचित मात्रा, उचित सम्मिश्रण तथा उपयोग की उचित पद्धति की जानकारी न होने के कारण होता है। मृदा स्वास्थ्य अनुकूल इष्टतम मात्रा, नीम विलेपित यूरिया को बढ़ावा, सूक्ष्म पोषकों को प्रोत्साहन, जैविक उर्वरकों तथा पानी में घुलनशील उर्वरकों के प्रोत्साहन के सुझाव उर्वरक उपयोग अनुपात बढ़ाने के लिये दिये गये।

iii) जैविक कृषि में संधारणीयता बढ़ाने के लिये जैविक एवं स्वाभाविक खेती। नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एनएमएसए) का लक्ष्य स्थान विशेष के अनुकूल सधन कृषि प्रणाली जिसमें उपयुक्त मृदा तथा नमी संरक्षण तकनीक सम्मिलित है, के द्वारा कृषि को अपेक्षाकृत अधिकाधिक उत्पादक एवं संधारणीय बनाना है। सरकार ने परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाय) तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को अनेक जैविक कृषि मॉडल जैसे जीरो बजट नेशनल फार्मिंग (जेडबीएनएफ) को प्रोत्साहित करने के लिये प्रारम्भ की हैं। रायायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करना तथा स्वस्थ कृषि प्रणाली के प्रयोग को प्रोत्साहन, जेडबीएनएफ के प्रमुख पहलू हैं। रसायन मुक्त फसल के लिये पर्यावरण अनुकूल कृषि को प्रोत्साहित करना भी इसका लक्ष्य

है। कुछ राज्य जैसे कि कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश जहां जेडबीएनएफ तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है, में उत्पादकता में सुधार के साथ कृषि लागत में कमी होना पाया गया है।

iv) छोटे कृषि जोत के लिये उपयुक्त तकनीक अंगीकार किया जाना। उच्च तकनीक और मशीनों का उपयोग छोटे कृषि जातों के लिये आर्थिक रूप से साध्य नहीं है। पर्यावरण के अनुकूल स्वसंचालित कृषि यंत्र एवं उपकरणों का उपयोग जो लघु स्तरीय कृषि कार्यों तथा उच्च तकनीक के कृषि यंत्रों को छोटे और मझोले किसानों के लिये परम्परागत तौर पर किराये पर सुलभ हो सकने वाले कृषक केन्द्र की स्थापना पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, विशेषरूप से इण्टरनेट सहित मोबाइल सुविधा का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रसार होने से छोटे किसानों को मौसम और कृषि उत्पाद के मूल्य जानने में बहुत आसानी हुई है। आईसीटी (सूचना एवं संचार तकनीक) भी बाजार एवं वित्तीय समावेशन तक पहुंचाने में सहायता कर रहा है।

v) प्रसार सेवायें – कृषि प्रसार कृषि उत्पादकता, ग्रामीण आजीविका तथा उच्चतर कृषि प्रणाली को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निर्वहन करता है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि लगभग 40 प्रतिशत कृषक परिवार खेती सम्बन्धी तकनीकी सलाह अनेक उपलब्ध माध्यमों, उन्नतशील कृषक तथा समाचार माध्यमों जिनमें समाचार पत्र भी सम्मिलित हैं, से प्राप्त करते हैं। टी.वी. तथा इण्टरनेट सर्वाधिक उपयोग किये जाने वाले माध्यम हैं। कृषक परिवारों ने जिन्होंने सुझावों को अंगीकार किया, अधिकांश लोगों ने इसे उपयोगी पाया जिससे प्रसार सेवाओं का महत्व प्रकट होता है। कृषि एवं पशु चिकित्सा विभागों से प्राप्त सुझावों की स्वीकार्यता अपेक्षाकृत अधिक है जिसको अंगीकार किये जाने की प्रबल संभावना है।

vi) कृषि ऋण – समय से मिला ऋण कृषि उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है। यद्यपि विगत दस वर्षों में कृषि साख में प्रभावशाली वृद्धि हुई है, फिर भी बहुसंख्य कृषक औपचारिक साख प्रणाली से अभी भी वंचित हैं। इसके अतिरिक्त भारत में कृषि साख का क्षेत्रीय वितरण बहुत असामान्य है। कृषि साख का वितरण उत्तर-पूर्व, पहाड़ी तथा पूर्वी राज्यों में असंगति रूप से बहुत कम है। उत्तर-पूर्व राज्यों की औपचारिक साख व्यवस्था द्वारा वितरित ऋण में भागीदारी कुल कृषि साख का 1 प्रतिशत से कम है। भारत के उत्तर पूर्व और पूर्वी राज्यों में वित्तीय समावेशन भी दक्षिण तथा पश्चिमी

राज्यों के सापेक्ष बहुत कम है इससे इस क्षेत्र में कृषि साख के अपेक्षाकृत अधिक वितरण की आवश्यकता स्वतः परिलक्षित है। सम्बद्ध क्षेत्र, जिसमें पशुधन, मुर्गीपालन, दुग्ध एवं मत्स्य पालन सम्मिलित हैं, कृषि का प्रमुख उप क्षेत्र है। भारत में लगभग 300 मिलियन दुधारु पशु हैं जिनमें 65 मिलियन भेड़, 135 मिलियन बकरियां, तथा 10 मिलियन सुअर हैं। भारत में पशु पालन, जिसमें फसल उत्पादन और पशु पालन-पोषण दोनों ही सम्मिलित हैं, जो निवेश और प्रतिफल के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, अधिकांशतः समग्र कृषि प्रणाली के हिस्से के रूप में किया जाता है।

पशु पालन और दुग्ध विकास – पूरे विश्व के कुल दुग्ध का 20 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन कर भारत विश्व का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। दुग्ध उत्पादन में प्रतिवर्ष 4.5 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि दर से वर्ष 1991-92 में 55.6 मिलियन टन से 2017-18 तक 176.3 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारत की प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 375 ग्राम प्रतिदिन है जो असम में 71 ग्राम से पंजाब में 1120 ग्राम प्रति व्यक्ति के औसत अंतर से यद्यपि अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में कुल उत्पादित दुग्ध का 52 प्रतिशत विक्रेय अधिशेष है। इसमें से मात्र 50 प्रतिशत से कम संगठित क्षेत्र जिसमें दुग्ध सहकारितायें भी सम्मिलित हैं, द्वारा नियंत्रित है।

छोटे जुगाली करने वाला मवेशी क्षेत्र – भेड़ एवं बकरी सामूहिक रूप से छोटे मवेशी (जुगाली करने वाले) जाने जाते हैं। भारत में बकरियों की संख्या विश्व की 16.1 प्रतिशत तथा भेड़ों की 6.4 प्रतिशत है। पशु धन की कुल जनसंख्या 512.1 मिलियन में भेड़ों और बकरियों की संख्या 200 मिलियन है जो देश के कुल पशु धन जनसंख्या का 39 प्रतिशत है। भेड़ और बकरी का पालन पोषण संसाधन विहीन सामान्य गरीब कृषक परिवारों का उनके खाली मौसम में न्यूनता पूरक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। छोटे मवेशियों की अनावृष्टि की स्थिति में जीवित रहने की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि जीवित रहने के लिये कम पानी की आवश्यकता होती है तथा ये प्रतिकूल पर्यावरण में न्यूनतम उर्वरक भूमि पर जहां दूसरी फसले व पशु जीवित नहीं रह सकते हैं, ये केवल घास फूस पेड़ पौधों की पत्तियां खा कर जीवित बने रहते हैं।

मत्स्य पालन क्षेत्र – बहुसंख्य जनसंख्या को पोषण एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने वाला मत्स्य पालन भारत में तीव्रता से बढ़ने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र 14.5 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका और आय प्रदान करता है। 2018-19 में 13.7 मिलियन मीट्रिक टन जिसका 65 प्रतिशत अंतर्देशीय क्षेत्र के साथ विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन का भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक मछली उत्पादक देश है। अंतर्देशीय

उत्पादन का लगभग लगभग 50 प्रतिशत उन्नत मछलियों से है। कृषि के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में इस क्षेत्र का योगदान 5.23 प्रतिशत है। वर्ष 2018-19 में मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद का निर्यातक मूल्य रु 47620 करोड़ था। मत्स्य पालन की प्रखर सम्भावनाओं को देखते हुये सरकार ने फरवरी 2019 में मत्स्य पालन का एक पृथक विभाग सृजित किया तथा सभी योजनाओं को “नीली क्रान्ति” की एक छतरी योजना में विलय कर दिया। सरकार ने रु 7522 करोड़ के विनिधान से आरम्भ करते हुये मत्स्य पालन विकास हेतु एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट फण्ड (एआइडीएफ) भी सृजित किया है। मत्स्य विकास में गरीबों को आय और आजीविका प्रदान करने के साथ ही समुद्री संसाधनों के अतिउपभोग/ह्रास से बचाने हेतु संवहनीय विकास लक्ष्य को एकीकृत करने पर भी बल दिया गया है।

भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कृषको की आय को दुगुना कर देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत में कृषि क्षेत्र से, आगामी कुछ वर्षों में, इस क्षेत्र में निवेश में की गई वृद्धि के कारण बेहतर गति से प्रगति की अपेक्षाएँ हैं। फसलों की उत्पादकता में, फसलों की मात्रा तथा पशु धन उत्पादकता से उत्पादन में वृद्धि, संसाधन उपयोग दक्षता में वृद्धि से उत्पादन लागत में कमी, उच्च मूल्य की फसलों की ओर परिवर्तन, विपणन सुधार, तथा कुल उत्पादन लागत तथा उच्चतर मूल्य के लिये अपेक्षित न्यूनतम अधिशेष आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों द्वारा बेहतर मूल्य प्राप्ति तथा मूलतः लोगों की कृषि पर निर्भरता को कम करने के लिये उन्हें अकृषि क्षेत्र के व्यवसायों की ओर परिवर्तित करना, आदि कुछ महत्वपूर्ण नीतियां हैं जिन्हें कृषकों की आय को दुगुना करने के लिये अपनाया गया है। एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) छोटे किसानों को उन्हें मूल्य श्रृंखला में गहनता से शामिल कर अपनी आय को अधिकतम करने के लिये प्रचुर सम्भावनायें प्रस्तावित करता है। किसान उत्पादक संगठन (फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन) संरचना को व्यवसायिक कुशाग्रता तथा बाजार के सम्पर्क सुदृढ़ बनाने के लिये वर्तमान में समर्थन सेवाओं की आवश्यकता हैं। अन्य प्रमुख मुद्दे जैसे कि बेहतर बीमा शर्तें, गुणवत्ता मूल्यांकन, आधारभूत संरचना, फसल प्रबन्धन के लिये यथार्थतः कृषि समाधान, वित्त की उपलब्धता इत्यादि को एफपीओ की सफलता के लिये सही ढंग से समझने की आवश्यकता हैं।

जलवायु परिवर्तन कृषि के समक्ष एक प्रमुख चुनौती हैं। नीति निर्माण स्तर तथा कृषि स्तर पर बढ़ते हुये तापमान को कम करने हेतु अनावृष्टि सहिष्णु फसलों की किस्मों को अपनाना, प्रभावी जल प्रबन्धन तथा कृषि कार्यों में नवीनता के लिये एक प्रभावी जलवायु जोखिम अनुकूलन एवं शमन नीति होनी चाहिए। समाधान हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली अनियमित जलवायु परिवर्तन की घटनाओं का

अनुमान लगाने एवं जोखिम कम करने में एक अहम भूमिका निर्वहन कर सकती है।

केन्द्रीय बजट 2020-21 में कृषि

केन्द्रीय बजट 2020-21 में रु 2.83 लाख करोड़ का प्रावधान कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये किया गया है जिसमें कृषि, सिंचाई, तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिये रु 1.60 लाख करोड़ तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिये रु 1.23 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है।

- बजट में प्रधानमंत्री-किसान, किसानों की आय समर्थन योजना को बनाये रखने का प्रस्ताव है जिसके अन्दर रु 6000.00 पात्र कृषक परिवार को प्रत्येक रु 2000.00 की तीन त्रैमासिक किश्तों में भुगतान किया जाना है।
- राज्य सरकारों को कृषि विपणन को सुदृढ़ करने के लिये मॉडेल एग्रीकल्चर लैण्ड लीज अधिनियम 2016, एपीएमसी एक्ट 2017 तथा कान्ट्रैक्ट फॉर्मिंग एक्ट 2018 अंगीकार करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- कृषि में सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये 20 लाख कृषकों को सिंचाई के लिये स्टैण्ड अलोन सोलर पम्प योजना सहायता प्रदान की जा रही है तथा 15 लाख कृषकों को ग्रिड से जुड़े सचिाई पम्प सेट को सौर्य ऊर्जा संचालित बनाने के लिये सहायता प्रदान कराई जायेगी।
- कृषको को शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों जैसे फल, सब्जियां, फूल आदि के लिये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुलभता से पहुंचने के लिये नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना।
- ऐसे कृषि के गोदामों तथा शीत गृहों के प्रतिचित्रण तथा जियो टैगिंग जिनकी क्षमता का आंकलन 162 मिलियन मीट्रिक टन नाबार्ड द्वारा किया गया है।
- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से परिवहन लागत तथा खाद्य पदार्थों के क्षय से बचाने हेतु ग्रामीण भण्डारण सुविधा को सुदृढ़ बनाना।
- दूध, मांस तथा मछली सहित शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के त्वरित परिवहन व्यवस्था के लिये पीपीपी माडल के माध्यम से किसान रेल योजना की स्थापना।
- दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 2025 तक 53.5 मिलियन टन से बढ़ा कर 108 मिलियन टन दुग्नी की जाएगी।
- 2022-23 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाया जायेगा। 3477 सागर मित्रों तथा 500 मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से युवाओं को मत्स्य पालन प्रसार में सम्मिलित करते हुये मत्स्य निर्यात को 2024-25 तक एक लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य।
- रासायनिक उर्वरकों के दौर के प्रोत्साहन को परिवर्तित करने के लिये कृषकों को सभी प्रकार के उर्वरकों के उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 6.11 करोड़ परिवारों तक विस्तार किया जाना।
- कृषि सिंचाई योजना को जारी रखते हुए इसी माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई पर संकेन्द्रित करना।
- औद्योगिक उत्पादों के बेहतर विपणन एवं निर्यात के लिये एक उत्पाद एक जनपद कार्यक्रम।
- मल्टी टियर कापिंग, मधुमक्खी पालन, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग तथा ऑन लाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पाद बाजार को सशक्त बनाने पर संकेन्द्रित लक्ष्य के साथ वर्षा सिंचित क्षेत्र में समेकित कृषि प्रणाली का विस्तार किया जाएगा।

ग्रामीण साख परिदृश्य

ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत में किसान साधनहीन हैं जो उत्पादन को सुसाध्य बनाने तथा उपभोग प्रणाली के सुचारु संचालन के लिये बुरी तरह से ऋण पर निर्भर करता है। वर्षा सिंचित परिस्थितियों एवं कृषि की परम्परागत अनिश्चिताओं के साथ शोषणकारी ब्याज दरों के साथ किसानों की बढ़ती ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि की सतत चली आ रही विशेषता है। वस्तुतः संस्थागत साख 19वीं शताब्दी के अन्त तक था ही नहीं यद्यपि कृषकों यदा-कदा सरकार की ओर से, विशेषतौर पर अनावृष्टि वर्षों के दौरान ऋण दे दिये जाते थे। किसानों को ऋण देने के लिये सहकारी समितियों की संरचना का विचार केवल 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में आया। इस विचार के परिणामस्वरूप सहकारी समिति अधिनियम 1904 के रूप में अधिनियमित हुआ। शनैः शनैः सहकारितायें पूरे देश में कृषि साख का महत्वपूर्ण स्रोत हो गईं। 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल में ग्रामीण साख ने निरन्तर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। 1904 का आरम्भिक अधिनियम के बाद सहकारी साख समितियों को वैधानिक मान्यता देने हेतु सहकारी अधिनियम 1912 लागू किया गया। प्रादेशिक सहकारी बैंकों की स्थापना के परिणामस्वरूप त्रि-स्तरीय सहकारी साख संरचना इस अवधि की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। यद्यपि सहकारी साख का परिचालन अल्पकालीन ऋणो तक ही सीमित रहा। इसके साथ ही किसानों को अपने पूर्व ऋणों के परिसमापन के लिये अपनी कृषि भूमि में फसल की उपज का बहुत बड़ा भाग ब्याज के रूप देना पड़ रहा था, में जिससे मुक्ति पाने के लिये दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता थी। इस प्रकार के दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता की पूर्ति के लिये भूमि बन्धक बैंक की स्थापना 1920 के प्रारम्भ में की गई थी। 1920 में पंजाब में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना के बाद प्रादेशिक एवं प्राथमिक स्तर पर इस प्रकार के बैंकों की स्थापना अन्य राज्यों में हुई। इन प्रयासों के बाद भी 1951 तक केवल 3.3 प्रतिशत किसान ही सहकारिताओं से ऋण प्राप्त कर पाये तथा मात्र 1 प्रतिशत कृषक वाणिज्यिक बैंकों से ऋण का प्राप्त कर सके। अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण रिपोर्ट 1954 ने पाया कि कृषि साख न तो परिमाण में सही था न ही प्रकार से दिया जा रहा था और न ही सही उद्देश्य के लिये किसानों को मिल पा रहा था और प्रायः यह सही लोगों तक पहुंच पाने में असफल था। समिति ने सहकारिताओं के किसानों की कृषि आवश्यकताओं कार्यों को पूरा कर पाने में अनेक कमियां पायीं लेकिन यह अनुभव किया कि किसानों के लिये ऋण को सही दिशा में ले

जाने में सहकारिताओं की अहम भूमिका है, अंततः निष्कर्ष निकाला कि 'सहकारिता असफल रही किन्तु सहकारिता को सफल होना चाहिये। 1963 में सहकारी साख संरचना, विशेष रूप से भूमि विकास बैंक को दीर्घकालीन कोष उपलब्ध कराने के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना की गई। ग्रामीण साख की उपलब्धता की समीक्षा तथा कृषि साख के प्रवाह को सुधारने के लिये समुचित उपायों की संस्तुति के लिये 1966 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति का गठन किया गया। समिति ने संस्तुति की कि सहकारिताओं के साथ ही वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण ऋण वितरण में पूरक भूमिका निर्वहन करें। 1969 में बैंक राष्ट्रीयकरण तथा प्राथमिक क्षेत्र को ऋण वितरण की अवधारणा के क्रियान्वयन ने वाणिज्यिक बैंकों को वृहदरूप से ग्रामीण साख व्यवस्था में लाने में उत्प्रेरक का कार्य किया।

अग्रणी बैंक योजना भी विकेन्द्रीकृत योजना के लिये उसी वर्ष लागू की गई, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद को एक वाणिज्यिक बैंक के साथ रखा गया। फिर भी ये सभी उपक्रम कृषि के लिये ऋण प्रवाह में अपेक्षित सुधार ला पाने में इसलिये असफल रहे क्योंकि वाणिज्यिक बैंक लघु एवं सीमान्त कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने के लिये प्रशिक्षित नहीं किये गये थे जबकि सहकारिताओं के पास किसानों की बड़ी हुई ऋण की मांग को पूरा करने के लिये संसाधनों का अभाव था और इसी पृष्ठभूमि पर, नरसिंहन कार्य दल की संस्तुतिओं के आधार पर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कल्पना एक पृथक बैकिंग संरचना के रूप में की गई जिसमें सहकारिता के लाभ, स्थानीयता भावना और ग्रामीण समस्याओं की अच्छी जानकारी व व्यावसायिकता तथा संसाधन आधार वाणिज्यिक बैंक समाहित था। इस प्रकार 70 के दशक का अन्त बहु अभिकरण प्रणाली जिसमें सहकारिता, वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित थे, ग्रामीण साख व्यवस्था के रूप में उभरे। तदनन्तर, समिति के सुझावों का अनुसरण करते हुए, हेतु संस्थागत साख की समीक्षा की व्यवस्था के लिये 1982 में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई जिसने एआरडीसी के सभी कार्य तथा भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि तथा ग्रामीण साख सम्बन्धी सभी कार्यों का दायित्व ले लिया। नाबार्ड वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है तथा ग्रामीण साख के क्षेत्र में संस्थागत विकास को सुगम बनाता है।

1990 ने वित्तीय प्रणाली के सुधारों पर गठित समिति के सुझावों पर आधारित (अध्यक्ष श्री एम नरसिंहन 1991) वित्तीय क्षेत्र के सुधारों को भलीभांति देखा है।

वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से कृषि साख पर उच्च स्तरीय समिति सहित अनेक ग्रामीण वित्तीय प्रणाली समितियां (आर.वी. गुप्ता, 1998), सहकारी साख प्रणाली एवं कार्यों पर कार्य बल अध्ययन तथा उसको सुदृढ़ करने उपाय (जगदीश कपूर 1999), ग्रामीण साख पर विशेषज्ञ समिति (वी.एस.व्यास, 2001), वैद्यनाथन कार्यबल- I और II, (2000 के प्रारम्भ में), इत्यादि उस दौरान गठित की गई थी। 1990 से भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया उपर्युक्त समितियों की संस्तुतियों के आधार पर प्रारम्भ की गई। तथापि, यह देखा गया कि एक ओर

वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित संस्तुतियों को अधिकांशतः क्रियान्वित किया गया वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सहकारी साख संरचना पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। एक ओर अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (एसटीसीसीएस) पर वैद्यनाथन कार्य बल रिपोर्ट पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया जबकि दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) को पूरी तरह से उपेक्षित किया गया तथा उसे बिल्कुल ही क्रियान्वित नहीं किया गया। कृषि क्षेत्र के ऋण प्रवाह में असाधारण वृद्धि गत 15 वर्षों में हुई है जैसा कि नीचे दी गई वर्ष 2005-06 से 2020-21 तक की कृषि साख के वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां इंगित तालिका में देखा जा सकता है:-

(घनराशि करोड़ रु. में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2005-06	1,41,500 (34.76%)	1,80,486 (44.03%)
2006-07	1,75,000 (23.67%)	2,29,401 (27.10%)
2007-08	2,25,000 (28.57%)	2,50,000 (08.98%)
2008-09	2,80,000 (24.44%)	3,02,908 (20.76%)
2009-10	3,25,000 (16.07%)	3,84,541 (26.94%)
2010-11	3,75,000 (15.38%)	4,68,291 (21.79%)
2011-12	4,75,000 (26.66%)	5,11,029 (09.13%)
2012-13	5,75,000 (21.05%)	6,07,375 (18.85%)
2013-14	7,00,000 (21.74%)	7,30,765 (20.31%)
2014-15	8,00,000 (14.28%)	8,45,328 (15.68%)
2015-16	8,50,000 (06.25%)	9,15,509 (08.30%)
2016-17	9,00,000 (05.88%)	10,65,755 (18.42%)*
2017-18	10,00,000 (11.11%)	11,62,617 (16.26%)
2018-19	11,00,000 (10%)	12,54,762 (14.06%)*
2019-2020	12,00,000	-
2020-2021	15,00,000	-

- कोषक के अन्दर आंकड़े गतवर्ष के सापेक्ष हुये प्रतिशत परिवर्तन इंगित करते हैं।
- स्रोत : बजट संलेख तथा भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2005-06 से 2018-19) तथा नाबार्ड वार्षिक रिपोर्ट।
- * आंकड़े-17 कृषि साख गत पृष्ठ 157 (आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 भारत सरकार)

2018-19 में वितरित रु 12,54,762 करोड़ में से अधिकतम सीमा तक रु 6,26,087.53 करोड़ (अन्तिम) लघु एवं सीमान्त कृषकों को वितरित किया गया जो कुल वितरित ऋण का 49.90 प्रतिशत है।

लघु एवं सीमान्त कृषक जो 85 प्रतिशत कृषि जोत परिचालित करते हैं तथा कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक कृषि क्षेत्र के लिये उत्तरदायी होते हुये भी उस अनुपात में संस्थागत ऋण का यथोचित भाग प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को अल्पकालीन ऋण जैसे आदानों की खरीद, निराई, कटाई, छटाई तथा ढुलाई के लिये ऋण की आवश्यकता होती है अथवा दीर्घकालीन उपयोग जैसे कृषि यंत्रिकरण एवं संयंत्रों अथवा सिंचाई में निवेश। लघु एवं सीमान्त कृषक अधिकांशतः ऊंची ब्याज दर के ऋण प्राप्ति के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहते हैं।

पिछले कुछ दशकों से, विशेषरूप से 1990-91 से, दीर्घकालीन ऋण के अंश में निरन्तर गिरावट आ रही है जिसका अर्थ है कि कृषक दीर्घकालीन निवेश के लिये ऋण के स्थान पर आवर्ती खर्चों के लिये ऋण ले रहा है। यद्यपि उत्पादन ऋण के प्रवाह में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है किन्तु कृषि निवेश ऋण की भागीदारी में गिरावट तथा पूँजी निर्माण तथा उत्पादकता वृद्धि की धीमीगति कारण कृषि उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है।

अनुमान है कि कृषि में कुल ऋण का 75 प्रतिशत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तथा अवशेष सहकारिताओं एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अंश क्रमशः 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत द्वारा अभिदत्त है। तथापि ऋण में प्रतिवेदित वृद्धि क्षेत्र में नहीं दिखाई नहीं पड़ी। लगभग 1540 मिलियन कृषि परिवार औपचारिक ऋण प्रणाली की परिधि से बाहर हैं। साधारण किसान अभी भी बैंकिंग व्यवस्था से ऋण प्राप्त कर पाने में कठिनाई अनुभव करता है। वाणिज्यिक बैंकों के आधिपत्य के बावजूद कृषि ऋण के आंकड़ों में सहकारिताये अभी भी 60 प्रतिशत कृषि ऋण का प्रमुख स्रोत बनी हुई हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि ऋण वितरण में कुल ऋण वितरित ऋण में 10 प्रतिशत तथा कुल ऋणी सदस्यों की लगभग 20 प्रतिशत भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। सच्चाई यह है कि सहकारिताएं एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोनों ही एक साथ कृषि क्षेत्र के 80 प्रतिशत ऋण वितरण को आच्छादित करती हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र किसानों के लिये मात्र 20 प्रतिशत ऋण वितरण किया जाना शेष बचता है। निस्सन्देह वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से किसानों को सीधे दिये जाने वाले ऋण की मात्रा उनके द्वारा यथार्थतः

प्रतिवेदित वास्तविक ऋण वितरण से काफी कम होती है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋणों की अतिगणना के कारण ग्रामीण साख में सरकार की नीतियां निष्फल हुई हैं साथ ही सरकारी नीतियों में सहकारिताओं के माध्यम से ऋण प्रवाह के पोषण करने की नीति एवं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में बाधक होने तथा उनके महत्व बहुत तेजी से घटा दिया है।

कृषि पैदावार (औसत प्रति हेक्टर उत्पादन की दृष्टि से) अधिकांश फसलों की सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देशों जैसे चीन, ब्राज़ील तथा संयुक्त राज्य अमेरिका से तुलना करने पर काफी कम पायी गई। कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों में कृषि जोत का आकार कम होना, निरन्तर अनुपयुक्त सिंचाई संसाधनों की उपलब्धता के कारण मानसून पर निर्भरता, मृदा पोषक तत्व के उपयोग में असन्तुलन के कारण भूमि उर्वराशक्ति का क्षय, आधुनिक प्रौद्योगिकी की देश के कई भागों में अनियमित उपलब्धता, औपचारिक कृषि ऋण तक अपेक्षित पहुंच का अभाव, बाजार अवरोधन में ऋण सम्बन्धी मुद्दे।

अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि की लाभप्रदता कृषि में निजी निवेश को प्रभावित करता है तथा विभिन्न फसलों की सापेक्षिक लाभप्रदता भूमि एवं अन्य संसाधनों के अन्तर फसल आवंटन को निर्धारित करती है। कृषि की आधारभूत संरचना में सार्वजनिक निवेश कृषि में लाभप्रदता निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। फिर भी कृषि में सार्वजनिक निवेश गत दशकों में तेजी से गिर रहा है। कृषि में वर्तमान संकट तथा किसानों की पीड़ा का हल निकालने के लिये सार्वजनिक निवेश में कृषि के आधारभूत संरचना के गिरते हुये रुझान में बदलाव लाना अनिवार्य है।

कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई आय असमानता के कष्टदायक रुझान को उत्पादक अवसर सृजन के द्वारा कृषि से श्रम बल के एक बड़े भाग को अकृषि क्षेत्र में परिवर्तित किये जाने की भी आवश्यकता है।

कृषि क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहली आवश्यकता किसानों को दीर्घकालीन निवेश करने के लिये उत्प्रेरित किये जाने की है। निस्संदेह, न केवल ऋण के प्रवाह और आधारभूत निवेश सृजन को बढ़ा कर वरन कृषि-विपणन तथा कृषि-प्रकृमण के विकास के द्वारा जनमानस के सहयोग की आवश्यकता होगी। निवेश आवश्यकताओं की पूरे देश/क्षेत्र में, कृषि जलवायु आधारित स्थानिक परिस्थितियों एवं कृषि विकास के स्तर पर व कृषकों द्वारा फसल और कृषि सम्बन्धित की जा रही अन्य गतिविधियों के अनुरूप भिन्नता हो सकती है।

साख, उत्पादन प्रक्रिया में, समर्थकारी एवं विकट निवेश के रूप में कार्य करता है। अध्ययन से यह तथ्य उजागर होता है कि संस्थागत स्त्रोंतों, यथा वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारिताओं से निर्गमित ऋण उर्वरकों, बीज तथा अन्य निविष्ट सामग्रियों के सहज उपलब्धता प्रदान कराता है तथा पूँजी निर्माण से बहुत अधिक सम्बन्धित होता है। मांग पक्ष की ओर से अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट होता है कि भारत में लगभग 86 प्रतिशत कृषि में निवेश, संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्त्रोंतों से प्राप्त ऋण के धन के माध्यम किया जाता है। मौजूदा संस्थागत वित्त तंत्र कुल उत्पादन ऋण आवश्यकताओं का 65 प्रतिशत से अधिक को ही संरक्षित कर रहा है, अवशेष की आपूर्ति निवेश ऋण से होती है। सभी बैंकों द्वारा प्रदान कराये जा रहे अल्पकालीन ऋण अधिकांशतः फसल उत्पादन के लिये ही सहायता दे रहे हैं तथा कृषि निवेश ऋण में उनका सहयोग बहुत कम है। इससे कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण प्रभावित हुआ है जिसे वस्तुतः पिछले कुछ वर्षों में इसलिए बढ़ाया जाना चाहिए था क्योंकि किसानों को संस्थागत ऋण अभिकरणों से प्राप्त ऋणों से उनको अपने निवेश का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है। वर्तमान अनुमान स्पष्ट करते हैं कि दीर्घकालीन साख न केवल कम हो रहा है यह कुल कृषि ऋण का एक चौथाई से भी कम रह गया है। अतः नीतिगत दबाव के साथ पर्याप्त बजटीय सहयोग से बैंकों को प्रोत्साहित किया जाना होगा। इसी प्रकार, सार्वजनिक निवेश का इस क्षेत्र के सबसे बड़े साझाकारक पर गुणक प्रभाव के कारण पुर्नजीवित किया जाना दुसाध्य होगा।

भारत में राज्य स्तर पर निवेश निधि आवश्यकताओं का आंकलन कृषि विकास के लिये नहीं किया गया, इसे केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही किया गया। योजना आयोग ने अनुमान किया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान 3.5-4.2 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य को पाने के लिये 20.41 प्रतिशत के निवेश की दर की आवश्यकता थी। 5.32 प्रतिशत की वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) पर आधारित यह निवेश दर की पूर्ति सार्वजनिक एवं निजी (कृषि परिवारों) क्षेत्र से की जानी है। 2007-08 से 2011-12 तथा 2012-13 से 2013-14 तक एवं वास्तविक कृषि आय में 9.23 प्रतिशत के वार्षिक के वृद्धि लक्ष्यपर आधारित वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर), निजी खातों में अपेक्षित निवेश की दर 6.62 प्रतिशत है। सार्वजनिक निवेश के मामलों में (कृषि के लिये) निवेश दर 6.92 प्रतिशत वार्षिक है। समग्र रूप से किसानों की वास्तविक आय को कृषि की उच्चतर आय के द्वारा दुगना करने में सक्षम बनाने के लिये भारत में निजी निवेश 2015-16 में 296 बिलियन (रु 29,559 करोड़)

से बढ़ कर 2004-05 के मूल्य पर 2022-23 में 463 बिलियन (रु 46,299 करोड़) हो जाना चाहिए।

पूर्व अवधि के किये गये अध्ययनों ने कृषि में 2.2 और 4 प्रतिशत के मध्य घटते बढ़ते वृद्धिशील पूँजी उत्पादन अनुपात (आईसीओआर) को उच्चतर प्रतिवेदित किया है जो इंगित करता है कि प्रति वर्ष उत्पादन में एक रुपये की वृद्धि के लिये रु 2.2 से रु 4 तक एक मुश्त निवेश किया जाना अपेक्षित है। पूँजीगत अपेक्षाएं लगभग दोगुनी हो जाएगी यदि आधारभूत संरचना और सहायक निवेश में सार्वजनिक निवेश किये जाने पर विचार किया जाता है। टुकड़ों में बटे कृषिजोतों की बढ़ती मात्रा के साथ उस स्थिति में जब कि ऐसे निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल सुनिश्चित न किया गया हो, सीमान्त कृषक के लिये उस पर निवेश ऋण लेना बिल्कुल असम्भव होगा। इस प्रकार, निवेश साख पर जोखिम एवं प्रतिफल अनुपात काफी अधिक होने की स्थिति में, ऐसा ऋण जिसमें लाभ भी बहुत कम हो, लघु एवं सीमान्त कृषको के समक्ष ऊँची दर पर ऋण लेने में संशय रहेगा। जैसा कि उपर्युक्त इंगित किया गया है जब तक जोखिम लाभ अनुपात सकारात्मक नहीं होते, कृषक संस्थागत अभिकरण से ऋण ले कर अतिरिक्त निवेश करने का कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहेंगे।

संस्थागत साख संचरण तंत्र के पास दीर्घकालिक संसाधन नहीं होते हैं। नाबार्ड से प्रदत्त पुनर्वित्त सुविधा केवल बैंकों से तरलता सहयोग के माध्यम से ही सुलभ है। वाणिज्यिक बैंक सामान्यतया पुर्नभुगतान अवधि को अपने निवेश ऋण समर्थन में दबा देते हैं फलस्वरूप किसानों को उस ऋण के भुगतान के लिये दबाव डालते हैं जिस पर उन्हें कोई आय सृजित नहीं की है। फलस्वरूप कृषक अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिये अनौपचारिक स्त्रोंतों से सम्पर्क करने के लिये बाध्य कर दिया जाता है, जिनकी ब्याज की दरें बहुत ज्यादा होती हैं। सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास पर्याप्त दीर्घकालीन संसाधन नहीं होते हैं जिससे वह निवेश ऋण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकें। एआरडीबैंक अपने सदस्यों की निवेश ऋण आवश्यकताओं को कभी कभी नाबार्ड के पुनर्वित्त के सहयोग के बिना भी सदस्यों की मांग को पूरा करने वाले केवल एकमात्र स्त्रोंत हैं। यदि एआरडी बैंकों द्वारा निवेश ऋण के अंश को बढ़ाये जाने की आवश्यकता हो, उन्हें नाबार्ड अथवा अन्य उच्च अभिकरण से उदारीकृत वित्त प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि एआरडीबैंक ही नीति निर्माताओं द्वारा दीर्घकालीन निवेश ऋण प्रदान कराने वाला सृजित केवल उद्देश्यपरक स्त्रोंत है। अतः यह नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति के पुनरावलोकन की अपील करता है जिसे एआरडी बैंको को सीमिति ऋण वितरण नीतियों में बाधित

करने के स्थान पर उनका समर्थन करते हुये उदारतापूर्वक बिना किसी बन्धन के अग्रसक्रिय भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। वस्तुतः नाबार्ड सर्वप्रथम अपना पुनर्वित्त बकाया भुगतान की वसूली कर रहा है जब कि प्रारम्भ से ये अपने ऋणी सदस्यों को दिये गये ऋण की वसूली कर पाने में असमर्थ हैं। नाबार्ड को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है तथा इसे अपने पुनर्वित्त की किश्तों को एआरडी बैंकों द्वारा लेटर एण्ड रिपेमेण्ट (बाद में – अन्तिम भुगतान) नीति अंगीकार कर वसूली करनी चाहिये। इस प्रकार का दृष्टिकोण एआरडी बैंकों को अनेक सामाजिक एवं राजनैतिक कारणों से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल वसूली परिस्थितियों का सामना करने के लिये पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करेगा तथा नाबार्ड भी जोखिम भागीदारी दृष्टिकोण में सहभागी होगा।

एलटीसीसीएस (दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना) का पुनरुद्धार बुरी तरह से विलम्बित हुआ है जिससे इसकी किसानों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हुई है। सरकार को एलटीसीसीएस (दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना) का वैद्यनाथन कार्यबल—।। द्वारा संस्तुत किये गये पुनरुद्धार पैकेज को अविलम्ब लागू करा देना चाहिए।

किसानों को ऊंची ब्याज दर पर उपलब्धता निवेश साख का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसपर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने फसली ऋणों को वहन करने योग्य दरों पर बनाये रखने के लिये कदम उठाये हैं। ब्याज में 3 प्रतिशत के अनुदान दिये जाने के उपरान्त फसली ऋण पर अधिकतम ब्याज दर 4 प्रतिशत वार्षिक हैं। राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त अनुदान दिये जाने के बाद कुछ राज्यों में फसली ऋण अब शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर भी कृषि साख की लागत को कम करने के लिये कृषि निवेश के लिये दिये गये ऋणों हेतु इनमें से कोई भी उपाय नहीं किये गये हैं।

नाबार्ड का बैंको को निवेश साख के लिये पुनर्वित्त सहयोग की 8.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर अन्तिम ऋणी सदस्य स्तर पर लागत में वृद्धि के साथ व्याज दर 12 से 14 प्रतिशत के स्तर पर पहुच जाती है। फसली ऋण एवं निवेश ऋण की ब्याज दरों में बहुत बड़ा अन्तर कृषि निवेश के लिये अत्यन्त हतोत्साहित करने वाला हो गया है।

सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों में कृषि हेतु वितरित ऋण में हुई हानियों को देखते हुये नाबार्ड में दीर्घकालीन ग्रामीण साख के लिये एक कोष का सृजन किया है। नाबार्ड इस कोष का उपयोग निवेश ऋण पुनर्वित्त

कम ब्याज दर पर 5 वर्ष की अवधि हेतु देने के लिये कर रहा है। यद्यपि एससीएआरडी बैंक्स को उनके अधिकांश ऋण 5 वर्ष से अधिक लम्बी अवधि के होने के कारण एलटीआरसीएफ से बहुत छोटी धनराशि दी गई। एआरडी बैंकों द्वारा निवेश ऋण के अंश को बढ़ाने के लिये कार्यदल की संस्तुतियों के आधार पर तथा दिनांक 6 मार्च 2019 को अध्यक्ष नाबार्ड से विचार विमर्श के बाद, नाबार्ड ने दीर्घकालीन ऋणों के लिये पुनर्वित्त की अवधि 9 वर्ष के लिये तथा एलटीआरसीएफ के साथ आंशिक सहयोग के साथ 5 वर्ष तक तथा अवशेष अवधि के लिये नाबार्ड सामान्य ऋण पर देय ब्याज जो लागू होगा, चार्ज करेगा। यह छूट लम्बी अवधि तक एआरडी बैंकों को विशिष्ट सीमा तक संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिये अपेक्षित गुंजाइश देते हुये और अधिक पुनर्वित्त उपयोग के लिये जारी रहेगी।

कृषि हेतु वित्त पोषण विशेषरूप से वर्षा सिंचित परिस्थितियों में, जिसके अन्तर्गत कूल कृषिगत क्षेत्र का 63 प्रतिशत क्षेत्र है, में बहुत अधिक जोखिम है। वर्तमान में कृषि वित्त पोषण में जो जोखिम सम्मिलित है, वह ऋणदाता संस्थान द्वारा वहन किया जाता है जो उनके उच्चस्तरीय एनपीए का कारण हैं। एआरडी बैंकों सहित सहकारी साख संरचना में बहुत बड़ी संख्या में संस्थाएं जो मुख्य रूप से छोटे एवं सीमान्त कृषकों की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं, उनका एनपीए सहनीये स्तर से परे है।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ऋण माफी योजनाओं के क्रियान्वयन अभी भी ऋण वसूली के वातावरण को दूषित कर रही हैं। कृषि बीमा हेतु सरकार का किसानों को किये गये समर्थन को फसल बीमा से अलग कृषि परिसम्पत्तियों के बीमाकरण के लिये भी बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार को ऐसी कार्यवाही जिससे वसूली का वातावरण दूषित होने से बचना चाहिए तथा एआरडी बैंकों की वसूली प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।

संस्थागत ऋणों का बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण व उत्तर पश्चिम क्षेत्र के कुछ विकसित राज्यों तक ही जाता है। परिणामस्वरूप कृषि विकास की अपार सम्भावनाओं वाले पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्य पर्याप्त ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अनेक राज्यों के मध्य और उसके साथ ही क्षेत्र के अन्दर ग्रामीण समुदायों के मध्य ऋण के असमान वितरण का स्वरूप ग्रामीण वित्त पोषण प्रणाली के लिये बहुत बड़ी चुनौती हैं।

दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना – विहंगावलोकन

वर्तमान में संरचना में 16 एससीएआरडी बैंक हैं जिनमें बुनियादी स्तर पर 1722 पीसीएआरडी बैंक/एससीएआरडी बैंकों की शाखाओं के नेटवर्क के साथ 13 पूर्णतया कार्यात्मक हैं। इन बैंकों की कुल सदस्य संख्या 1,02,44,345 ग्रामीण परिवार जिनमें 56,55,969 पर बकाया अवशेष हैं। 31.03.2020 को पूरी तरह कार्यात्मक एससीएआरडी बैंकों का कुल ऋण अवशेष तथा अदत्त बकाया कमशः रु 20102.57 करोड़ तथा रु 13437.20 करोड़ था। पूर्णतया कार्यात्मक एससीएआरडी

बैंकों के पास 31.03.2019 को रु 2113.92 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2020 तक इन बैंकों की कुल जमा राशि रु 2129.21 करोड़ थी जब कि इनकी कुल वितरित ऋण राशि गत वर्ष के रु 4242.50 करोड़ के सापेक्ष 2019-20 के दौरान रु 4214.40 करोड़ थी। इन बैंकों की कुल वसूली गत वर्ष के 36.37 प्रतिशत की तुलना में 38.59 प्रतिशत (31 मार्च 2020 तक) रही।

31 मार्च 2020 तक दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना की वृद्धि (रु लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	वर्ष के दौरान	
		2018-19	2019-20
1.	एससीएआरडी बैंकों की संख्या		
	i पूर्णतया कार्यात्मक	13	13
	ii अन्य	3	3
2.	आउटलेट का नेटवर्क		
	i एससीएआरडी बैंकों की शाखाएं	660	660
	ii पीसीएआरडी बैंक एवं इसकी शाखाएं	1,063	1,062
	योग	1,723	1,722
3.	व्यक्तियों की सदस्यता		
	i ऋणी सदस्य	55,53,215	56,55,969
	ii गैर-ऋणी सदस्य	46,51,291	45,88,376
	योग	1,02,04,506	1,02,44,345
4.	बकाया ऋण	19,76,087.43	20,10,257.27
5.	वितरित ऋण	4,24,250.14	4,21,439.89
6.	अदत्त उधार राशियां	14,87,110.14	13,43,719.94
7.	अदत्तजमा	2,11,392.21	2,12,920.86
8.	ऋण वसूली स्थिति		
	इस तिथि को	2018-19	2019-20
	i मांग	13,18,364.13	14,47,361.95
	ii वसूली	4,79,428.14	5,58,488.85
	iii वसूली %	36.37	38.59
9.	लाभ की धनराशि	12,391.75	15,382.18
	लाभ में (संख्या)	8	8
10.	हानि की धनराशि	24,435.10	18591.17
	हानि में (संख्या)	5	5
11.	कर्मचारियों की स्थिति		
	i एससीएआरडी बैंक स्तर पर	4,779	4,576
	ii पीसीएआरडी बैंक स्तर पर	4,658	4,493
	योग	9,437	9,069

दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना (एलटीसीसीएस) में मुद्दे एवं चुनौतियां

एलटीसीसीएस को एक गैर स्रोत आधारित विशिष्ट अवधि के ऋण प्रदान करने वाली संस्था के रूप में आकल्पित किया गया। संरचना में राज्य स्तरीय एवं प्राथमिक स्तरीय कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक सम्मिलित हैं। इन संस्थाओं को बैंकिंग नियामक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली बैंकों के रूप में कार्य करने का लाइसेन्स नहीं दिया गया है। फलस्वरूप इन्हें अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों (आरएफआई) की तरह आम लोगों से जमा लेने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। परिणामस्वरूप इन्हें ऋण वितरण के लिये भारी मात्रा में उधारीकृत निधियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व अपने कार्यों के संचालन हेतु सरकार का कोष इनके वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत था। भूमि विकास बैंकों के कार्यों के दीर्घ कालीन संसाधन जुटाने हेतु वर्ष 1961 में कृषि पुर्नवित्त निगम (एआरसी) को स्थापना की गई। वर्ष 1963 में कृषि पुर्नवित्त निगम (एआरसी) को एआरडीसी के रूप में नाम दिया गया। वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना होने तक भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि पुर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग (एसीडी) दोनों दीर्घ कालीन साख संरचना (एलटीसीसीएस) के कार्यों के लिये कोष की व्यवस्था करते थे। जुलाई 1982 में कृषि पुर्नवित्त विकास निगम (एआरडीसी) तथा कृषि ऋण विभाग (एसीडी) दोनों को मिलाकर नाबार्ड बनाया गया। तब से इस संरचना के ऋण वितरण कार्य संचालन हेतु नाबार्ड ही कोषों का प्रमुख स्रोत है।

तथापि, वर्ष 2000 के प्रारम्भ से नाबार्ड द्वारा दिया जा रहा पुर्नवित्त सहयोग शनैः शनैः कम होता जा रहा है। इससे एआरडीसी बैंकों का ऋण संचालन गम्भीर रूप से प्रतिबन्धित हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों के एआरडीसी बैंक जो शासकीय गारण्टी न मिल पाने अथवा आरम्भ किये गये जोखिम मूल्यांकन मानदण्डों पर आधारित पुर्नवित्त के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा कर पाने में असफल रहने के कारण नाबार्ड से पुर्नवित्त प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें संसाधनों के अभाव में ऋण वितरण कार्यों को स्थगित करना पड़ा था। एआरडीसी बैंक 0.25 प्रतिशत से लेकर 2 प्रतिशत तक गारण्टी शुल्क वहन कर रहे हैं। इस प्रकार, प्रभावपूर्ण ढंग से एआरडी बैंकों की व्यवहार्यता को प्रभावित करते हुये उनकी उपलब्ध लाभ की सीमान्तता को निरन्तर कम किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, एआरडी बैंकों की निवेश ऋण में भागीदारी को बढ़ाने के लिये श्री वाइ सी नन्दा की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने एआरडी बैंकों को उनकी भारमुक्त गुणवत्ता वाली परिसम्पत्तियों तथा अन्य गुणात्मक मापदण्डों

के आधार पर बिना गारण्टी अथवा जमानत के पुर्नवित्त दिये जाने हेतु पुर्नवित्त की एक नई व अतिरिक्त प्रणाली सृजित करने हेतु नाबार्ड को संस्तुति की है।

दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों की अल्पकालीन उत्पादन ऋण/ कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम रहना, एआरडी बैंकों की कार्यपद्धति एक अन्य दूसरा प्रमुख दोष रहा है। अधिनियम में प्रतिबन्ध होने के कारण, सामान्य तौर पर एआरडी बैंक, अभी हाल ही तक ऋण वितरित कर पाने अल्पकालीन उद्देश्य हेतु में असमर्थ थे। हाल के वर्षों में, अधिकांश राज्यों में एआरडी बैंक अपने दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों की अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं को भी सदस्यों के जमा संग्रहण से अर्जित कोष तथा एनसीडीसी से अल्पकालीन पुर्नवित्त व बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। फिर भी एआरडी बैंक अभी भी फसली ऋण 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर देने में असमर्थ हैं क्योंकि भारत सरकार की फसली ऋण ब्याज अनुदान योजना एआरडी बैंकों पर लागू नहीं किया गया है।

भारी बकाया तथा शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं में हानि, लेन-देन और जोखिम लागत में पर्याप्त मार्जिन की अनुमति दिये बिना विनियमित ब्याज दरों की लम्बी अवधि तथा योजना के अन्तर्गत खारिज किये गये ऋणों की प्रतिपूर्ति किये बिना 1990 में केन्द्र सरकार द्वारा ऋणमाफी योजना के क्रियान्वयन के कारण 90 के दशक से संरचना के संस्थानों में वित्तीय निष्पादन में गिरावट आना शुरू हो गई। वस्तुतः उपर्युक्त कारणों से वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालिक सहकारी साख संस्थाओं सहित सभी ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को भी भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। यद्यपि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अल्पकालिक सहकारी साख संस्थाओं की हानियां सरकार की अनेक पुर्ननिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत पूरित कर दी गई, किन्तु कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबीएस) की हानियों की क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। यद्यपि दीर्घकालिक ऋण संरचना (एलटीसीसीएस) के लिये प्रोफेसर वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यदल-2 ने, जिसमें एआरडी बैंकों के पुर्नपूँजीकरण हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 2006 में एकबार सहायता के लिये पुनरुद्धार पैकेज दिया जाना सम्मिलित है, की सिफारिश की जो अभी तक क्रियान्वित नहीं हो सका है।

पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन में अनपेक्षित विलम्ब ने अपने सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर पाने की इस संरचना की क्षमता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इन असफलताओं के बावजूद यह संरचना अभी भी प्रांसंगिक है जिसे कृषि ऋण के कुल प्रवाह में निवेश ऋण के अनुपात में आई तीव्र गिरावट को रोकने के लिए सुदृढ़

बनाये जाने की आवश्यकता है। संरचना के पुनरुद्धार में एससीएआरडी बैंकों और पीसीएआरडी बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में कृषि में प्रभावी ढंग से पूँजी निर्माण पर केन्द्रित वित्तीय सेवायें प्रदान करने वाले आत्म निर्भर सदस्य संचालित संस्थान में रूपान्तरण किया जाना सम्मिलित है।

वसूली की निरन्तर बिगड़ती स्थितियाँ एआरडीबैंकों के समक्ष दूसरी प्रमुख चुनौती है। बुनियादी स्तर पर कुल औसत ऋण वसूली कुछ वर्षों से 50 प्रतिशत के आस-पास ही बनी हुई है। यद्यपि भूमि बंधक किए जाने से ऋण सुरक्षित हैं किन्तु कुछ राज्यों में कृषि भूमि के विक्रय के द्वारा वसूली करना कठिन है। संरचना की निवेश ऋण के साथ उत्पादन ऋण/कार्यशील पूँजी ऋण दे पाने में असमर्थता के

परिणामस्वरूप उन ऋण लाभार्थियों को जो दूसरी अन्य संस्थाओं से अल्पकालीन ऋण नहीं ले पाते हैं, को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त जिन एआरडी बैंकों ने अल्पकालीन ऋण और बचत खाता सुविधायें प्रारम्भ नहीं की हैं, वे अपने ऋण लाभार्थियों से नियमित सम्पर्क बना पाने में असमर्थ हैं जो ऊँची दरों की ऋण वसूली के लिए आवश्यक है। यद्यपि ऋण माफी एक बार के उपाय के रूप में की जा सकती है किन्तु यही भविष्य में आगे ऋण माफ हो जाने की अपेक्षाओं को भी बढ़ाती है किन्तु इससे कृषि ऋण व्यवस्था, जो संसाधनों के पुनारवर्तन के बिना कार्य नहीं कर सकती, पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है।

2019–20 के दौरान फेडरेशन

कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना 1960 में राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लि. (एनसीएआरडीबीएफ) की स्थापना रही है। अपने स्थापना काल से ही फेडरेशन इस क्षेत्र के विकास के लिये महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। इसने एक प्रभावी समन्वय स्थापित किया है तथा सदस्य बैंक के मध्य आपसी समझ को बढ़ाया है तथा केन्द्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड तथा एससीएआरडी बैंकों को वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं से निकट सम्बन्ध विकसित किये हैं। फेडरेशन की अन्य गतिविधियों में – संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन, अनुसंधान अध्ययन कराना तथा अपने नियोजन अनुसंधान एवं विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ के माध्यम से योजना एवं कार्यक्रमों का निर्माण, सदस्य बैंकों के क्रिया कलापों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, अध्ययन दलों का प्रायोजन, ऋण पत्रों के निवेश में सहसमन्वय स्थापित करना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रचार कार्य, संचालन एवं प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शन एवं सलाह देना, सम्मिलित है। विगत 56 वर्षों से फेडरेशन द्वारा प्रकाशित कराये जा रहे त्रैमासिक लैण्ड बैंक जर्नल ने विशेष ख्याति अर्जित की है। फेडरेशन अपने सदस्य बैंकों को नये उत्पादों के रूपांकन के द्वारा व्यवसाय विकास और विस्तार में भी सहायता प्रदान करता है।

पुनर्पूँजीकरण एवं सुधार, स्व-प्रेरित सुधारों की पहल के लिए एससीएआरडी बैंकों का मार्गदर्शन तथा संसाधनों के संग्रहण के लिये, सदस्य बैंकों का मार्गदर्शन एवं सहयोग, वसूली एवं अनर्जक

परिसम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा व्यवसाय संवर्धन एवं विविधीकरण सहित पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान्वयन के लिए सरकार से पैरवी, फेडरेशन की गतिविधियों के महत्व वाले क्षेत्र वर्ष के दौरान भी बने रहे।

पक्ष जुटाव / पैरवी करना

एआरडी बैंकों के लिए पुनरुद्धार पैकेज

कुछ वर्षों से केन्द्र सरकार से पुनरुद्धार पैकेज की निरन्तर मांग करते रहना, फेडरेशन की पैरवी का प्रमुख केन्द्र बिन्दु बना हुआ है। दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज दिए जाने की संस्तुति वैद्यनाथन टास्क फोर्स द्वारा 2006 में की गई थी तथा भारत सरकार ने 2008–09 के केन्द्रीय बजट में इसके क्रियान्वयन की घोषणा की थी। तदनन्तर केन्द्रीय बजट 2009 द्वारा पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन भी कर दिया गया था जो उस समय ही कदाचित 2009 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाने के परिचालित नहीं किया जा सका था, को उसके तुरन्त बाद अधिसूचित किया गया था। चुनाव के बाद वित्त मंत्रालय ने ऋण माफी योजना के क्रियान्वयन तथा 2008 की ऋण माफी योजना के परिप्रेक्ष्य में पुनरुद्धार योजना की समीक्षा करने हेतु तत्कालीन अपर सचिव (वित्त) श्री चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया। चतुर्वेदी कमेटी ने दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के लिए पुनरुद्धार योजना के क्रियान्वयन की संस्तुति कुछ मामूली संशोधनों के साथ अपनी आख्या फरवरी 2010 को सौंपी। तथापि, उसके बाद से उसके क्रियान्वयन हेतु अभी तक कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। फेडरेशन समय समय पर इस मामले को सरकार में प्रधानमंत्री एवं

वित्त मंत्री सहित अनेक अधिकारियों के समक्ष भी उठाता रहा है। इस विषय पर फेडरेशन ने माननीय सांसदों की एक बैठक भी आयोजित की। फेडरेशन ने इस वर्ष के केन्द्रीय बजट के अवसर पर कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण को बढ़ावा देने तथा सदस्य किसानों द्वारा ऋण के संकट का सामना करने के लिए दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना की संस्थाओं के पुनरुद्धार की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए इस मामले में एक नया ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को दिया है। पैकेज के क्रियान्वयन में विलम्ब ने एआरडी बैंकों की वित्तीय कमजोरियों को और अधिक विकृत कर दिया है तथा उनकी लगभग 107 लाख कृषक सदस्यों जो सामान्यतः किसी दूसरी संस्था से ऋण प्राप्त कर पाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनकी कृषि योग्य भूमि एआरडी बैंकों के पास पहले से ही बन्धक है, की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को भारी मात्रा में कम कर दिया है। उनके द्वारा सामना किए जा रहे ऋण के संकट के निवारण का एकमात्र उपाय प्रस्तावित पुनरुद्धार पैकेज का क्रियान्वयन है। यदि पुनरुद्धार किया गया तो वर्तमान में प्रमुख राज्यों में कार्यरत 2600 बैंक शाखाओं के नेटवर्क की वर्तमान ऋण वितरण क्षमता जो लगभग 5000 करोड़ है, को इतने कम समय में भी कम से कम 5 गुना बढ़ाया जा सकता है।

एआरडी बैंकों का बैंको के रूप में पुनर्गठन

राज्य सरकारों और नाबार्ड दीर्घकालीन सहकारी साख समितियों (एलटीसीसीएस) की संस्थाओं एवं हित धारकों के मध्य आम धारणा है कि एआरडी बैंकों को, उन्हें अपने सदस्यों की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमतायुक्त बनाने के लिये संसाधन आधारित पर्याप्त रूप से नियमित बैंकों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये तथा ग्रामीण साख संचालन व्यवस्था में इनकी प्रासंगिकता को पुनर्स्थापित कर दिया जाना चाहिये। कपूर समिति, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1999 में प्रस्तुत की थी, की सबसे प्रमुख संस्तुति एआरडी बैंकों को पूर्णरूपेण बैंकिंग संस्थान के रूप में परिवर्तित किया जाना थी। कपूर समिति की सिफारिश के आधार पर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई 2002 में एआरडी बैंकों के पूर्णरूपेण बैंक में परिवर्तित किये जाने के मापदण्ड निर्धारित करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया था। तथापि, कुछ बैठकों के उपरान्त, इस आंकलन के साथ कि उनकी वित्तीय स्थिति तथा कार्य निष्पादन शैली को देखते हुए एआरडी बैंकों को पूर्णरूपेण बैंक में परिवर्तित किये जाने का समय नहीं आया है, से सम्बन्धित उनकी आख्या प्रस्तुत किये जाने से पहले ही कार्यदल भंग कर दिया गया। बाद में वैद्यानाथन कार्यदल- II ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि, “यदि निर्धारित तिथि तक अथवा भविष्य में संरचना की कोई संस्था बैंकिंग लाइसेंस पाने के लिये निर्धारित शर्तों को पूरा करती है, बैंकिंग नियामक उसे उसकी योग्यता के आधार पर विचार कर सकता है”। यद्यपि बैंकिंग नियामक ने एआरडी बैंकों द्वारा

बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवश्यक शर्तें अभी तक निर्धारित नहीं की हैं। एआरडी बैंको को लाइसेंस दिये जाने में दूसरी समस्या इसके अपने संरचनात्मक स्वरूप की है। बैंकिंग नियामक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल राज्य सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी बैंक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं। राज्य सरकार द्वारा केवल एक राज्य सहकारी बैंक तथा एक ज़िला केन्द्रीय सहकारी बैंक को क्रमशः राज्य और जनपद की प्रमुख सहकारी समिति के रूप में परिभाषित, कर अधिसूचित किया गया है। चूंकि किसी भी एससीएआरडी बैंक अथवा पीसीएआरडी बैंक को किसी भी राज्य अथवा जनपद हेतु प्रमुख सहकारी समिति के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, ये राज्य सहकारी बैंक अथवा ज़िला सहकारी बैंक की श्रेणी के बैंकिंग लाइसेंस के लिये पात्र नहीं हैं। यद्यपि बैंकिंग नियामक के विद्यमान प्राविधान के अन्तर्गत, एआरडी बैंकों को अभी भी प्राथमिक सहकारी बैंक के रूप में लाइसेंस दिया जा सकता है। एकात्मक एससीएआरडी बैंक बिना किसी संरचनात्मक फेर बदल के प्राथमिक सहकारी बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने के योग्य हैं और संघीय एससीएआरडी बैंकों के मध्य, यदि बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिये आवश्यक हुआ तो उनमें एकात्मक संरचना को अंगीकार कर लेने के प्रति आम सहमति है। फेडरेशन द्वारा इस मुद्दे पर किये गए प्रतिनिधित्व के प्रतिउत्तर में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभी हाल ही में, बिना कोई विशेष कारण बताये यह सूचित किया है कि सुझाव के पक्ष में विचार नहीं किया जा सका है। फेडरेशन भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष लगातार अपने प्रस्ताव का अनुसरण कर रहा है।

फसली ऋण अनुदान योजना

फसल ऋण क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना वर्तमान में एआरडी बैंकों से फसल ऋण सुविधा प्राप्त करने वाले किसानों पर लागू नहीं की गई है। फेडरेशन उन संस्थानों जिनके माध्यम से फसली ऋण अनुदान योजना लागू होती है, की सूची में एससीएआरडी बैंकों को सम्मिलित कराने हेतु वित्त मंत्रालय से निरन्तर इस मुद्दे पर विचार करने के लिये प्रयासरत है। एससीएआरडी बैंको को फसल ऋण पुनर्वित्त प्रदान कराने का दूसरा विकल्प एस सी बैंकों के माध्यम से एससीएआरडी बैंकों को स्वीकृत फसल ऋण की सीमा तक विशिष्ट अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराना है। नाबार्ड के अध्यक्ष ने फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 6 मार्च 2019 को सम्पन्न बैठक में सूचित किया कि इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर बहुत तेजी विचार किया जा रहा है, अगर इसे लागू किया गया तो एससीएआरडी बैंक अन्य बैंकों द्वारा दिये जा रहे ब्याज दर पर ही अपने दीर्घकालीन ऋणी सदस्यों को फसल ऋण प्रदान करा सकेगा।

सुधार की पहल

सुधार की पहल हेतु कोरग्रुप (सीजीआरआई)

एससीएआरडी बैंकों द्वारा गठित सुधार की पहल हेतु कोरग्रुप (सीजीआरआई) की नियमित बैठके अधिकांश बैंकों में सम्पन्न हो रही हैं। सीजीआरआई बुनियादी स्तर पर स्व-प्रेरित सुधारों को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। सीजीआरआई संसाधन जुटाने तथा नये उत्पादों को लाने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान तथा एससीएआरडी बैंकों की श्रेणी सुधार हेतु सुधारात्मक कार्यवाही अनेक स्तरों पर प्राधिकार एवं जवाबदेही के साथ साथ एनपीए प्रबन्धन एवं वसूली कार्यात्मक क्षेत्रों की सुसंगत नीतियों एवं अच्छी तरह से प्रलेखित प्रक्रिया विकसित करने की दृष्टि से नियमावली निर्माण सहित संसाधन जुटाने के नये मार्गों के प्रभाव की भी समीक्षा कर रहा है।

2018-19 के दौरान सीजीआरआई बैंकों का केन्द्र बिन्दु एससीएआरडी बैंकों द्वारा संसाधन वृद्धि पर जोर देने, व्यापार विस्तार, एनपीए प्रबन्धन तथा कम्यूट्रीकरण के साथ विशेष पुनरुद्धार की योजनाओं की तैयारी और उनका क्रियान्वयन था। 2019-2020 के दौरान प्रबन्ध निदेशक ने एससीएआरडी बैंक गुजरात और राजस्थान द्वारा आयोजित सीजीआरआई की दो बैठकों में भाग लिया तथा उनका मार्गदर्शन किया।

एससीएआरडी बैंकों को नीतिगत संबल बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुवर्तन

2012 तथा 2014 में फेडरेशन द्वारा आयोजित कराए गये सहकारिता के प्रमुख सचिवों और निबन्धक सहकारी समितियों के दो सम्मेलनों में एआरडी बैंकों की विधिक एवं नीतिगत वातावरण को सुधारने तथा अपनी सामान्य कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियों की गईं। सरकार की गारण्टी दिये जाने में एससीएआरडी बैंकों को प्राथमिकता के साथ साथ प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाना, इसके अलावा गारण्टी शुल्क में छूट अथवा छूट दिये जाने की सम्भावना न होने पर इस शुल्क को न्यूनतम रखना, नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुर्नवित्त की कमी को पूरा करने हेतु भारत सरकार के साथ समान योगदान के लिए पर्याप्त बजट आवंटन कराना, स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क माफ कराना—जो अभी कुछ राज्यों द्वारा किया जाना है, ऋण प्रलेख प्रणाली की शुरुआत जिसे बैंक द्वारा निष्पादित करने तथा उन्हें सीधे ही बिना कृषक को शामिल किये बैंक द्वारा ही सब रजिस्ट्रार को भेजना — इसे अभी कुछ राज्यों द्वारा शुरू किया जाना है, हठी बकायेदारों के परिप्रेक्ष्य में वसूली विधिक उपायों में प्रतिरोधों को दूर करना, बैंक अधिकारियों में भूमि विक्रय के अधिकार की शक्तियां निहित करना जिसका क्रियान्वयन अभी कुछ राज्यों द्वारा

अभी तक नहीं किया गया है, कुछ राज्यों द्वारा जहां अभी यह लागू नहीं किया गया है, एआरडी बैंकों को निक्षेप जमा स्वीकार करने की अनुमति दिलाया जाना एआरडी बैंक/राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करते हुए एआरडी बैंकों को अल्पकालीन ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सक्षम बनाना, अनुमोदित स्टाफ पैटर्न पर कर्मियों की भर्ती के लिए सरकार के पृथक अनुमोदन दिए जाने की प्रथा को समाप्त कराना आदि राज्य सरकार से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां उपरोक्त सम्मेलन में की गईं। फेडरेशन राज्य सरकारों के साथ निरन्तर इन संस्तुतियों का अनुवर्तन कर रहा है।

दीर्घकालिक ऋणी सदस्यों की अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं के लिये ऋण सीमा

अनुपूरक निवेश ऋण के लिये और अतिरिक्त वित्तीय सहयोग का अभाव कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की कार्यप्रणाली की बहुत बड़ा दोष है। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक साधारणतया अपने सदस्यों को केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान कराते हैं तथा उन्हें अल्पकालीन आवश्यकताओं के प्रति अलभ्य रख कर उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर ऋण के अनौपचारिक स्त्रोंतों पर निर्भर बना रहने देते हैं। अल्पकालीन ऋणों की अपर्याप्त उपलब्धता से कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा वित्तपोषित दीर्घकालीन परिसम्पत्तियों का उप-इष्टतम उपयोग होता है जिससे ऋणी सदस्य की आय तथा पुर्नभुगतान क्षमता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, अनौपचारिक ऋण की ऊंची लागत सदस्य द्वारा बैंक से लिये गये ऋण के पुर्नभुगतान करने की क्षमता को कम कर देता है। समय से ऋण के भुगतान लिये ऋणी सदस्य का बैंक के साथ लगातार सम्पर्क बनाये रखना बहुत आवश्यक है, जो निवेश ऋण निर्गमन के उपरान्त आगे ऋण का सहयोग न मिल पाने के कारण भी सम्भव नहीं हो पाता है। अनुपूरक ऋण की सीमा निर्धारित करना जिससे दीर्घकालीन ऋणी सदस्य को चक्रीय नगद ऋण की तरह संचालित किया जा सकता है, अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ऋणी सदस्यों से बढ़े सम्पर्क के कारण वसूली में सुधार तथा ऋणी सदस्य की ऋण के लिये अनौपचारिक स्त्रोंतों पर निर्भरता में कमी दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होगी। योजना के मुख्य पहलू निम्नवत हैं :-

- सबसे पहले, एससीएआरडी बैंकों को वित्तपोषण के लिए धन की आवश्यकता का आंकलन करना चाहिये तथा (सावधि) जमा एनसीडीसी से ऋण, अल्पकालीन साख संरचना, वाणिज्यिक बैंको आदि से अपेक्षित धन के संग्रहण की व्यवस्था करना चाहिये।

- धन की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए ऋण सीमा का निर्धारण सदस्य को स्वीकृत निवेश ऋण की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार किया जा सकता है।
- नए दीर्घकालीन ऋणों के सम्बन्ध में, ऋण सीमा एक अनिवार्य अतिरिक्त घटक होना चाहिए। विद्यमान ऋणों के मामलों में यदि ऋण का बकाया/अति देय नहीं है तो ऋण सीमा स्वीकृत की जानी चाहिए।
- ऋण सीमा की मात्रा का निर्धारण आवश्यकता, पुनर्भुगतान क्षमता, सुरक्षा तथा धन की उपलब्धता के आधार होना चाहिए जिसे निर्धारित उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा सकता है।
- ऋण सीमा दीर्घ कालीन ऋण पर दी जा रही सुरक्षा के अविशिष्ट बाजार मूल्य के आधार स्वीकृति की जा सकती है।
- ऋण सीमा का संचालन तिमाही ब्याज के भुगतान तथा अदत्त मूलधन के पुनर्भुगतान की समय सीमा समाप्ति पर ऋणी सदस्य द्वारा चक्रीय नगद ऋण की भांति संचालित किया सकता है।
- ऋण सीमा, जो एक वर्ष के लिये स्वीकृत की जाय, उसे अन्य ऋणों के समय पर भुगतान किए जाने के साथ निर्धारित नियम और शर्तों को पूरा करने की दशा में ही उसे आगामी वर्षों के लिये नवीनीकृत किया जाय।
- ऋण सीमा पर ब्याज त्रैमासिक आधार पर वास्तविक आहरण के आधार पर प्रभारित किया जाय।
- एससीएआरडी बैंको तथा पीसीएआरडी बैंकों दोनों के लिये, ऋण सीमा से आहरण पर ब्याजदर का निर्धारण, लेन-देन कार्य और जोखिम लागत को पूरा करने के लिये कोषों की लागत में उचित मार्जिन को जोड़ कर निर्धारित की जाय।

आदर्श वसूली नीति

फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल द्वारा अभी हाल ही में सदस्य बैंकों के लिये निर्धारित आदर्श वसूली नीति निर्धारित की गई, जो ऋण एवं वसूली प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। बैंकों द्वारा ऋण वसूली को, एक अंतिम कदम के रूप में नहीं वरना ऋण चक्र के एक आवश्यक अंग के रूप में देखने की आवश्यकता है जिससे ऋण अधिकारी ऋण की पूरी अवधि के दौरान उस ऋण की वसूली के लिये उत्तरदायी बना रहे। ऋण खातों में समस्याओं की सामयिक छानबीन करते रहने से ऋण अदायगी में बकाये से बहुत हद तक बचा जा सकता है। कृषि के आवधिक ऋणों में अपनाई जा रही देय तिथि की तिमाही/छमाही/वार्षिक किस्त प्रणाली से शुरुआती पहचान मुश्किल हो जाती है क्योंकि जब ऋण की धनराशि का समस्याग्रस्त होना पता चल पाता है तब तक एक या अधिक किस्तें बकाया हो

जाती हैं, ऋणी सदस्य की सामान्य स्थिति में भुगतान कर पाने की क्षमता से परे बकाया धनराशि बढ़ जाती है। कृषि अनेक विशिष्ट जोखिमों, जैसे जलवायु-जोखिम, कीमत-जोखिम, कीटों एवं बीमारियों की जोखिम से ग्रस्त है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से फसल बीमा में सुधारों के बावजूद विगत दो वर्षों में फसल बीमा का आवृत्त क्षेत्र किसानों का 40-45 प्रतिशत तक ही सीमित रहा। इसी तरह ऐसी धारणा भी बढ़ रही है कि केन्द्र और राज्य सरकारों की अनुदान की बहुत बड़ी धनराशि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल बीमा में जा रही जों केवल बीमा कम्पनियों को लाभ पहुँचाती हैं जब कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक क्षतिपूर्ति के भुगतान के रूप में, वो भी ऋण वितरण में काफी विलम्ब के बाद केवल सकल प्रीमियम का 60-65 प्रतिशत ही जमा किया जा सका है। पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफवाई) के अंतर्गत सकल प्रीमियम की कुल धनराशि रु. 470408 करोड़ के सापेक्ष कुल अदायगी मात्र रु. 31613 करोड़ की हुई। यह भी पाया गया कि इस वर्ष फसल बीमा नामांकन 15 प्रतिशत नीचे आ गया है, जिसके लिये बहुत हद तक दावों की संस्तुति तथा उनके क्षतिपूर्ति पाने के लिये किये गये मामलों को उत्तरदायी माना गया है। फसल की हानि के अतिरिक्त किसानों की परिसम्पत्तियों को मौसम की कठोर आपदाओं, जो अब बहुत आम हो गई हैं, में प्रायः कृषि सम्पत्ति के विनाश व तबाही के कारण काफी क्षति उठानी पड़ती हैं। इसके साथ ही सामान्यतया बीमा कराने दरों के कारण किसान कृषि परिसम्पत्तियों का बीमा करने से कतराते हैं। इस समस्या के निदान के लिये फसल बीमा योजना की ही भांति सरकार के आर्थिक सहयोग के साथ कृषि सम्पत्ति बीमा योजना लागू किए जाने की आवश्यकता है। वस्तुतः फसल बीमा योजना के अंतर्गत सृजित किये गये बड़े अधिशेष के हिस्से को वर्तमान में, इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है। वर्तमान में कृषि परिसम्पत्तियां कुल मिलाकर बीमा रहित हैं। किसानों की क्षतिपूर्ति विहीन हानियों के कारण बैंको की, जो इन परिसम्पत्तियों के आधार पर वित्त प्रदान कराते हैं, उनके जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है। आदर्श वसूली नीति का सुझाव है कि बैंक को अपने ग्राहकों को इन जोखिमों के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास करना चाहिए और ऋण की रूप रेखा बनाते समय इन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिये। आंशिक अथवा पूर्णरूपेण खराब फसल वर्ष में, इस प्रकार की हानियों की सीमा और उसका ग्राहक की सम्पूर्ण ऋण भुगतान क्षमता पर प्रभाव पर आधारित कृषि के सावधि ऋणों के लिए किस्तों को पुनर्निर्धारित करने हेतु प्रावधान किया जाना बहुत आवश्यक है। ग्रामीण ग्राहकों में वित्तीय साक्षरता का अभाव होना समय से किस्तों के भुगतान में आने वाली दूसरी प्रमुख बाधा है। ऐसा देखा गया है कि जो ग्राहक अपनी आय और व्यय का लेखा-जोखा नहीं रखते, इच्छा और

सामर्थ्य होने के बावजूद समय से आमदनी के प्रवाह के खराब प्रबन्धन के कारण समय से ऋण अदायगी कर पाने में असफल रहते हैं। एआरडी बैंकों को ऐसे ग्राहकों की बचत और बचत खातों की सुविधा प्रदान कराते हुये उनकी नियमित बचत को संचित कराने में सहायता करनी चाहिए। वे ग्राहक जो निवेश ऋण की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, के ऋणों की स्वीकृति, कार्यशील पूँजी/उत्पादन ऋण आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिये पर्याप्त व्यवस्था, ग्राहकों द्वारा लिये गये ऋण के उपयोग की गतिविधियों का नियमित निरीक्षण, समय से भुगतान करने पर प्रोत्साहन भुगतान योजना का शुभारम्भ किये जाने की व्यवस्था, ऋण अधिकारी को उसके ऋण वसूली कार्य निष्पादन पर प्रोत्साहन/दण्ड व्यवस्था, नियमित और निरन्तर अनुवर्ती सुविधा के लिये विशेषरूप से छोटे ऋणों की स्वीकृति के लिये संघ आधारित समूह अवधारणा, ऋणी सदस्य की ऋण प्रक्रिया को पूरा कराने में निरर्थक व्ययों को बचाना, देय तिथि से पूर्व अदायगी पर प्रोत्साहन के बारे में सूचित करना, और देय तिथि के बाद वसूली के लिये एक निर्धारित मानक प्रक्रिया के पालन किये जाने के बारे में आगाह करना, आदर्श वसूली नीति के अन्य प्रमुख बातें हैं। आदर्श वसूली नीति विधिक वसूली प्रक्रिया को वसूली लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन की अपेक्षा एक निवारक के रूप में अधिक मानती है। कम किस्तों में अतिरिक्त अवधि के लिये पुनर्निर्धारण और पुनर्गठन तथा अधिभार के एक अंश को माफ करते समय अतिदेय खातों को नियमित करने के लिये अनुशासित किया गया है, जब बकाया पड़ने के कारण प्रामाणिक हैं, उन मामलों में जब ग्राहक भुगतान करने की सामर्थ्य रखते हुए भी ऋण अदायगी से बचता है, इस स्थिति में विधिक वसूली प्रक्रिया ही एकमात्र विकल्प है। यह भी देखा गया है कि ऋण वसूली के लिये विधिक प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा कर लेने पर कुछ मामलों में दुराग्रहपूर्ण बकाये की घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। बंधकग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय हेतु नीलामी का राज्य व्यापी प्रचार कराना, नीलामी में अन्य जनपदों के सम्भावित क्रयकर्ताओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, जहां आवश्यकता हो, सम्भावित क्रेताओं के ऋणों की स्वीकृति करना, कर्मचारियों आदि की कमी होने की स्थिति में विक्रय प्रक्रिया को पूरा करने के लिये बाह्य विधिक स्रोतों की मदद लेना आदि कुछ सुझाव हैं जो वसूली में विधिक प्रक्रिया के कियान्वयन को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

एआरडी बैंकों द्वारा जमा संग्रहण-

जमा संग्रहण की योजना

एआरडी बैंक नीचे दी गई दो योजनाओं के अन्तर्गत जमा संग्रहण कर रहे हैं :-

- 1) नाबार्ड और भारतीय रिज़र्व बैंक के 1997 में निर्गत निम्नांकित स्थितियों के अधीन, दिशा निर्देशों पर आधारित जन सामान्य

तथा संस्थाओं की आवधिक जमा।

- (i) आवधिक जमा एक वर्ष से अधिक का होना चाहिए।
- (ii) अदत्त जमा किसी भी समय कुल कार्यक्षमता के निवल मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

- 2) बोर्ड के अनुमोदन पर आधारित बिना आवधिक प्रतिबन्ध अथवा सीमा के सदस्यों की बचत जमा व जमा स्वीकार्यता।

सदस्यों की अल्पअवधि जमा की स्वीकार्यता पर नाबार्ड के द्वारा लगाये गये अनुचित प्रतिबन्धों के कारण एआरडी बैंकों को जमा संग्रहण में पिछले दो वर्ष अनावश्यक अवरोध झेलना पड़ा। नाबार्ड ने अनियंत्रित जमा योजना 2019 पर प्रतिबन्ध (बीयूडीएसए) के अधिनियमन के बाद यह प्रतिबन्ध हटा लिया। अनियंत्रित जमा योजना अधिनियम 2019 के अधिनियमन के साथ एआरडी बैंकों की जमा योजना के विनियमन का अधिकार पूर्णरूप से सम्बन्धित राज्य की सरकार में निहित हो गया है। अनियंत्रित जमा योजना अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत, एआरडी बैंक अपने मतदान करने वाले सदस्यों के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दूसरे लोगों की जमा का भी संग्रहण कर सकते हैं।

एलटीआरसीएफ तथा सामान्य पुनर्वित्त सहित पुनर्गठित पुनर्वित्त उत्पाद

एआरडी बैंक द्वारा निवेश ऋण के अंश को बढ़ाने के लिये श्री वाई सी नन्दा, भूतपूर्व अध्यक्ष नाबार्ड की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की संस्तुतियों तथा तदुपरान्त 6 मार्च 2019 को नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श के आधार पर, नाबार्ड ने एससीएआरडी बैंकों को दिये जाने वाले एलटीआरसीएफ पुनर्वित्त के पुनर्भुगतान की अवधि चालू वित्त वर्ष से 9 वर्ष तक के लिये बढ़ाये जाने को निश्चय किया है। ये बैंको को अल्पकालीन आवधिक पुनर्वित्त को दीर्घकालिक ऋणों के लिये निर्गमित करने के कारण अस्तित्यों एवं देयताओं के असंतुलन से बचाने में सहायक होगा।

यद्यपि पुनर्गठित पुनर्वित्त उत्पाद पर रियायती ब्याज जो एलटीआरसीएफ पर लागू है, केवल प्रथम पांच वर्षों के लिये ही उपलब्ध होगा। पांच वर्ष के बाद के अधिशेष बकाये पर नाबार्ड सामान्य पुनर्वित्त पर प्रचलित देय ब्याज छठवें वर्ष के प्रारम्भ से मांग करेगा जो पुनर्भुगतान के पूरा होना तक जारी रहेगा। फेडरेशन ने अपने परिपत्रांक: 11 (रिफाइनेन्स) 2019-20/149 दिनांक 28 जून 2019 के द्वारा एससीएआरडी बैंको को कृषि क्षेत्र के सभी ऋण अभ्यर्थियों को एलटीआरसीएफ की अपेक्षाकृत न्यून ब्याज दरों के लाभ की उपलब्धता बनाये रखने के लिये कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण के लिये उपयोग किये जा रहे कोष की औसत लागत ब्याज दर को

निर्धारित करने की सलाह दी हैं क्योंकि एलटीआरसीएफ के धन के सहयोग की पुष्टि विशिष्ट ऋण के सापेक्ष, ऋण के ब्याज दर कब निर्धारित होगी, उसकी स्वीकृति अथवा भुगतान के समय नहीं की जा सकती। यद्यपि नाबार्ड एलटीआरसीएफ पुनर्वित्त 9 वर्षों तक के लिये दिये जाने की अनुमति प्रदान करता है फिर भी बैंकों व ऋणी सदस्यों के लिये 5 वर्षों के लिये ऋण निर्गमन लाभकारी होगा तथा मूलरूप से उच्चतर ब्याज दर को ध्यान में रखते हुये जहां तक सम्भव हो 5 वर्ष के एलटीआरसीएफ पुनर्वित्त का लाभ उठाना जारी रखें क्योंकि यह पुनर्वित्त प्रारम्भ के पांच वर्षों के बाद नकारात्मक रूप से पुनर्भुगतान/ ऋण अदायगी को प्रभावित करेगा।

एआरडी बैंकों की राष्ट्रीय संगोष्ठी 2019

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक्स फेडरेशन ने 21 नवम्बर 2019 को नई दिल्ली में एआरडी बैंकों की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। सहभागियों में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के साथ राज्य सहकारी बैंकों के फेडरेशन के सदस्य, अनेक राज्यों के 114 पीसीएआरडी बैंक तथा नाबार्ड, एनसीयूआई, एनसीडीसी, नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर तथा अनेक राष्ट्रीय फेडरेशनों के प्रतिनिधि थे। “कृषि एवं ग्रामीण ऋण व्यवस्था में एआरडी बैंकों की भूमिका को बढ़ाने हेतु आन्तरिक सुधारों का सघनीकरण” संगोष्ठी का मूल विषय था। उदघाटन सत्र के बाद संगोष्ठी के मूल विषय और तीन व्यवसायिक सत्रों में उपविषयों का प्रस्तुतीकरण किया गया। संगोष्ठी का उदघाटन माननीय कृषि राज्य मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण श्री पुरषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया। आयोजन की अध्यक्षता डाक्टर चन्द्रपाल सिंह सांसद, अध्यक्ष एनसीयूआई ने की। एनसीएआरडीबीएफ के अध्यक्ष श्री के शिवदासन नायर ने संगोष्ठी में आये अतिथियों एवं प्रतिनिधियों स्वागत किया। संगोष्ठी के व्यावसायिक सत्र में मूल विषय कृषि एवं ग्रामीण साख में एआरडी बैंकों की भूमिका को बढ़ाने हेतु आन्तरिक सुधारों का सघनीकरण पर विचार गोष्ठी, एलटीसीसीएस के भविष्य के बारे में नाबार्ड का दृष्टिकोण, एलटीसीसीएस में मानव संसाधन परिदृश्य, कृषक उत्पादक संगठन, एलटीसीसीएस के संदर्भ में दर-निर्धारण तथा जोखिम प्रबन्धन, कृषि सतत विकास एवं कृषि सहकारिताएं, एआरडी बैंकों में कम्प्यूटरीकरण सम्मिलित थे। श्री वाई सी नन्दा, भूतपूर्व अध्यक्ष नाबार्ड, श्रीमती सरिता अरोरा मुख्य महा प्रबन्धक नाबार्ड, डाक्टर ए. वी. भवानीशंकर, उप महाप्रबन्धक नाबार्ड, श्री डी.के. डेकाते, सहायक महाप्रबन्धक, एफएसडीडी – नाबार्ड, श्री पी.वी. प्रभू, भूतपूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनसीएआरडीबीएफ एवं ट्रस्टी सचिव एनआईआरबी, श्री सत्य नारायण मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनसीयूआई, प्रोफेसर आलोक मिश्रा, मैनेजमेण्ट डेवलपमेण्ट इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम, श्री डी. एन. ठाकुर, भूतपूर्व उप प्रबन्ध निदेशक,

एनसीडीसी, श्री वैभव अग्रवाल, उप निदेशक, नेशनल इन्फार्मेशन सेण्टर ने संगोष्ठी सत्र में अपने विचार प्रस्तुत किये।

संगोष्ठी की प्रमुख संस्तुतियां/कार्यबिन्दु नीचे सूचीबद्ध हैं।

राज्य सरकार/भारत सरकार/ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

- वैद्यनाथन टास्क फोर्स- II द्वारा दिये गये सुझावों संरचनात्मक सुधारों के क्रियान्वयन में केन्द्र और राज्य सरकार का समर्थन एवं सहयोग आवश्यक है। (कार्य अपेक्षित-राज्य सरकार/ भारत सरकार)
- भारत सरकार को अविलम्ब एआरडी बैंकों के पुनर्पूजीकरण पर विचार करना चाहिये क्योंकि केवल यही कृषि में पूँजी निर्माण में सहायता प्रदान कराने वाले उचित माध्यम हैं जिन्हें पुनर्निर्माण प्रक्रिया में बहिष्कृत रखा गया है। (कार्य अपेक्षित-भारत सरकार)
- फसली ऋण ब्याज राजकीय अनुदान योजना को एआरडी बैंकों के ऋणी कृषकों को वहनीय लागत पर फसली ऋण दिलाने हेतु विस्तारित किया जाय। (कार्य अपेक्षित- भारत सरकार)
- भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार को पात्र एससीएआरडी बैंकों को बैंक के रूप में अधिमाम्य कर लाइसेन्स देने हेतु मानदण्ड निर्धारित करने की आवश्यकता है। (कार्य अपेक्षित-भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक)
- राज्य सरकार से हितधारक के साथ मिलकर एक राज्य स्तरीय समिति गठित करने हेतु आग्रह किया जा सकता है, नाबार्ड एआरडीबैंको की कार्य प्रणाली का अध्ययन करें तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के उपाय बताये। (कार्य अपेक्षित- राज्य सरकार)
- अनियंत्रित जमा योजना पर प्रतिबन्ध (बीयूडीएसए) के अधिनियम 2019 लागू हो जाने के परिणामस्वरूप अल्पकालीन स्त्रोतों के विस्तार हेतु राज्य सरकारों को जमा योजनाओं प्राप्ताहन में सहयोग करना चाहिए। (कार्य अपेक्षित-राज्य सरकार)

नाबार्ड

- नाबार्ड किफायती ब्याज दर पर फसली ऋण दिये जाने के लिये पुनर्वित्त सहयोग देने पर विचार करे। कोष की औसत लागत में कमी करने हेतु एलटीआरसीएफ से सहयोग बढ़ा। यदि सरकार की गारण्टी के द्वारा जोखिम प्रतिरक्षित है तो पुनर्वित्त की जोखिम लागत को समाप्त करना। (कार्यवाही अपेक्षित – नाबार्ड)

- 'उपयुक्त एवं उचित' मापदण्ड एवं प्रबन्धन से संचालन में गुणात्मक परिवर्तन तथा सक्रिय सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। **(कार्यवाही अपेक्षित- नाबार्ड)**

फेडरेशन

- फेडरेशन द्वारा आरम्भ किये गये त्वरित ऋण वसूली अभियान राज्य सरकार के सहयोग के साथ, नये उत्साह के साथ जारी रखने की आवश्यकता है। **(कार्यवाही अपेक्षित-एआरडी बैंक / फेडरेशन / राज्य सरकारें)**
- फेडरेशन को एलटीसीसीएस की कार्यप्रणाली के अनेक पहलुओं के अध्ययन करने तथा विविध हितधारकों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की विस्तृत रूप रेखा पर अग्रिम कार्यवाही करने के लिये उनके पुनरुद्धार के उपचारात्मक निदान पाने के लिये उच्चस्तरीय गठित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार, इस अध्ययन पर आधारित संरचना के तर्कसंगत मांगों पर अनुकूलरूप से विचार करेगी। **(कार्यवाही - फेडरेशन)**

एससीएआरडी बैंक / पीसीएआरडी बैंक

- एआरडी बैंकों को निवेश ऋण को आगे बढ़ाने हेतु निम्नांकित उपाय करने होंगे :-
 - i) ग्राहक सेवा केन्द्र तथा नवीन शैली की छोटी शाखाएं खोलना तथा सम्भावना वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाता नियुक्त कर आवृत्त क्षेत्र और पहुंच को बढ़ाना।
 - ii) कृषि मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण में विविधता लाना पर ध्यान देना
 - iii) जोखिम मूल्यांकन तथा नाबार्ड के पुनर्वित्त के लिये पात्रता को प्रभावित करने वाले प्राथमिकतायुक्त सम्बेदनशील मामलों पर ध्यान देना।
- निम्न के द्वारा ऋण वितरण के संसाधनों को बढ़ाना :-
 - i) ऋण वितरण के अवसरों का विस्तार करना तथा उच्चतर ऋण वितरण क्षमता के लिये पूँजी आधार को सुदृढ़ करना।
 - ii) राज्य सरकार के अनुमोदन के सहित जमा योजनाओं को प्रारम्भ करना तथा जमा अधिशेष में निरन्तर संग्रहण वृद्धि करना।
- उत्पादन/कार्यशीलपूँजी/सदस्यों की आकस्मिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालीन ऋण उत्पादों को प्रारम्भ करना।

- प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाना तथा प्रक्रिया को पूरा करने के लिये समय बद्धता का निर्धारण करना।
- पीसीएआरडी बैंकों को बहु-सेवा केन्द्रों के रूप में सक्षम बनाने हेतु कदम उठाना।
- उनकी आय में वृद्धि के लिये निजी पहलों के साथ साथ सदस्यों के उत्पाद का प्रत्यक्षतः भण्डारण, प्रसंस्करण तथा विपणन का दायित्व वहन करने के साथ ऋण सहायता प्रदान कर एफपीओ प्रोत्साहित करना।
- अन्य आरएफआई से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये ऋण आपूर्ति प्रक्रिया को सरल बनाना।
- वित्तीय रूप से सुदृढ़ एससीएआरडी बैंक को वाणिज्यिक बैंकों से अनुकूल शर्तों पर ऋण प्राप्त करने के लिये मान्यता प्राप्त मूल्यांकन अभिकरणों से का मूल्यांकन कराया जाय।
- ऋण बकाया और एनपीए को संतोषजनक सीमा में कम करने के लिये फेडरेशन के दिशा निर्देश पर आधारित त्वरित वसूली अभियान बैंक नये जोश के साथ जारी रखें।
- बैंक ऋण वितरण एवं वसूली प्रणाली में किये गए सुधारों का समुचित प्रलेखीकरण तथा उन्हें अपने उपनियमों एवं नियमों में समाविष्ट कर संस्थागत करें।
- अपेक्षित पूँजी पर्याप्त अनुपात (सीआरएआर) प्राप्त करने के लिये ऋण प्राप्त न करने वाले सदस्यों की न्यूनतम अंश धारण धनराशि को रु. 500/- तक बढ़ा कर तथा जो श्रेणी-।। पूँजी तथा एनपीए के सापेक्ष प्रावधानों संरक्षित पूँजी कोष को खोलने के लिये पात्र हैं, के दीर्घकालिक आवधिक जमा को स्वीकार कर पूँजी आधार को बढ़ाना।
- सभी एससीएआरडी बैंकों द्वारा सी-पीईसी द्वारा मूल्यांकन के लिये जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जेएलटीसी का पुनरुद्धार / पुनर्जीवित करना।
- 3-4 पेशेवर (प्रतिष्ठित प्रबन्धन संस्थानों से प्रशिक्षित चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, अधिकृत वित्तीय विश्लेषक, एमबीए, आदि) की टीम का चयन कर एससीएआरडी बैंकों में मध्यम प्रबन्धन को सशक्त बनाना।
- रिक्त हुये स्थानों में भरती में होने वाले विलम्ब से बचने के लिये भरती नीति में सुधार।

श्री विवेक अग्रवाल, आईएएस संयुक्त सचिव तथा केन्द्रीय निबन्धक सहकारी समितियों के साथ बैठक

4 दिसम्बर 2019 को सम्पन्न बैठक में फेडरेशन के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे कि फसली ऋण ब्याज अनुदान योजना में एससीएआरडी बैंको को भी सम्मिलित किया जाने, 2018-19 में एससीएआरडी बैंकों के ऋणपत्र निवेश के लिये किसी प्रकार का बजटीय प्रावधान न किए जाने तथा भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों पर निवेश को पूर्व की भांति यथावत लागू किए जाने के अनुरोध पर सरकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता को संज्ञान में लाया गया।

6 फरवरी 2020 को नाबार्ड के अध्यक्ष के साथ बैठक

एससीएआरडी बैंकों के सदर्थ में नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। फेडरेशन ने एकात्मक प्रणाली के एससीएआरडी बैंकों को पुनर्वित्त सहयोग बढ़ाये जाने के साथ साथ बहु सेवा केन्द्र विकसित किये जाने के लिये भी पीसीएआरडी बैंकों कोषीय सहायता का स्वागत किया। सभी एससीएआरडी बैंकों को अल्पकालीन पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाना, जो अभी तक न्यूनतम जोखिम श्रेणी वाले एससीएआरडी बैंकों तक ही सीमित है, तथा एलटीआरसीएफ पुनर्वित्त के एक भाग को आवधिक ऋण के एक अनिवार्य घटक के रूप में फसली ऋण हेतु ऋण प्रदान करने के लिये आवंटित है, आदि कुछ महत्वपूर्ण सुझाव फेडरेशन की ओर से नाबार्ड के साथ सम्पन्न वार्ता में दिये गये।

माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण श्री पुरषोत्तम रूपाला से वार्ता हेतु दिनांक 12 मार्च 2020 को प्रतिनिधि मण्डल

फेडरेशन के एक प्रतिनिधि मण्डल ने दिनांक 12 मार्च 2020 को इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर सरकार के सहयोग की मांग के साथ माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं कृषक कल्याण श्री पुरषोत्तम रूपाला से भेंट की। प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व फेडरेशन के निदेशक मण्डल के सदस्य श्री पर्वत भाई पटेल, सांसद, श्री के. सदाक्षरी, उपाध्यक्ष एनसीएआरडीबी फेडरेशन, श्री के.के.रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक—एनसीएआरडीबी फेडरेशन, श्री चरनदेव सिंह मान, प्रबन्ध निदेशक पंजाब एससीएडी बैंक तथा श्री वी.एम चौधरी, महाप्रबन्धक गुजरात एससीएआरडी बैंक द्वारा किया गया। प्रतिनिधि मण्डल ने माननीय मंत्री महोदय से वैद्यनाथन टास्कफोर्स की सिफारिशों पर आधारित एलटीसीसीएस के पुनरुद्धार पैकेज के प्रस्ताव को पुनः पटरी लाने, भारत सरकार के फसली ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को एससीएआरडीबैंकों के लिये बढ़ाये जाने, एआरडी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने हेतु मानक निर्धारित करने तथा एससीएआरडी

बैंकों के ऋण पत्रों के लिये राज्य सरकारों से मिलान के आधार पर बजट आवंटन को पुर्नजीवित करने हेतु अपना हस्तक्षेप करने के लिये आग्रह किया।

एआरडी बैंकों का कम्प्यूटरीकरण—एनआईसी के साथ अनुबन्ध नवीनीकरण

कुछ राज्यों में एससीएआरडी बैंकों एवं एनआईसी के मध्य हुए प्रारम्भिक तीन वर्षीय अनुबन्ध की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) ने सिद्धान्ततः चर्चा में परस्पर हुई सहमति के आधार पर निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन अनुबन्ध के नवीनीकरण किये जाने पर सहमति व्यक्त की है तथा फेडरेशन को सम्बन्धित एससीएआरडी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ अप्रैल 2020 के द्वितीय सप्ताह में किसी दिन एक बैठक आयोजित करने का सुझाव दिया। इसी मध्य सदस्य बैंकों के महत्वपूर्ण मुद्दे और विवाद यदि कोई हैं, जिन्हें एनआईसी के साथ विचार विमर्श कर हल किया जा सके, शीघ्रातिशीघ्र फेडरेशन को सूचित करने की सलाह दी गई।

प्रकाशन

लैण्ड बैंक जरनल

फेडरेशन 1962 से लैण्ड बैंक जरनल का प्रकाशन कर रहा है। जरनल में शोध—लेख तथा कृषि एवं ग्रामीण साख व सहकारिता सम्बन्धी समाचार प्रकाशित होते हैं। हम इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण घटनाओं तथा सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों की घटनाओं को भी आच्छादित करते हैं।

वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन

सदस्य बैंकों से सम्बन्धित क्रियाकलापों के आंकड़ों का संकलन एवं संग्रहण तथा वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन का प्रकाशन का कार्य भी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। फेडरेशन इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को एआरडी बैंकों के क्रियाकलापों के बुनियादी स्तर के आंकड़ों से सम्बन्धित युक्तसंगत सूचना तंत्र से अद्यतन किये जाने के लिये प्रयत्नशील है।

एआरडी बैंकों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन

फेडरेशन सदस्य बैंकों की अपने स्तर पर तथा भारत सरकार को प्रतिवेदित करने हेतु समीक्षा के लिये मुख्य क्रियाकलापों के आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन मासिक आधार पर करता है। ऋण वितरण, वसूली निष्पादन, उधार राशियां तथा जमा संग्रहण आदि मुख्य क्षेत्र हैं, जो इस मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अन्तर्निहित हैं।

सम्बद्धीकरण

राष्ट्रीय स्तर पर

राष्ट्रीय स्तर पर फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से सम्बद्ध हैं:—

नेशनल कोआपरेटिव यूनियन ऑफ इण्डिया (एनसीयूआई)

फेडरेशन एनसीयूआई का सदस्य है तथा इसके कार्यक्रमों से सक्रिय रूप से जुड़ा है। श्री के. शिवदासन नायर अध्यक्ष, एनसीयूआई की सामान्य सभा में फेडरेशन के प्रतिनिधि हैं जिन्हें एनसीयूआई की संचालक परिषद के लिए चुना गया है।

कोआपरेटिव बैंक ऑफ इण्डिया (सीओबीआई)

फेडरेशन सीओबीआई के संस्थापक सदस्यों में से एक है। फेडरेशन के अध्यक्ष श्री के. शिवदासन नायर फेडरेशन के अध्यक्ष को सीओबीआई की सामान्य सभा में नामित किया गया और वह निदेशक मण्डल के निर्वाचित सदस्य भी हैं।

नेशनल फिल्म एण्ड फाइन आर्ट्स कोआपरेटिव्स लि. (नेफेक)

श्री के. रविन्द्र राव, फेडरेशन के उपसभापति इसकी सामान्य सभा तथा एनएएफएफएसी के निदेशक मण्डल के सदस्य हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

श्री के. के. रविन्द्र प्रबन्ध निदेशक फेडरेशन को भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी अधिनियम 1962 की धारा 3(4)(XVII) के अन्तर्गत एनसीडीसी की सामान्य परिषद का सदस्य नामित किया गया है।

फेडरेशन निम्नांकित संगठनों से भी एसोसिएट सदस्यता बनाए हुए हैं:—

- इण्डियन मर्चेण्ट्स चेम्बर (आइएमसी)
- इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन (आइबीए)
- इण्डियन सोसाइटी फॉर स्टडीज़ इन कोआपरेशन
- इण्डियन टूरिज़्म कोआपरेटिव लि. (आइटीसी)

सेण्टर फॉर इण्टरनेशनल कोआपरेशन एण्ड ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल बैंकिंग (सीआइसीटीएबी)

फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक इसकी सामान्य परिषद के सदस्य हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

इण्टरनेशनल कोआपरेटिव एलाएन्स (आईसीए)

फेडरेशन वैश्विक आइसीए के साथ ही आइसीए एशिया पैसिफिक रीजन का सदस्य है।

फेडरेशन आइसीए की अनेक समितियों से भी सम्बद्ध है।

श्री के. शिवदासन नायर, फेडरेशन अध्यक्ष, आइसीए-एपी कमेटी ऑन बैंकिंग एवं क्रेडिट के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। श्री नायर को इण्टरनेशनल कोआपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन, (आईसीएबी) का, जिसका पुर्नगठन अक्टूबर 2019 में किगाली में सम्पन्न आइसीए ग्लोबल एसेम्बली में हुआ, उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था।

एशिया पैसिफिक रीजनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन (एप्राका)

फेडरेशन एप्राका का संस्थापक सदस्य है। श्री के.के.रविन्द्र प्रबन्ध निदेशक फेडरेशन 1996 से इसकी सामान्य सभा के सदस्य हैं।

इण्टरनेशनल रैफिसन यूनियन (आईआरयू)

फेडरेशन आईआरयू का सदस्य है। आईआरयू की सामान्य सभा में फेडरेशन का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष करते हैं।

फेडरेशन का प्रबन्धन

सामान्य निकाय में फेडरेशन के सदस्य होते हैं जिसमें प्रतिनिधि बैंकों के निदेशक मण्डल द्वारा नामित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व होता है।

फेडरेशन के सदस्यों की सूची निम्नवत है:-

1. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., गुवाहटी।
2. बहु-राज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार-झारखण्ड) पटना।
3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
4. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला।
5. हिमांचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला।
6. जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
7. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बैंगलोर।
8. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
9. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर।
10. पाण्डिचेरी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि. पाण्डिचेरी।

11. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि. चण्डीगढ़।
12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि., जयपुर।
13. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., चेन्नई।
14. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अगरतला।
15. उत्तरप्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनऊ।
16. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., कोलकता।
17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि. नई दिल्ली।
18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि. शिलॉंग।
19. तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि. हैदराबाद।

निदेशक मण्डल

उपविधि संख्या 20(iii) के अनुसार फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल में सामान्य निकाय से निर्वाचित 19 निदेशक, केन्द्र सरकार द्वारा नामित 1 निदेशक, प्रबन्ध निदेशक जो फेडरेशन कापदेन सदस्य है, के अतिरिक्त निदेशक मण्डल द्वारा सहयोजित 2 निदेशक होते हैं। सदस्य बैंको का प्रतिनिधित्वकरनवाले 4 निर्वाचित सदस्यों के पद रिक्त हैं।

फेडरेशन के प्रबन्धन मण्डल में निम्नांकित व्यक्ति सम्मिलित थे:-
(सितम्बर 2020 की स्थिति)

क्रम संख्या	प्रबन्धन मण्डल के सदस्य का नाम	सदस्य बैंक जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं
1.	श्री के. शिवदासन नायर, अध्यक्ष	केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
2.	श्री के. शदाक्षरी, उपाध्यक्ष	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
3.	श्री बिजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष	बहुराज्यीय राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि. (बिहार-झारखण्ड)
4.	श्री के. रविन्दर राव, उपाध्यक्ष	तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.
5.	श्री मर्चिन्ना सियाम, उपाध्यक्ष	मेघालय राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.
6.	श्री परभात भाई पटेल (सांसद)	सहयोजित
7.	डा. बिजेन्द्र सिंह	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.
8.	श्री आर. परिमल अजागन	तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
9.	श्री मोइनुल हसन	पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

क्रम संख्या	प्रबन्धन मण्डल के सदस्य का नाम	सदस्य बैंक जिसका प्रतिनिधत्व कर रहे हैं
10.	श्री बलविन्दर सिंह	पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लि.
11.	श्री अरविन्द कुमार सिंह	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.
12.	श्री जितेन्द्र प्रसाद	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.
13.	श्री वी.एम. चौधरी	गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
14.	श्री नरेश गोयल	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
15.	श्री विवेक चौहान (एचपीएएस)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
16.	श्री मोहम्मद असलम भट्ट	जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
17.	श्री प्रमोद रियांग, विधायक	त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
18.	श्री के.के. रविन्द्रन	प्रबन्ध निदेशक, एनसीएआरडीबी फेडरेशन

कार्यकारिणी समिति

उपविधि संख्या 26(ए) के अनुसार, कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचित 5 बोर्ड के सदस्य होंगे।

- (1) **श्री के. शिवदासन नायर**, अध्यक्ष
(केरल स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल डेवलपमेण्ट बैंक लि.)
- (2) **श्री के. शदाक्षरी**, उपाध्यक्ष
(कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.)
- (3) **श्री बिजय कुमार सिंह**, उपाध्यक्ष
(बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि., बिहार-झारखण्ड)
- (4) **श्री के. रविन्द्रन राव**, उपाध्यक्ष
(तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.)
- (5) **श्री एम. सियाम**, उपाध्यक्ष
(मेघालय राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि.)
- (6) **श्री के.के.रविन्द्रन**, प्रबन्ध निदेशक
(एनसीएआरडीबीएफ)
(सितम्बर 2020 में तीन पद रिक्त रहे।)

प्रशासनिक समिति

उपविधि संख्या 27(ए) के अनुसार, प्रशासनिक समिति में अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, तथा प्रबन्ध निदेशक होंगे। सितम्बर 2020 को प्रशासनिक समिति में निम्नांकित सदस्य हैं :-

1. **श्री के. शिवदासन नायर**, अध्यक्ष
2. **श्री के. शदाक्षरी**, उपाध्यक्ष
3. **श्री बिजय कुमार सिंह**, उपाध्यक्ष
4. **श्री के. रविन्द्रन राव**, उपाध्यक्ष
5. **श्री एम. सियाम**, उपाध्यक्ष
6. **श्री के. के. रविन्द्रन**, प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य निकाय, संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक

तिथि स्थान के साथ प्रतिवेदन के अन्तर्गत वर्ष के दौरान सामान्य निकाय, संचालक मण्डल तथा कार्यकारिणी समिति की बैठक नीचे सूचीबद्ध हैं:-

बैठकें	स्थान	तिथि
(ए) वार्षिक सामान्य निकाय	मुम्बई	10 जून 2019
(बी) प्रबन्धन मण्डल बोर्ड		
158वीं बोर्ड	मुम्बई	10 जून 2019
159वीं बोर्ड	हैदराबाद	18 जनवरी 2020

महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर निदेशक मण्डल में विचार किया गया

बोर्ड की बैठकें, सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों की समीक्षा के अलावा नीतिगत एवं ग्रामीण साख से सम्बन्धित परिचालन के मुद्दों पर विचार विमर्ष के लिये अभी भी प्रमुख वाक्पीठ है।

वर्ष के दौरान प्रतिवेदन के अन्तर्गत बोर्ड ने सदस्य बैंकों के व्यावसायिक क्रिया कलापों तथा नाबार्ड से पुनर्वित्त के अन्तर्गत ऋण वितरण वसूली इत्यादि की आवधिक समीक्षा से सम्बन्धित नियमित विषयों पर विचार विमर्ष के अतिरिक्त निम्नांकित विषयों पर भी चर्चा की:-

1. निवेश ऋण में एआरडी बैंकों की भागीदारी बढ़ाने के लिये कार्यदल की रिपोर्ट-फेडरेशन और सदस्यों के लिए कार्य संकेत।
2. कृषि एवं अकृषि के आवधिक ऋणों के लिए आदर्श ऋण वसूली नीति।
3. ऋण वितरण में आगे आने तथा पुनर्वित्त आहरण के परिप्रेक्ष्य में एससीएआरडी बैंकों से सम्प्रेषण।
4. सहायक संस्थाओं के माध्यम से उप-विधि संख्या 3(बी) (xiii) के अन्तर्गत आय उत्पादन गतिविधियों के आरम्भ करने सम्बन्धी - उप समिति की समीक्षा।
5. नाबार्ड के पुनर्वित्त पर दिनांक 10 मई 2019 से प्रभावी ब्याज दर।
6. 2019-20 के दौरान एससीएआरडी बैंकों के गैर शासकीय निदेशकों तथा पीसीएआरडी बैंकों की सलाहकार समिति के निदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
7. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कार्यक्रमों का कैलेण्डर।
8. प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में एससीएआरडी बैंकों के अप्रैल 2018-मार्च 2019 के दौरान कार्य निष्पादन की समीक्षा।
9. एससीएआरडी बैंकों की 2019-20 के लिए पुनर्वित्त नीति के माध्यम से बहु सेवा केन्द्रों के रूप में पीसीएआरडी बैंकों की दीर्घकालिक पुनर्वित्त नीति।
10. अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबन्ध अधिनियम 2019(बीयूडीएस)।
11. कार्यवाही और कार्ययोजना - एआरडी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन।
12. निवेश ऋण में एआरडी बैंकों में बाजार की भागीदारी बढ़ाने के लिये कार्य योजना।
13. कृषि में निवेश ऋण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वित्त- दीर्घकालीन ग्रामीण साख निधि 2019-20 (एलटीआरसीएफ) - एससीएआरडी बैंकों के लिए।
14. नाबार्ड के पुनर्वित्त पर ब्याज-दर।
15. बैंकिंग नियामक अधिनियम के दायरे में राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबीएस) को लाइसेन्स देना-दिनांक 7 अगस्त 2019 का आरबीआई से पत्र।
16. डेयरी इण्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेण्ट स्कीम (डीईडी) दुग्ध उद्यमिता विकास योजना-वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना का योगदान-सीमान्त आवश्यकताओं में संशोधन।
17. प्रमुख परिचालन क्षेत्रों में अप्रैल 2019 से अक्टूबर 2019 तक एससीएआरडी बैंकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा।

वित्त एवं लेखा

वर्ष 2019-20 के सम्पत्ति एवं दायित्व, आय एवं व्यय खातों का सारांश नीचे दिया गया है :

आस्तियां एवं दायित्व

(धनराशि लाख रु. में)

क्रम संख्या	दायित्व	इस तिथि को था		क्रम संख्या	अस्तियां	जैसा कि इस तिथि को था	
		31-3-20	31-3-19			31-3-20	31-3-19
1.	आरक्षित एवं अन्य कोष	2171.37	2143.37	1.	नगद एवं बैंक अवशेष	15.03	12.38
2.	प्रतिभूत ऋण	0.00	0.00	2.	निवेश	1919.12	1863.99
3.	अन्य दायित्व एवं प्रावधान	79.55	75.17	3.	अचल सम्पत्ति	212.11	218.85
4.	आय एवं व्यय खाते से स्थानान्तरित अधिशेष	16.10	14.57	4.	विविध देनदार और प्राप्तियां	116.33	94.33
				5.	ऋण एवं अग्रिम	0.98	6.25
				6.	दीर्घ कालीन पूँजी हानि (सीएफ)	0.00	33.73
				7.	विविध जमा एवं पूर्वदत्त व्यय	3.45	3.58
	योग	2267.02	2233.11		योग	2267.02	2233.11

आय एवं व्यय

(धनराशि लाख रु. में)

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि	
		2019-20	2018-19
	आय		
1.	सदस्य बैंकों से एएमएस तथा अतिरिक्त योगदान	84.90	77.97
2.	ब्याज और लाभांश आय	205.58	199.15
3.	प्राप्त अनुदान (भारत सरकार, एनसीयूआई एवं नाबार्ड)	11.00	8.00
4.	विविध आय/अतिथिगृह सेवा प्रभार	0.15	0.15
5.	बीडीडीआर से वसूली, अतिरिक्त प्रावधान उलटे गये तथा पुराने देय खारिज कियेगये	0.46	24.96
	योग (1 से 5)	302.09	310.23
	व्यय		
1.	प्रबन्धन लागत	125.80	114.86
2.	अन्य कार्यालय व्यय	30.70	60.74
3.	या बैठक/सेमिनार/संगोष्ठी व्यय/पुरस्कार समारोह	18.32	8.09
4.	परिसर रख-रखाव व्यय	8.58	8.12
5.	प्रावधान /निधियां	102.58	103.85
	योग (1 से 5)	285.98	295.66
	अधिशेष	16.11	14.57

सदस्य बैंको का संक्षिप्त विवरण

सदस्य बैंकों का संक्षिप्त विवरण

गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
489, आश्रम रोड, नेहरू ब्रिज के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380 009			
ईमेल-gscardb@gmail.com		दूरभाष-079-26585365 / 70 / 71	
परिरक्षक श्री चेतन एन. परमार		महा प्रबन्धक श्री वी.एम चौधरी	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं): 317+230 (प्रसंविदा / निश्चित बेड)		ऋण पर ब्याज दर-11.00% से 13.00% जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 5.75% से 6.00%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	57965.12	58196.20	56001.13
वितरित ऋण	17762.88	14956.81	13652.26
कुल प्रदत्त पूँजी	4590.85	4532.39	4445.99
निर्बाध आरक्षित निधिया	54874.66	56036.78	25017.33
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	49.07	49.05	56.95
अदत्त जमा	26078.30	27041.55	26711.86
उधार बकाया	39201.55	34226.78	40217.36
शुद्ध लाभ	2100.14	2101.52	2525.00
संचित हानियां, यदि कोई हों	-	-	-

हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
सहकारिता भवन, बे संख्या 31-34, सेक्टर 2, पंचकुला-134 112			
ईमेल- pa2md.hscardb@gmail.com		दूरभाष-0172 2587040	
प्रबन्ध निदेशक श्री नरेश गोयल			
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक पर - 68 पीसीएआरडी बैंक पर - 743		ऋण पर ब्याज दर-12.00% से 13.00% जमा संग्रहण पर ब्याज दर-एनआर	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	196679.28	193118.05	187944.16
वितरित ऋण	7721.39	2644.00	7246.73
कुल प्रदत्त पूँजी	4509.36	4509.36	4361.02
निर्बाध आरक्षित निधियां	42144.90	42144.90	49587.18
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात (%)	एनआर	एनआर	एनआर
जमा बकाया	15.16	10.33	538.97
उधार बकाया	165209.22	157359.64	136331.61
शुद्ध लाभ / हानि*	(3188.11)	(7638.23)	6392.30
संचित हानियां, यदि कोई हों	37788.30	45426.53	39034.23

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड(सूचना अप्राप्त) *कोष्ठक में अंकित अंक हानि दर्शाते हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

ब्लाक नम्बर डी-3, एसडीए काम्प्लेक्स, कसुमपटी, शिमला-171 009

ईमेल-hpardbank@gmail.com

दूरभाष-0177 2621437

अध्यक्ष

श्रीमती शशी बाला

प्रबन्ध निदेशक

श्री विवेक चौहान (एचएएस)

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 170
पीसीएआरडी बैंक पर : 50

ऋण पर ब्याज दर- सूचना अप्राप्त
जमा संग्रहण पर ब्याज दर-सूचना अप्राप्त

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	42423.13	45388.81	44091.67
वितरित ऋण	8217.82	8498.79	5813.49
कुल प्रदत्त पूँजी	2440.36	2606.35	2618.92
निर्बाध आरक्षित निधियां	2121.95	2121.95	2121.95
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	10.76	10.58	10.24
अदत्त जमा	10095.17	9910.55	10200.40
उधार बकाया	27083.93	27716.86	24227.08
शुद्ध लाभ/हानि*	127.43	22.80	(185.41)
संचित हानियां, यदि कोई हों	—	—	35.18

*कोष्ठक में अंकित अंक हानि दर्शाते हैं।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

भवन संख्या 12, पोस्ट आफिस लेन, हैदरपुरा, मुबारक अस्पताल के पास, श्रीनगर-190 014

ईमेल-scardjk@rediffmail.com

दूरभाष - 0194-2431892 / 2431965

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री मोहम्मद असलम भट्ट

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) - 239

ऋण पर ब्याज दर - 14.50%
जमा संग्रहण पर ब्याज दर-7.75%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	5663.61	5788.43	5766.49
वितरित ऋण	1268.75	1182.79	904.43
कुल प्रदत्त पूँजी	2999.25	3016.92	एनआर
निर्बाध आरक्षित निधियां	14.05	237.63	एनआर
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	एनआर	51.12	एनआर
अदत्त जमा	15059.47	16645.93	18033.67
उधार बकाया	616.00	641.00	616.00
शुद्ध हानि	693.10	7993.97	9602.86
संचित हानियां, यदि कोई हों	6800.34	एनआर	एनआर

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
टीपू सुल्तान पैलेस रोड, चमराजपेट, पी.ओ.बॉक्स नम्बर 1811, फोर्ट, बेंगलोर-560 018			
ईमेल- stskscardb@gmail.com		दूरभाष-080-26702024 / 74	
अध्यक्ष श्री के. शदाक्षरी, भूतपूर्व एमएलए		प्रबन्ध निदेशक डा. के. सी. यतिश कुमार, केसीएस	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक पर : 306 पीसीएआरडी बैंक पर : 575		ऋण पर ब्याज दर-3.00% से 6.00% जमा संग्रहण पर ब्याज दर- 9.40%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	179600.41	178226.78	177906.21
वितरित ऋण	19858.13	23377.07	26439.46
कुल प्रदत्त पूँजी	7662.56	7854.87	8228.55
निर्बाध आरक्षित निधियां	4829.59	4939.20	4657.36
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	6.23	6.38	एनआर
अदत्त जमा	36878.30	41469.07	47860.33
उधार बकाया	148731.22	141693.40	125547.86
शुद्ध लाभ	68.69	75.67	एनआर
संचित हानियां यदि कोई हों	—	—	—
एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)			

केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड			
पी.बी. नम्बर 56, स्टेचू जंक्शन, थिरुवनन्थपुरम - 695 001			
ईमेल-ho.cardbank@gmail.com		दूरभाष-0471-2460595	
अध्यक्ष श्री सोलोमन एलेक्स		प्रबन्ध निदेशक श्री वी. रथिसन, आई.ए.एस.	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक पर : 117 पीसीएआरडी बैंक पर : एनआर		ऋण पर ब्याज दर - एन आर जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 6.75%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	636161.04	665853.77	711836.63
वितरित ऋण	232755.01	220951.61	221763.38
कुल प्रदत्त पूँजी	18843.28	19152.83	20432.36
निर्बाध आरक्षित निधियां	30201.41	40933.05	43324.02
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	10.71	11.98	12.14
अदत्त जमा	59378.94	47978.40	40963.75
उधार बकाया	577682.28	622408.42	596333.18
शुद्ध लाभ	2753.18	2565.50	2780.50
संचित हानियां, यदि कोई हों	—	—	—
एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)			

पॉण्डचेरी कोआपरेटिव सेण्ट्रल लैण्ड डेवलपमण्ट बैंक लि, पी.106			
नम्बर 24, कोलासनगर, उप्पलम, पुडुचेरी-605 001			
ईमेल-pccldb@dataone.in		दूरभाष-0413-2357985/2358827	
अध्यक्ष श्रीमती वी. सरोजीनी		प्रबन्ध निदेशक थिरु. ए. इरयासप्पन	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 30		ऋण पर ब्याज दर : 11.50% से 13.50% जमा संग्रहण पर ब्याज दर : 8.50%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	3021.58	3188.84	नॉट रिपोर्टेड
वितरित ऋण	2381.76	2441.57	
कुल प्रदत्त पूँजी	463.69	484.67	
निर्बाध आरक्षित निधियां	270.89	136.01	
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	एनआर	एनआर	
अदत्त जमा	2691.86	2989.27	
उधार बकाया	534.66	385.70	
शुद्ध हानि	41.75	50.64	
संचित हानियां, यदि कोई हों	383.86	434.50	
एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)			

पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक लिमिटेड			
एससीओ नम्बर 51-54, बैंक स्क्वायर, सेक्टर 17-बी, चण्डीगढ़-160 017			
ईमेल-sadbmd@gmail.com		दूरभाष-0172-2708134 / 5011708	
अध्यक्ष श्री कमलदीप सिंह		प्रबन्ध निदेशक श्री चरनदेव सिंह मान	
कर्मचारियों की स्थिति एससीएआरडी बैंक पर : 192 पीसीएआरडी बैंक पर : 632		ऋण पर ब्याज दर : 10.95% से 11.80% जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 6.75% से 6.95%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु में)
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	269209.05	253854.60	227362.68
वितरित ऋण	28562.51	17486.17	1254.23
कुल प्रदत्त पूँजी	7853.15	7888.15	7888.15
निर्बाध आरक्षित निधियां	12791.19	23397.92	23128.40
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	12.96	12.92	14.26
अदत्त जमा	34495.46	23518.03	25485.80
उधार बकाया	240564.22	204885.55	180378.87
शुद्ध लाभ	828.95	120.49	227.34
संचित हानियां, यदि कोई हों	-	-	-

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड

नेहरु सहकार भवन, वेस्टर्न ब्लॉक 22, गोदाम सर्किल, बी.एस.रोड, जयपुर-302 005

ईमेल-rsldbaf@yahoo.in

दूरभाष-0141-2740760

प्रशासक

श्री जी.एल.स्वामी

प्रबन्ध निदेशक

श्री जितेन्द्र प्रसाद

कर्मचारियों की स्थिति -

एससीएआरडी बैंक पर : 58

पीसीएआरडी बैंक पर : 271

ऋण पर ब्याज दर- 15.59%

जमा संग्रहण पर ब्याज दर-जमा स्वीकार्य नहीं

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	162972.89	157159.70	147638.65
वितरित ऋण	24372.30	13932.53	7939.28
कुल प्रदत्त पूँजी	3930.53	3988.06	3991.06
निर्बाध आरक्षित निधियां	51656.97	52057.40	56990.47
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	8.79	12.80	15.59
अदत्त जमा	1328.00	1242.15	579.70
उधार बकाया	123744.00	113791.84	96674.69
शुद्ध लाभ/हानि*	(4391.65)	4420.46	2992.90
संचित हानियां, यदि कोई हों	-	-	-

*कोष्ठक में अंकित अंक हानि दर्शाते हैं।

तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

नम्बर 181-183, लुज़ चर्च रोड, माइलापुर, चेन्नई-600 004

ईमेल-sldbchn@yahoo.co.in /tncsardbho@gmail.com

दूरभाष-9445034060 / 9445034070

अध्यक्ष

श्री आर. परिमल अजागन

प्रबन्ध निदेशक

श्रीमती आर. बृन्दा

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक पर : 93

पीसीएआरडी बैंक पर : 455

ऋण पर ब्याज दर - 8.25% से 9.00%

जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 7.00% से 7.50%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	68652.15	73647.60	92846.82
वितरित ऋण	69702.35	77322.15	97474.75
कुल प्रदत्त पूँजी	4120.26	4324.00	4324.00
निर्बाध आरक्षित निधियां	7773.00	12223.00	12356.00
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	44.08	38.21	एनआर
अदत्त जमा	22443.00	23249.00	24130.55
उधार बकाया	6395.00	6397.00	6424.49
शुद्ध लाभ	1043.54	2762.39	30.77
संचित हानियां, यदि कोई हों	-	-	-

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

ऑफिस लेन, अगरतला- 799 001

ईमेल—tcardbltd.2012@gmail.com

दूरभाष- 0381-2323972

अध्यक्ष
श्री प्रमोद रियांग, विधायक

महा प्रबन्धक
श्री अपूर्व कृष्ण चक्रवर्ती

कर्मचारियों की स्थिति
एससीएआरडी बैंक पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखायें) : 23

ऋण पर ब्याज दर - 14.25% से 16.25%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	1646.94	1322.58	नॉट रिपोर्टेड
वितरित ऋण	13.70	0.00	
कुल प्रदत्त पूँजी	1019.35	1000.43	
निर्बाध आरक्षित निधियां	8.85	8.85	
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	39.53	NR	
उधार बकाया	961.02	559.83	
शुद्ध लाभ/हानि*	19.68	(301.26)	
संचित हानियां यदि कोई हों	1645.38	1946.64	

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त) * कोष्ठक में अंकित अंक हानि दर्शाते हैं।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड

10 माल एवेन्यू, लखनऊ -226 001

ईमेल—upsgvb@yahoo.in

दूरभाष- 0522-2238844 / 2238855

अध्यक्ष
श्री संतराज यादव

प्रबन्ध निदेशक
श्री ए.के. सिंह

कर्मचारियों की स्थिति
एससीएआरडी बैंक पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) : 2855

ऋण पर ब्याज दर - 13.00% से 13.50%
जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 6.00%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	336079.54	313280.48	280706.46
वितरित ऋण	6251.27	15180.32	5113.32
कुल प्रदत्त पूँजी	31822.82	30413.10	28692.41
निर्बाध आरक्षित निधियां	79628.27	79109.55	79006.00
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	23.76	25.01	25.00
अदत्त जमा	6033.79	5474.32	5161.62
उधार बकाया	151300.53	137592.72	70876.54
शुद्ध लाभ/हानि*	191.80	(8451.20)	एनआर
संचित हानियां यदि कोई हों	2504.05	10955.26	एनआर

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त) *कोष्ठक में अंकित अंक हानि दर्शाते हैं।

पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड

25-डी, शेक्सपियर सरांय, कोलकता-700 017

ईमेल-wbcardb@gmail.com

दूरभाष - 033-22871786 / 22871787

विशेष अधिकारी :

श्री मोइनुल हसन, भूपू. सांसद

प्रबन्ध निदेशक :

श्री अमलॉन भट्टाचार्य

कर्मचारियों की स्थिति

एससीएआरडी बैंक पर : 80

पीसीएआरडी बैंक पर : 585

ऋण पर ब्याज दर- 7.88% (अनन्तिम)

जमा संग्रहण पर ब्याज दर- 6.89% (अनन्तिम)

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	110015.55	114462.63	124690.55
वितरित ऋण	22333.84	25090.39	29223.46
कुल प्रदत्त पूँजी	4161.11	4173.11	4247.27
निर्बाध आरक्षित निधियां	1059.89	1170.47	1266.74
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	3.44	3.25	3.16
अदत्त जमा	20577.52	22198.50	22764.85
उधार बकाया	84030.41	89367.46	93950.26
शुद्ध लाभ	244.05	322.93	357.70
संचित हानियां यदि कोई हों	1211.27	1044.13	865.92

राज्य सहकारी बैंक

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

31, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-110 002

ईमेल-dscbho@gmail.com / bkg.dscb@gmail.com

दूरभाष: 011-41705038

अध्यक्ष :

डा. बिजेन्द्र सिंह

प्रबन्ध निदेशक

श्रीमती अनिता रावत

कर्मचारियों की स्थिति

प्रधान कार्यालय पर : 65

शाखा स्तर पर : 453

ऋण पर ब्याज दर -7.00% से 18.50%

जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 3.00% से 6.50%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	76965.33	80292.92	83041.38
वितरित ऋण	20697.26	17553.40	23403.41
कुल प्रदत्त पूँजी	1335.99	1612.46	1674.56
निर्बाध आरक्षित निधियां	22861.97	24992.27	26888.98
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	46.67	49.86	50.18
अदत्त जमा	114154.35	118577.85	122044.43
उधार बकाया	1103.29	248.58	एनआर
शुद्ध लाभ	2913.17	3009.64	3038.47
संचित हानियां यदि कोई हों	—	—	—

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

मेघालय कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड			
एम.जी.रोड, प्रधान कार्यालय, शिलॉंग-793 001			
ईमेल- apexbank@sancharnet.in/mcab@dataone.in		दूरभाष: 0364-2224160 / 2225190	
अध्यक्ष: श्री मारचिन्ना सियम		प्रबन्ध निदेशक : श्री ओ. ई. जे. नोंगब्री	
कर्मचारियों की स्थिति प्रधान कार्यालय पर : 145 शाखा स्तर पर : 430		ऋण पर ब्याज दर - 9.00% से 10.00% जमा संग्रहण पर ब्याज दर - 4.00% से 7.25%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	117302.21	137200.27	167311.99
वितरित ऋण	18806.52	एनआर	एनआर
कुल प्रदत्त पूँजी	935.75	939.31	939.31
निर्बाध आरक्षित निधियां	12123.90	13085.60	14085.28
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	19.68	19.10	एनआर
अदत्त जमा	245979.01	265676.69	281319.75
उधार बकाया	5004.53	5405.10	4824.04
शुद्ध लाभ	944.95	1025.24	1500.00
संचित हानियां यदि कोई हों	-	-	-
एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)			

तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड			
4-1-441 बैंक स्ट्रीट टुप बाजार, आबिद्स हैदराबाद - 500 001			
ई मेल- mdoffice@tscab.org / presidentsoffice@tscab.org		दूरभाष नम्बर: 040-24685567	
अध्यक्ष श्री कोन्डुरु रविन्दर राव		प्रबन्ध निदेशक डा. नेति मुरलीधर	
कर्मचारियों की स्थिति प्रधान कार्यालय पर : 226 शाखा स्तर पर : 252		ऋण पर ब्याज की दर - 5.00% से 14.00% जमा संग्रहण पर ब्याज की दर - 4.75% से 6.60%	
प्रमुख वित्तीय मानदण्ड			(धनराशि लाख रु. में)
विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	519575.61	559680.95	620283.37
वितरित ऋण	604400.18	608112.82	782100.84
कुल प्रदत्त पूँजी	14410.03	15729.62	17199.25
निर्बाध आरक्षित निधियां	31859.82	34753.77	37703.99
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	10.49	10.76	10.89
अदत्त जमा	385125.24	362225.81	464489.11
उधार बकाया	338843.19	350198.80	356432.44
शुद्ध लाभ	4061.25	4436.36	4894.12
संचित हानियां यदि कोई हैं	-	-	-

असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

आश्रम रोड, उलुबाड़ी, गौहाटी - 781 007

ईमेल- ascardbankltdghy@gmail.com

दूरभाष: 0361-2522201

अध्यक्ष:
श्री आनंद भुवन दास

मुख्य कार्यकारी निदेशक :
श्री घाना पेगू

कर्मचारियों की स्थिति
एससीएआरडी बैंक पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखाएं) - 184

ऋण पर ब्याज दर : एनआर
जमा संग्रहण पर ब्याज दर - एनआर

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु. में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	996.22	1095.77	1178.60
वितरित ऋण	182.28	226.94	208.33
कुल प्रदत्त पूँजी	660.44	674.42	686.37
निर्बाध आरक्षित निधियां	1061.39	1061.39	1061.39
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	46.32	46.67	एनआर
अदत्त जमा	266.15	357.71	316.78
उधार बकाया	2952.17	2952.17	2952.17
शुद्ध लाभ/हानि*	16.16	(1.21)	एनआर
संचित हानियां यदि कोई हों	7635.38	7636.60	7636.60

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त) *कोष्ठक में अंकित अंक हानि दर्शाते हैं।

बहुराज्यीय सहकारी लैण्ड डेवलपमेण्ट बैंक लिमिटेड (बिहार-झारखण्ड)

बुद्ध मार्ग, पटना - 800 001

ईमेल-ldbpat@gmail.com

दूरभाष- 0612-2226221 / 22

अध्यक्ष :
श्रीमती ममता सिंह

प्रबन्ध निदेशक :
श्री अजय कुमार सिंह

कर्मचारियों की स्थिति
एससीएआरडी बैंक पर (प्रधान कार्यालय एवं शाखायें) : 478

ऋण पर ब्याज दर :- 11.00%

प्रमुख वित्तीय मानदण्ड

(धनराशि लाख रु में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20
ऋण बकाया	5032.95	NR	नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)
वितरित ऋण	175.00	169.00	
कुल प्रदत्त पूँजी	2833.32	एनआर	
निर्बाध आरक्षित निधियां	1554.78	एनआर	
पूँजी पर परिसम्पत्तियों का अनुपात(%)	3.20	एनआर	
अदत्त जमा	471.26	एनआर	
उधार बकाया	860.66	860.66	
शुद्ध हानि	2485.60	एनआर	
संचित हानियां यदि कोई हों	-	-	

एनआर का तात्पर्य नॉट रिपोर्टेड (सूचना अप्राप्त)

2019 – 20 के दौरान सदस्य बैंकों के क्रियाकलापों का प्रतिवेदन

1. सामान्य जानकारी

2019-20 के दौरान पूर्ण रूपसे क्रियाशील एससीएआरडी बैंकों के क्रिया कलापों के आंकड़ों विवरण पत्र प्रतिवेदन के अनुलग्नक में दिया गया है।

13 एससीएआरडी बैंकों (पूर्ण रूप से कार्यशील) द्वारा गतवर्ष (2018-19) में रु 4242.50 करोड़ के कुल ऋण वितरण के सापेक्ष के दौरान चालू वर्ष (2019-20) में रु 4214.40 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। विगत कुछ वर्षों से कुल ऋण वितरण में इस स्तर की गिरावट का प्रमुख कारण वित्तीय स्रोतों की रुकावट का होना रहा है।

इसके अतिरिक्त, 13 पूर्ण रूप से क्रियाशील एससीएआरडी बैंकों में से 4 बैंक काफी लम्बे समय तक नाबार्ड के पुनर्वित्त की पहुंच से बाहर रहें इसके साथ ही केरल, जो कुल वितरण का 50 प्रतिशत से अधिक के लिये उत्तरदायी है, को छोड़ कर, शेष अन्य बैंकों के पुनर्वित्त आहरण में भी वृद्धि नहीं हुई। केवल एससीएआरडी बैंक केरल ही ऐसा बैंक है जिसने ऋण वितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि अंकित कराई और जिसने कुल ऋण वितरण के स्तर को बनाये रखने में सहायता प्रदान कराई और स्तर को तेजी से नीचे गिरने नहीं दिया। एससीएआरडी बैंक पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और तमिलनाडु इन तीन बैंकों ने ऋण वितरण में गत वर्ष की तुलना में अच्छा कार्य किया। 2018-19 में ऋण वितरण लगभग बन्द कर चुकने के बाद एससीएआरडी बैंक हरियाणा ने इस वर्ष ऋण वितरण कुछ सीमा तक पुनर्जीवित कर लिया। पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान उन प्रमुख बैंकों में हैं जहां चालू वर्ष के दौरान ऋण वितरण गत वर्ष की तुलना में काफी कम रहा।

एससीएआरडी बैंकों ने गतवर्ष रु 19760.87 के सापेक्ष 31.03.2020 को रु 20102.57 करोड़ के कुल ऋण बकाये के साथ गत वर्ष के ऋण मोचन की तुलना में कुल ऋण वितरण में आई कमी को स्पष्ट रूप से इंगित किया। वर्ष 2018-19 में रु 3513.21 करोड़ के सापेक्ष

2019-20 के दौरान कुल उधार राशियां रु 4077.74 करोड़ थी। इनमें से 51 प्रतिशत की प्राप्ति का स्रोत नाबार्ड था जबकि 46 प्रतिशत स्रोत एनसीडीसी और अन्य बैंकिंग व्यवस्था से रहा। अवशेष 3 प्रतिशत राज्य सरकारों की ओर से एससीएआरडी बैंको को तरलता सहयोग के रूप में सहयोजित किया गया।

पूर्णतया क्रियाशील एससीएआरडी बैंकों का कुल उधार बकाया गतवर्ष के रु 14871.10 करोड़ से गिर कर 31.03.2020 को रु 13437.20 करोड़ के निचले स्तर पर आ गया। कुल उधार बकाये में नाबार्ड के पुनर्वित्त का 86 प्रतिशत हिस्सा था। नाबार्ड के पुनर्वित्त बकाये में वर्ष के दौरान 0.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गतवर्ष के रु 11,514.16 करोड़ से बढ़ कर वर्ष के दौरान रु 11,604.44 हो गया। एससीएआरडी बैंक हरियाणा ने अल्पकालीन ऋण के गतवर्ष एनसीडीसी से लिये गये ऋण से मुक्ति होकर तथा नाबार्ड से वर्ष के दौरान नये पुनर्वित्त का लाभ लिये बिना ही विगत वर्ष के पुनर्वित्त का मोचन करते हुये अपने उधार बकाये में उल्लेखनीय कमी हासिल की।

31 मार्च 2019 को रु 2113.92 करोड़ के सापेक्ष पूर्णतया क्रियाशील एससीएआरडी बैंकों का 31.03.2020 को कुल अदत्त जमा रु 2129.21 करोड़ था। जमा संग्रहण में प्रथम दो स्थान पर एससीएआरडी बैंक केरल और कर्नाटक इसके बाद गुजरात, पंजाब, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल हैं, यद्यपि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जमा संग्रहण में अभी गति लाई जानी है। 12 बैंकों में से, जिनके विवरण उपलब्ध हैं, 8 बैंकों ने 2019-20 के अन्त में अपने अदत्त जमा में बढ़ोत्तरी की। एक बैंक ने अपने स्तर को यथावत रखा तथा 4 बैंको को गत वर्ष की तुलना में नकारात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा।

वर्ष 2019-20 के दौरान एससीएआरडी बैंकों की डीसीबी (मांग संग्रहण एवं अवशेष) में आंशिक सुधार हुआ है। एससीएआरडी बैंकों की औसत वसूली गत वर्ष के 40.70 प्रतिशत से बढ़ कर वर्ष के दौरान 42.06 प्रतिशत हुई है। अंतिम उधारकर्ता स्तर पर बैंक की औसत वसूली 36.37 प्रतिशत से बढ़ कर 38.59 प्रतिशत हुई है। यद्यपि

अधिकांश राज्यों में वसूली की स्थिति विमुद्रीकरण से पूर्व के स्तर पर वापस लाया जाना अभी शेष है।

एससीएआरडी बैंकों की कुल मांग में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु 10766 करोड़ से बढ़ कर 2019-20 में रु 11898 हो गई है। संग्रहण की कुल धनराशि 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु 4381 करोड़ से बढ़ कर रु 5004 करोड़ हो गई। उत्तम वसूली के बावजूद, एससीएआरडी बैंको का कुल बकाया गतवर्ष से 8 प्रतिशत अधिक की वृद्धि दर्शाते हुए रु 6384 करोड़ से बढ़कर रु 6894 करोड़ हो गया।

अंतिम ऋण प्राप्तकर्ता स्तर पर 2018-19 में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रु 13183 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में कुल मांग रु 14473 करोड़ हो गई। इसके विरुद्ध गतवर्ष रु 4797 करोड़ के सापेक्ष 16.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2019-20 में रु 5585 करोड़ की वसूली की गई। फिर भी अंतिम ऋणी सदस्य स्तर पर कुल धनराशि में 6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2018-19 में रु 8389 करोड़ से बढ़ कर 2019-20 में रु 8889 करोड़ पहुंच गई।

एससीएआरडी बैंकों के समग्र एनपीए के कुल औसत में गत वर्ष के

27.08 प्रतिशत से 2019-20 में 29.50 प्रतिशत की वृद्धि। केवल केरल और पाण्डिचेरी का कुल एनपीए कमशः 5.81 प्रतिशत और 2.2 प्रतिशत के सन्तोषजनक स्तर पर है। तमिलनाडु का एनपीए भी 15.64 प्रतिशत पर रोके हुये हैं जबकि अन्य सभी एससीएआरडी बैंकों को एनपीए 20 प्रतिशत से अधिक है और त्रिपुरा और हरियाणा के मामलो में तो एनपीए ने 80 प्रतिशत से आगे निकल चुका है।

पूर्णतया कार्यात्मक एससीएआरडी बैंको में पूर्व संपरीक्षित आंकड़ों के अनुसार, 8 बैंकों ने 2019-20 के दौरान शुद्ध लाभ दर्शाया है। एससीएआरडी बैंक हरियाणा जो गत वर्ष हानि में था, ने इस वर्ष स्थिति उलट दी। जबकि एससीएआरडी बैंक हिमांचल प्रदेश जो विगत कई वर्षों से पिछले वर्ष तक लाभ पर था, को इस वर्ष रु 1.85 करोड़ की शुद्ध हानि हुई। इन बैंकों द्वारा गत वर्ष अर्जित लाभ रु 123.92 करोड़ के सापेक्ष 2019-20 में रु 153.82 करोड़ की वृद्धि हुई। 2019-20 में 5 एससीएआरडी बैंकों को जिन्हें कुल हानि हुई, ने अपनी कुल हानियों को रु 244.35 करोड़ से कम करते हुए वर्ष के दौरान रु 185.91 करोड़ पर नीचे ले आए।

आभार

फेडरेशन, संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा सदस्य बैंकों की गतिविधियों के विस्तार के अपने प्रयासों के साथ केन्द्र और राज्य सरकारों, नाबार्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, एन.सी.डी.सी., एन.सी.यू.आई. तथा अन्य अभिकरणों एवं संस्थाओं के साथ निरन्तर सम्बन्ध और सम्पर्क बनाये हुये है। प्रबन्धन मण्डल इन सभी अभिकरणों और संस्थाओं द्वारा फेडरेशन को दिये गये उनकी आलम्बन एवं सहयोग के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन तथा इसकी सदस्य संस्थायें कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से वित्तीय एवं नीतिगत सहयोग प्राप्त करते रहे हैं। प्रबन्धन मण्डल श्री पुरषोत्तम रूपाला, राज्यमंत्री, कृषि एवं कृषक कल्याण व मंत्रालय को फेडरेशन एवं दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को उसके द्वारा निरन्तर दिये जा रहे समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिये आभार प्रदर्शन करता है।

आरम्भ से ही नाबार्ड एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को पुर्नवित्त सहयोग के साथ प्रगति में सहयोग प्रदान करता रहा है प्रबन्धन मण्डल नाबार्ड को एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को उसके सतत पुर्नवित्त सहयोग तथा दीर्घ कालीन सहकारी साख संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिये इनके द्वारा निर्वहन की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के लिये कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

हम, एन.सी.डी.सी., एनएचबी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा राज्य सहकारी बैंकों के प्रति भी अपना आभार ज्ञापित करते हैं, जो एस.सी.ए.आर.डी. बैंकों को वित्तीय सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं जिससे उन्हें अपने सदस्यों को उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को अपेक्षाकृत अच्छे ढंग से पूरा करने में मदद मिली है।

फेडरेशन के क्रियाकलापों में एन.सी.यू.आई. अपना सक्रिय सहयोग करता रहा है। फेडरेशन इस उदारता की सराहना करते हुये डॉ.

चन्द्र पाल सिंह अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य नारायण के प्रति अपना आभार प्रदर्शित करता है।

प्रतिवेदित वर्ष में फेडरेशन को अपने सदस्य बैंकों से निरन्तर वित्तीय एवं अन्य दूसरे सहयोग के साथ समर्थन मिलता रहा है। हम अपने सदस्य बैंकों के प्रबन्धन, कर्मियों विशेष रूप से एससीएआरडी बैंकों के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के प्रति गहन आभार व्यक्त करते हैं। प्रबन्धन मण्डल माननीय अध्यक्ष श्री के शिवदासन नायर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, जिन्होंने माननीय उपाध्यक्षों श्री के शदाक्षरी, श्री के. रवीन्द्र राव, श्री बिजय कुमार सिंह, तथा श्री मरचिन्ना सियाम जिन्होंने फेडरेशन तथा दीर्घ कालीन साख संरचना को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान किया।

दीर्घकालीन साख संरचना के विभिन्न मुद्दों को भारत सरकार के उचित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कराने में बहुमूल्य सहयोग तथा निदेशक मण्डल में सहयोजित सदस्य के रूप मार्गदर्शन के लिये प्रबन्धन मण्डल श्री के परबत भाई पटेल, माननीय सांसद के प्रति, कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

प्रबन्धन मण्डल श्री के. के. रविन्द्रन, प्रबन्ध निदेशक की सेवाओं की सराहना करता है जिन्होंने पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ मुख्य कार्यकारी के दायित्वों का निर्वहन किया। प्रबन्धन अपने सभी अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा प्रतिवेदित वर्ष में की गई सेवा एवं सहयोग की सराहना करता है।

प्रबन्धन मण्डल की ओर से,

के. शिवदासन नायर
अध्यक्ष

तालिका 1 – ऋण वितरण एवं ऋण अवशेष

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी का नाम	2019-20 में वितरित ऋण			2018-19 में वितरित ऋण			31 मार्च 2020 को बकाया ऋण			बकाया ऋण 31 मार्च 2019 को
		कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आएचएस/एस.टी ऋण/अन्य सहित)	कुल वितरित ऋण (3+4)	कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आएचएस/एस.टी ऋण/अन्य सहित)	कुल वितरित ऋण	कृषि क्षेत्र	अकृषि क्षेत्र (आएचएस/एस.टी ऋण/अन्य सहित)	कुल बकाया ऋण (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	गुजरात	9887.09	3765.17	13652.26	14956.78	51795.46	4205.67	56001.13	58196.19		
2.	हरियाणा	6649.88	2298.57	8948.45	2643.59	96724.88	26887.25	123612.13	147602.27		
3.	हिमाचल प्रदेश	4637.87	1175.62	5813.49	8498.79	31111.26	12980.41	44091.67	45388.81		
4.	जम्मू व कश्मीर	661.36	243.07	904.43	1182.79	4233.98	1532.51	5766.49	5788.43		
5.	कर्नाटक	26463.10	530.21	26993.31	24563.46	174609.29	3296.92	177906.21	141184.08		
6.	केरल	79288.60	142474.78	221763.38	220951.60	238917.42	472919.21	711836.63	665853.77		
7.	पाण्डिचेरी \$	0.00	2375.86	2375.86	2441.57	0.00	3590.22	3590.22	3188.84		
8.	पंजाब	1010.33	243.90	1254.23	17486.17	142024.05	81085.93	223109.98	248012.05		
9.	राजस्थान	7258.28	681.00	7939.28	13932.53	128964.54	37134.44	166098.98	158159.70		
10.	तमिलनाडु	0.00	97474.75	97474.75	77322.15	0.00	92846.82	92846.82	73647.60		
11.	त्रिपुरा	एनआर	एनआर	एनआर	0.00	एनआर	एनआर	एनआर	1322.58		
12.	उत्तर प्रदेश	4281.01	827.52	5108.53	15180.32	एनआर	एनआर	280706.46	313280.48		
13.	पश्चिम बंगाल	24694.58	4517.34	29211.92	25090.39	92800.48	31890.07	124690.55	114462.63		
	योग [1 से 13]	164832.10	256607.79	421439.89	424250.14	961181.36	768369.45	2010257.27	1976087.43		

टिप्पणी: (1) एनआर का तात्पर्य सूचना अप्राप्त।

(2) \$ ऋण वितरण एवं ऋण अवशेष की स्थिति जनवरी 2020 तक।

तालिका २ – उधार राशियां वर्ष के दौरान

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी का नाम	वर्ष 2019-20 के दौरान एकत्रित				कुल योग	
		नाबार्ड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/एनएचबी/एससीबी आदि)	2019-20 (3+4+5+6)	2018-19
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
2.	हरियाणा	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	20000.00
3.	हिमांचल प्रदेश	3851.60	0.00	0.00	0.00	3851.60	6830.60
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	कर्नाटक	16909.00	0.00	1000.00	0.00	17909.00	29094.83
6.	केरल	135000.00	0.00	0.00	116720.00	251720.00	192555.00
7.	पाण्डिचेरी	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	-148.96
8.	पंजाब	3564.00	0.00	0.00	46900.00	50464.00	33102.14
9.	राजस्थान	11420.00	0.00	0.00	17670.37	29090.37	32423.55
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	27.72	27.72	4.20
11.	त्रिपुरा	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	0.00
12.	उत्तर प्रदेश	7012.00	0.00	0.00	700.00	7712.00	12459.93
13.	पश्चिम बंगाल	27000.00	0.00	0.00	0.00	27000.00	25000.00
	योग (1 से 13)	214756.00	0.00	11000.00	182018.09	407774.09	351321.29

टिप्पणी : एनआर का तात्पर्य सूचना अप्राप्त।

तालिका ३ – उधार राशियों का अवशेष

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी का नाम	31 मार्च 2020 को उधार राशियों का अवशेष				कुल योग	
		नाबार्ड	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य (एनसीडीसी/एनएचबी/एससीबी आदि)	31 मार्च 2020 को (3+4+5+6)	31.03.2019 को
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	11329.52	0.38	100.09	0.00	11429.99	6911.63
2.	हरियाणा	33868.23	3441.13	98522.00	0.00	135831.36	157359.64
3.	हिमांचल प्रदेश	23446.04	610.06	23.70	147.28	24227.08	27716.86
4.	जम्मू व कश्मीर	0.00	279.28	336.72	0.00	616.00	641.00
5.	कर्नाटक	119253.37	2005.62	5288.87	0.00	126547.86	141693.40
6.	केरल	583290.93	179.96	179.96	12682.33	596333.18	622408.42
7.	पाण्डिचेरी \$	0.00	0.00	0.00	451.89	451.89	385.70
8.	पंजाब	136620.90	128.39	7.31	43600.00	180356.60	204885.56
9.	राजस्थान	88067.73	1228.80	1228.81	6149.35	96674.69	113791.84
10.	तमिलनाडु	0.00	0.00	6389.87	34.62	6424.49	6396.77
11.	त्रिपुरा	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	2003.34
12.	उत्तर प्रदेश	61592.84	109.28	109.28	9065.14	70876.54	113548.52
13.	पश्चिम बंगाल	93946.69	1.79	1.78	0.00	93950.26	89367.46
	योग (1 से 13)	1151416.25	7984.69	112188.39	72130.61	1343719.94	1487110.14

टिप्पणी : (1) एनआर का तात्पर्य सूचना अप्राप्त।

(2) \$ अवशेष की स्थिति जनवरी 2020 तक।

तालिका ४ - जमा संग्रहण

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी का नाम	वर्ष के अन्त में जमा अवशेष	
		31.03.2019	31.03.2020
1.	गुजरात	27041.55	26711.79
2.	हरियाणा	10.33	538.97
3.	हिमांचल प्रदेश	9934.52	10375.29
4.	जम्मू व कश्मीर	16645.93	18033.67
5.	कर्नाटक	31110.12	34885.26
6.	केरल	47978.40	40963.75
7.	पाण्डिचेरी \$	2989.27	3289.61
8.	पंजाब	23518.03	25485.80
9.	राजस्थान	1242.15	579.70
10.	तमिलनाडु	23249.09	24130.55
11.	उत्तर प्रदेश	5474.32	5161.62
12.	पश्चिम बंगाल	22198.50	22764.85
	योग (1 से 12)	211392.21	212920.86

टिप्पणी : \$ अवशेष की स्थिति जनवरी 2020 तक।

तालिका 5 - लाभ/हानि (शीर्षस्थ बैंक स्तर पर)

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी का नाम	इस तिथि को लाभ/हानि		इस तिथि को संचित हानि	
		31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020
1.	गुजरात	2101.51	2525.00	0.00	0.00
2.	हरियाणा	(7638.23)	6392.30	45426.53	39034.23
3.	हिमांचल प्रदेश	22.80	(185.41)	0.00	35.18
4.	जम्मू व कश्मीर	(7993.97)	(9602.86)	एनआर	एनआर
5.	कर्नाटक *	75.67	75.67	0.00	0.00
6.	केरल	2565.50	2780.50	0.00	0.00
7.	पाण्डिचेरी *	(50.64)	(50.64)	434.50	434.50
8.	पंजाब	120.49	227.34	0.00	0.00
9.	राजस्थान	4420.46	2992.90	0.00	0.00
10.	तमिलनाडु	2762.39	30.77	0.00	0.00
11.	त्रिपुरा *	(301.26)	(301.26)	1946.64	1946.64
12.	उत्तर प्रदेश *	(8451.00)	(8451.00)	10955.26	10955.26
13.	पश्चिम बंगाल	322.93	357.70	1044.13	865.92

टिप्पणी :- (1) कोष्ठक में अंकित धनराशि हानि दर्शाती है।

(2) *31.03.2019 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।

(3) एनआर का तात्पर्य सूचना अप्राप्त।

तालिका 6 - गैर निष्पादित आस्तियां (एन.पी.ए.)

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	31 मार्च 2019 को			31 मार्च 2020 को		
		कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए	कुल ऋण बकाया	कुल एनपीए	बकाया ऋण के प्रतिशत के रूप में एनपीए
1.	गुजरात	58196.20	32252.68	55.42	56000.56	31582.72	56.40
2.	हरियाणा	193118.05	161155.79	83.45	187944.16	152321.31	81.05
3.	हिमांचल प्रदेश	45388.82	11575.31	25.50	44091.68	13663.09	30.99
4.	जम्मू व कश्मीर	5788.43	1559.07	26.93	5766.49	1598.36	27.72
5.	कर्नाटक	178253.02	52257.59	29.32	177906.21	57693.75	32.43
6.	केरल	665853.77	14918.79	2.24	711836.63	41346.40	5.81
7.	पाण्डिचेरी *	3188.84	70.65	2.22	3188.84	70.65	2.22
8.	पंजाब	253854.61	43423.31	17.11	227362.68	62882.77	27.66
9.	राजस्थान	157159.70	69713.50	44.36	147638.65	75488.26	51.13
10.	तमिलनाडु *	73647.60	11517.61	15.64	73647.60	11517.61	15.64
11.	त्रिपुरा *	1322.58	1190.32	90.00	1322.58	1190.32	90.00
12.	उत्तर प्रदेश *	272480.14	120736.57	44.31	272480.14	120736.57	44.31
13.	पश्चिम बंगाल	114462.63	27316.77	23.87	124690.55	29906.23	23.98
	योग (1 से 13)	2022714.39	547687.96	27.08	2033876.77	599998.04	29.50

टिप्पणी :- * 31.03.2019 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।

तालिका 7 – मांग, संग्रहण, अवशेष की स्थिति

(धनराशि लाखों में)

क्रम संख्या	एससीएआरडी का नाम	शीर्षस्थ बैंक स्तर पर 31 मार्च 2020 की स्थिति				अंतिम ऋण लाभार्थी स्तर पर 31 मार्च 2020 की स्थिति				31 मार्च 2019 को वसूली प्रतिशत (%)
		मांग	ऋण वसूली	अवशेष	वसूली प्रतिशत (%)	मांग	ऋण वसूली	अवशेष	वसूली प्रतिशत (%)	
1.	गुजरात	61339.00	21249.43	40089.57	34.64	61339.00	21249.43	40089.57	34.64	32.65
2.	हरियाणा	181220.53	24161.50	157059.03	13.33	207058.22	43744.96	163313.26	21.13	6.67
3.	हिमाचल प्रदेश	15342.88	4849.07	10493.81	31.60	16664.64	6170.83	10493.81	37.03	31.87
4.	जम्मू व कश्मीर@	3210.61	1238.39	1972.22	38.30	3210.61	1238.39	1972.22	38.30	45.66
5.	कर्नाटक	136419.57	35304.81	101114.76	25.88	99975.77	40012.23	59963.54	40.02	22.24
6.	केरल	203073.14	178757.62	24315.52	88.03	288075.88	157417.17	130658.71	54.64	95.36
7.	पाण्डिचेरी @	2925.19	2707.36	217.83	92.55	2925.19	2707.36	217.83	92.55	93.90
8.	पंजाब	101497.12	29993.06	71504.06	29.55	211315.36	30650.45	180664.91	14.50	31.00
9.	राजस्थान @	113380.40	35345.33	78035.07	31.17	123963.68	41984.95	81978.73	33.87	25.89
10.	तमिलनाडु	90616.22	78170.02	12446.20	86.26	128774.12	120083.49	8690.63	93.25	85.65
11.	त्रिपुरा	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर	एनआर
12.	उत्तर प्रदेश	217919.31	62505.34	155413.97	28.68	217919.31	62505.34	155413.97	28.68	19.16
13.	पश्चिम बंगाल	62881.47	26136.91	36744.56	41.57	86140.17	30724.25	55415.92	35.67	40.38
	योग (1 से 13)	1189825.44	500418.84	689406.60	42.06	1447361.95	558488.85	888873.10	38.59	40.70

टिप्पणी :- (1) एनआर का तात्पर्य सूचना अप्राप्त।
(2) @ 31.06.2019 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।

तालिका 8 - नेटवर्क, सदस्यता, चयनित प्रबन्ध मण्डल एवं कर्मचारी (एससीएआरडी बैंक)

क्र. संख्या	एससीएआरडी बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या (एकात्मक/मिश्रित स्वरूप)		पीसीएआरडी बैंकों की संख्या (संघीय/मिश्रित ढांचा)		पीसीएआरडी बैंकों की संख्या (फेडरल स्ट्रक्चर)		कुल सदस्य संख्या (ऋणी एवं गैर ऋणी)		ऋणी सदस्य		क्या एससीएआरडी बैंक का निर्वाचित प्रबन्ध मण्डल है/(हो/नहीं)		पीसीएआरडी बैंकों की संख्या जहां निर्वाचित बॉर्डर है		एससीएआरडी बैंकों की संख्या		पीसीएआरडी बैंकों के कर्मचारियों की संख्या	
		31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020	31.3.2019	31.3.2020
1.	गुजरात	181	181	एनए	एनए	एनए	एनए	42641	37100	7572	7397	नहीं	नहीं	एनए	एनए	323	320	एनए	एनए
2.	हरियाणा	0	0	19	19	71	71	732190	730731	109419	100494	नहीं	नहीं	0	19	62	68	792	743
3.	हिमाचल प्रदेश	51	51	1	1	30	30	93473	93860	39856	39221	हां	हां	1	1	169	170	52	50
4.	जम्मू व कश्मीर	51	51	एनए	एनए	एनए	एनए	97799	98301	78183	78485	नहीं	नहीं	एनए	एनए	239	225	एनए	एनए
5.	कर्नाटक	25	25	178	178	एनए	एनए	1110407	1155963	614899	659874	हां	हां	176	176	306	281	562	519
6.	केरल *	14	14	75	75	162	162	1314692	1314692	695290	695290	हां	हां	73	73	203	177	1238	1238
7.	पाण्डिचेरी *	1	1	एनए	एनए	एनए	एनए	5142	5142	3802	3802	नहीं	नहीं	एनए	एनए	30	30	एनए	एनए
8.	पंजाब	0	0	89	89	0	0	832754	833077	99760	81345	हां	हां	79	77	227	192	647	632
9.	राजस्थान	7	7	36	36	125	124	1227930	1227930	742918	742918	नहीं	नहीं	13	12	69	58	329	271
10.	तमिलनाडु	0	0	180	180	0	0	1358533	1358533	179990	202153	हां	हां	180	180	104	93	457	455
11.	त्रिपुरा *	5	5	एनए	एनए	एनए	एनए	22573	22573	2742	2742	हां	हां	एनए	एनए	27	27	एनए	एनए
12.	उत्तरप्रदेश	323	323	एनए	एनए	एनए	एनए	2984342	2942215	2757741	2800106	हां	हां	एनए	एनए	2940	2855	एनए	एनए
13.	पश्चिम बंगाल	2	2	24	24	73	73	382030	424228	221043	242142	नहीं	नहीं	21	21	80	80	581	585
	योग (1 से 13)	660	660	602	602	461	460	10204506	10244345	5553215	5655969	-	-	543	559	4779	4576	4658	4493

टिप्पणी :- (1) एनए का तात्पर्य लागू नहीं।
(2) *31.03.2019 की स्थिति समीक्षा के लिए विचारणीय है।

LIST OF MEMBERS (31.03.2020)

1. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
2. The Multi State Cooperative Land Development Bank Ltd. (Bihar-Jharkhand), Patna.
3. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
4. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
5. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
6. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Srinagar.
7. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
8. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
9. Odisha State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneswar.
10. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
11. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
12. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
13. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.
14. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
15. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
16. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
17. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
18. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.
19. Telangana State Co-operative Apex Bank Ltd., Hyderabad.

सदस्यों की सूची (31.03.2020)

1. असम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., गुवाहटी।
2. बहुराज्यीय सहकारी भूमि विकास बैंक लि., (बिहार-झारखण्ड), पटना।
3. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., अहमदाबाद।
4. हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., पंचकुला।
5. हिमांचल प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., शिमला।
6. जम्मू व कश्मीर राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., श्रीनगर।
7. कर्नाटक राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., बंगलोर।
8. केरल राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., थिरुवनन्तपुरम।
9. उड़ीशा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि., भुवनेश्वर।
10. पाण्डिचेरी सहकारी केन्द्रीय भूमि विकास बैंक लि. पाण्डिचेरी।
11. पंजाब राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि, चण्डीगढ़।
12. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि, जयपुर।
13. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि, चेन्नई।
14. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि, अगरतला।
15. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि., लखनऊ।
16. पश्चिम बंगाल राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि, कोलकता।
17. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि., नई दिल्ली।
18. मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि, शिलांग।
19. तेलंगाना राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लि, हैदराबाद।



**NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL
DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD.**
**राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकस
महासंघ मर्यादित**

७०१, ७वीं मंजिल, ए - विंग, बीएसईएल टेक पार्क,
रेल्वे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई - ४०० ७०३
टेलीफोन (कार्यालय) : ०२२-२७८१ ४२२४ / ४२६ / २२६
(एम.डी) : २७८१ ४११४
फैक्स : ९१-२२-२७८१ ४२२५
ई-मेल : nafcard.org@gmail.com
वेबसाइट : www.nafcard.org

701, 7th Floor, BSELTech Park, A Wing,
Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai-400703
Telephone (Office): 022-27814114 / 426 / 226
(M.D.): 022 - 27814224
Fax: 91-22-27814225
E-mail: nafcard.org@gmail.com
Website: www.nafcard.org